बृहस्पतिवार,
४ दिसंबर, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बृहस्पतिवार, ४ दिसम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कर्नाटक संगीत

*९०७. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक संगीत तथा नृत्य का विकास करने और इस में अनुसंधान करने के लिये बनाई जाने वाली अकादमी के विधान को अन्तिम रूप दे दिया गया है या नहीं; तथा

(ख) क्या किसी अन्य प्रदेश के लिये भी इस प्रकार की संगीत अकादमी को स्थापित करने का विचार है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां। भारतीय संगीत की एक अकादमी स्थापित करने का विचार है।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि कि क्या कर्नाटक संगीत अकादमी एक

विश्वविद्यालय के ढंग पर होगी जिसके साथ विभिन्न प्रदेशों में स्थित कालेज सम्बद्ध होंगे ?

श्री के० डी० मालवीय : दक्षिणी राज्यों के सामने जिन का इस अकादमी की स्थापना से अधिक सम्बन्ध है कुछ सुझाव रखे गये थे। उन्होंने अभी तक हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इस लिये अड़चन पैदा हो रही है। जूंही हमें उन की ओर से यह सूचना मिलेगी कि उन्होंने हमारे प्रस्ताव स्वीकार कर लिये हैं, तो यह अकादमी स्थापित कर दी जायेगी।

सरदार हुक्म सिंह : क्या लखनऊ में एक भारतीय संगीत अकादमी स्थापित करने का कोई और प्रस्ताव है और क्या इसे अन्तिम रूप दिया गया है या छोड़ दिया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, यह एक और प्रस्ताव है।

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : लखनऊ में एक म्यूज़िक कालेज मौजूद है। यह बात गवर्नमेंट के सामने आई थी कि जिस तरह कर्नाटक म्यूज़िक कालेज को मदद देना गवर्नमेंट ने तय कर लिया है, इसी तरह इसे भी मदद दे, लेकिन इस बारे में स्टेट गवर्नमेंट से जो बातचीत हुई थी वह किसी नतीजा तक नहीं पहुंच चुकी। बहरहाल गवर्नमेंट के सामने हिन्दुस्तानी म्यूज़िक के कालेज की तजवीज़

मौजूद है और वह गौर कर रही है कि इसे किस तरह अमल में लाया जाये।

सरदार हुक्म सिंह : दिल्ली में जो अकादमी कायम की जायगी आया उसके जो कालेजिज़ होंगे वह दिल्ली में ही होंगे या डिफरेन्ट रीजन्स (भिन्न भिन्न प्रदेशों में) स्थित होंगे।

मौलाना आज़ाद : इस वक्त जो तजवीज़ सामने है वह यह नहीं है कि दिल्ली में हों। जिस स्टेट में इन्तज़ाम हो सकेगा वहां वह चलाये जायेंगे।

सरदार हुक्म सिंह : आया यह अकादमी सिरफ म्यूज़िक तक ही महदूद रहेगी या डांसिंग का सबजेक्ट भी इस में रहेगा?

मौलाना आज़ाद : कालेज की तजवीज़ म्यूज़िक के लिये थी।

सरदार हुक्म सिंह : और जो डांसिंग की तजवीज़ है, वह छोड़ दी गई है ?

मौलाना आज़ाद : छोड़ नहीं दी गई है। लेकिन कालेज की तजवीज़ म्यूज़िक के लिये थी।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या भारत सरकार को विदित है कि मद्रास में कर्नाटक संगीत तथा भारत नाट्य की एक अकादमी है, जिसे मद्रास सरकार सहायता देती है ? और क्या मैं जान सकता हूं कि कि क्या मद्रास सरकार ने कोई वित्तीय सहायता मांगी है और क्या कोई सहायता दी गई है ?

श्री के० डी० मालवीय : वित्तीय सहायता की मात्रा के प्रश्न पर मद्रास राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच कुछ बातचीत हो रही थी वह कुछ अधिक सहायता चाहती है। हम यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सके, क्योंकि वह चाहती है कि अधिकांश राशि केन्द्रीय सरकार दे। हम ने राशि का ३३ प्रतिशत भाग देना मंजूर कर लिया है। जूंही वह हमारा प्रस्ताव स्वीकार करेगी, आगे कार्यवाही की जायेगी।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या सरकार का देश में प्रचलित संगीत की अभिज्ञात प्रणाली अर्थात कर्नाटक संगीत को प्रोत्साहन देने का विचार है।

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, श्रीमान।

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले से ही तैयार है। उन्हों ने कहा है कि वे ३३ प्रतिशत अंशदान देंगे।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या कुछ समय पूर्व एक संगीत अकादमी स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये मद्रास, मैसूर और हैदराबाद सरकारों के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई थी और यदि हां, तो क्या उन्होंने अकादमी के स्थान के बारे में कोई निश्चय किया है ?

श्री के० डी० मालवीय : उन की बैठक १९५१ में हुई थी। उन्होंने कुछ प्रारम्भिक चर्चा की थी और कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे। भारत सरकार उन राज्यों से सहमत नहीं है।

श्री एन० पी० दामोदरन : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार के सामने संगीत, नृत्य तथा अन्य ललित कलाओं की एक अकादमी स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं ने इन प्रस्तावों का अभी उल्लेख किया है। सरकार के सामने अन्य कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय राष्ट्रीय आयोग के उपआयोग

***९०८. श्री एस० एन० दास** : **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यूनेस्को के सहयोगार्थ भारतीय राष्ट्रीय आयोग के तीनों उप-आयोग पूरी तरह बना लिये गये हैं और काम कर रहे हैं;

(ख) क्या काम का कोई कार्यक्रम बनाया गया है और यदि हां, तो क्या; तथा

(ग) उन शिक्षा सम्बन्धी, वैज्ञानिक तथा सांसकृतिक संस्थाओं के नाम क्या हैं, जो कि इस आयोग के सहकारी सदस्य बन सकते हैं।

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) तीनों उप-आयोगों को संशोधित विधान के अनुसार पुनर्संगठित किया जा रहा है।

(ख) आयोग के विचारार्थ मंत्रालय में एक प्रयोगात्मक कार्यक्रम तैयार किया गया और सदन पटल पर रखे गये विवरण में बतलाया गया है [**देखियें परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३२**]

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [**देखियें परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३२**]

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या इस पाठ्य पुस्तक समिति ने, जिसे भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने नियुक्त किया था, भारतीय इतिहास की पाठ्य पुस्तकों की सूक्ष्म परीक्षा का काम समाप्त कर लिया है ?

श्री के० डी० मालवीय : हमें अभी पाठ्य-पुस्तक समिति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान, मैं जान सकता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय आयोग के तत्वाधान में कितनी समितियां काम कर रही ?

श्री के० डी० मालवीय : अन्तरिम भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने तीन उपायोग बनाने का सुझाव दिया है। वे ये हैं : शिक्षा उपायोग, विज्ञान उपायोग और सांसकृतिक उपायोग। इन्हें बनाने का काम जारी है। राज्यों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों के नाम सरकार के पास आ जाने पर यह बन जायेंगे।

श्री एस० एन० दास : मैं यह जानना चाहता था कि भारतीय राष्ट्रीय आयोग के अधीन कौन कौन सी समितियां काम कर रही हैं जैसे कि विज्ञान आयोग की तदर्थ समितियां, पाठ्य पुस्तक समिति, अनुवाद समिति, यूनेस्को को लोकप्रिय बनाने की समिति।

श्री के० डी० मालवीय : यह जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या गांधीजी की तालीम और विचार धारा पर कोई गोष्ठी की गई है या करने का विचार है ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक मुझे ज्ञात है यह अगले वर्ष के आरम्भ में आयोजित की जायेगी।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या गत वर्ष के दौरान में इस आयोग ने या इस की समितियों ने किन्हीं महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार किया था और क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ?

श्री के० डी० मालवीय : अन्तरिम आयोग ने अभी तक केवल विधान तैयार किया है। स्थायी आयोग बन जाने पर वह सब महत्वपूण समस्याओं पर विचार करेगा।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या १९५१ के बाद आयोग का कोई सत्र हुआ था ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : जी नहीं।

श्री एस० एन० दास : विवरण से पता चलता है कि कुछ शिक्षा सम्बन्धी, वैज्ञानिक और सांसकृतिक संस्थाओं को भारतीय राष्ट्रीय आयोग की सहकारी सदस्यता के लिये अनुमोदित किया गया है। इन संस्थाओं को किस आधार पर अनुमोदित किया जाता है और क्या कुछ संस्थाओं के प्रार्थनापत्रों को स्वीकार किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे विदित नहीं है कि प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये गये हैं या नहीं।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या भारत में होने वाली गोष्ठी के लिये आयोग के कोई पदाधिकारी प्रभारी हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे ज्ञात नहीं है।

समुद्र चित्रण

*९०९. **डा० रामा राव** : (क) **शिक्षा** मंत्री ३१ जुलाई, १९५२ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६६८ के उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और बतलायगे कि क्या कोई विदेशी प्राध्यापक एक भारतीय विश्वविद्यालय में समुद्रचित्रण में अनुसंधान की शिक्षा देने के लिये भारत आ रहा है ?

(ख) यदि हां, तो यह कौन है और वह किस अभिकरण की सहायता से आ रहा है ?

(ग) भारत सरकार उसे कितना वेतन देती है ?

(घ) उसका यहां कितनी देर रहने का विचार है और उसके कार्य की विस्तृत योजनायें क्या हैं ?

(ङ) वह किस विश्वविद्यालय में काम करेगा और इस विश्वविद्यालय में समुद्र-चित्रण का काय कब से आरम्भ हुआ है ?

(च) क्या यह सत्य है कि भारतीय समुद्र के चित्रण से ऐसी सामग्री उपलब्ध होगी, जो कि देश की नौ-प्रतिरक्षा के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण होगी ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) प्रो० युजीन सी० लाफांड, अमरीकी नौसेना विद्युत प्रयोगशाला की समुद्रचित्रण शाखा के अध्यक्ष, भारत में यू० एस० एजुकेशनल फुांऊडेशन के द्वारा भारत में आये हैं।

(ग) कुछ नहीं।

(घ) प्राध्यापक नौ मासों के लिये भारत म आया है। उनके काम की योजना यह है—

(१) बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी भाग की भूगर्भीय तथा जैविक स्थितियों का परिमापन करना,

(२) समुद्रचित्रण में उच्च शिक्षा देना,

(३) विश्वविद्यालय के अध्यापकों को उच्च अनुसंधान में प्रशिक्षण देना।

(ङ) आंध्र विश्वविद्यालय। विश्व-विद्यालय के वायुविज्ञान और ऋतुविज्ञान विभाग में समुद्रचित्रण का विषय १९४८ में एक विशेष विषय के रूप में शुरू किया गया था ?

(च) इस प्रकार के अध्ययन से ज्ञान में वृद्धि होगी और परिमाप भारतीय नौसेना के लिये बहुत उपयोगी होगा। सरकार के

विचार में यह विषय प्रतिरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा नहीं है कि इस के सम्बन्ध में सारा वैज्ञानिक अनुसंधान बन्द कर दिया जाये ।

डा० रामा राव : श्रीमान्, मैं जान सकता हुं कि क्या अमरीकी नौसेना पदाधिकारी को किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाने का अनुभव है ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे विचार में उसे पर्याप्त अनुभव है, क्योंकि वह अमेरिका के समुद्रचित्रण विभाग का अध्यक्ष है ।

डा० रामा राव : नौसेना पदाधिकारी होते हुए क्या उसे किसी विश्वविद्यालय का अनुभव है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे विदित नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : कितने विद्यार्थियों को जिन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय में समुद्र-चित्रण की उपाधियां ली हैं उच्च शिक्षा के लिये विदेशों में भेजा गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि इस पदाधिकारी ने अमरीकी नौ सेना में कितने वर्ष सेवा की हैं ? और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि ऐसे पदाधिकारियों को जो वैज्ञानिक कार्य के लिये भारत में आते हैं, उस जानकारी को, जो कि वे वहां इकठ्ठी करते हैं भारत के हितों के विरुद्ध प्रयोग करने से रोकने के लिये सरकार क्या पग उठाती है ?

श्री के० डी० मालवीय : हम ने कहा है कि हम केवल इस संदेह के कारण कि कोई व्यक्ति यहां से जानकारी ले जायेगा, समुद्र-चित्रण या इन में से किसी विज्ञान की शिक्षा बन्द नहीं कर सकते ।

श्री वी० पी० नायर : यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है । मेरा प्रश्न यह था कि .. .. ..

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): श्रीमान्, क्या मैं एक शब्द कह सकता हूं । केवल यह उत्तर दिया जा सकता है कि सरकार इस दिशा में सचेत रहती है । किन्तु वह यह नहीं चाहती कि इस कारण वैज्ञानिक कार्य में विघ्न पड़े । यदि उसको संदेह हुआ कि राष्ट्रीय हित के विरुद्ध कोई चीज़ की जा रही है तो वह हस्तक्षेप करेगी ।

श्री वी० पी० नायर : यह मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है । इस का पहला भाग यह था कि क्या सरकार जानती है कि इस पदाधिकारी ने कितने समय के लिये अमरीकी नौसेना में काम किया है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद : नौ महीने ।

श्री वी० पी० नायर : मैं उन की भारत की सेवा के बारे में नहीं पूछ रहा हूं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पदाधिकारी ने कितने समय के लिये अमरीकी नौसेना में सेवा की है ?

श्री के० डी० मालवीय : हमें इस का ज्ञान नहीं है ।

डा० रामा राव : मैं जान सकता हूं कि विजगपटम के मुख्य बन्दरगाह के चुनाव का कोई सम्बन्ध इस चुनाव से है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं, श्रीमान् ।

ग्राम्य महाजनी जांच समिति

*९१०. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या वित्त मंत्री १४ अप्रैल, १९५१ को पूछे तारांकित प्रश्न संख्या ३१२२ के उत्तर की ओर निदश करने की कृपा करेंगे और यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार

ने अब तक ग्राम्य महाजनी जांच समिति की कौन सी सिफारिशों को कार्यान्वित किया है ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी): अधिकांश सिफारिशों को क्रियान्वित करना भारत के रक्षित बैंक का और राज्य सरकारों का काम है। भारत सरकार का सम्बन्ध मुख्यत: कार्यवाही आरम्भ करने और राज्य सरकारों द्वारा सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये उनका मार्गदर्शन करने से है। उस कार्यवाही के लिये जो कि आज तक की गई है माननीय सदस्य का ध्यान रक्षित बैंक के केन्द्रीय संचालक बोर्ड की, ३० जून, १९५२ को अन्त होने वाले वर्ष की रिपोर्ट की कंडिका ३७ से ५२ तक की ओर दिलाया जाता है। यह रिपोर्ट भारत सरकार की ३० अगस्त, १९५२ की अधिसूचना के अन्तर्गत भारत के सूचना पत्र में प्रकाशित की गई है।

इस के अतिरिक्त भारत सरकार ने (१) कोषों तथा उपकोषों में से रुपया निकलवाने की वर्तमान सीमाओं को बढ़ाने, और (२) डाकघर बचत बैंक के पुन-र्संगठन से सम्बन्धित सिफारिशों पर भी कार्य-वाही आरम्भ की है।

श्री एस० सी० सामन्त : श्री ए० सी० गुहा के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि सदन को इस जांच समिति की रिपोर्ट पर चर्चा करने का अवसर दिया जायेगा और इस अवसर पर सरकार अपना निर्णय करेगी। मैं जान सकता हूं कि क्या वह समय अब आ गया है या नहीं ?

श्री त्यागी : हम अभी उस समिति की जो कि ग्राम्य ऋण सुविधाओं की जांच करने के लिये नियक्त की गई थी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक अखिल भारतीय ऋण सम्बन्धी पर्यालोकन किया जा रहा है और मेरे विचार में वह इस मास के अन्त तक हमें एक पूरी रिपोर्ट दे देगी। और यदि सदन इस प्रश्न पर चर्चा करना चाहता है, तो माननीय सदस्यों को वह रिपोर्ट पहले ले लेनी चाहिये, ताकि उन के पास अधिक जानकारी हो। उस रिपोर्ट के बाद सरकार को इस प्रश्न की चर्चा पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या ग्राम्य लोगों की सुविधा के लिये विभिन्न बैंकों से रुपया निकलवाने, अदा करने और जमा करने के सम्बन्ध में बैंकों के उन नियमों को ढीला कर दिया गया है ?

श्री त्यागी : बम्बई में हम एक प्रयोग कर रहे हैं जिस के अनुसार अब बचत बैंक अदायगी और रुपया जमा कराने के लिये चैकों का भुगतान कर रहे हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या संचरण मंत्रालय से अधिक डाक घर बचत बैंक खोलने के लिये प्रार्थना की गई है ?

श्री त्यागी : जी हां, श्रीमान्। वह और बैंक खोल रहा है किन्तु इस प्रयोग की परीक्षा की जा रही है। और जब तक इन प्रयोगों के परिणाम उपलब्ध न हो जायें, तब तक ग्रामीण क्षेत्रों में नये खुले बैंकों में इस प्रकार की सुविधायें देना संभव नहीं होगा।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि इस निर्णय के बाद से कितने राज्य द्वारा चलाये गये कृषि बैंक स्थापित किये गये हैं ?

श्री त्यागी : जैसा कि समिति ने सिफारिश की थी, इम्पीरियल बैंक ने अपने प्रसार कार्यक्रम की पहली कड़ी में ३० नई शाखायें खोलना स्वीकार किया था। और मैं समझता हूं कि गत दो वर्षों में उस ने लगभग आधी शाखायें

तो खोली होंगी, यह अवधि १९५१ से आरम्भ हुई थी। जैसा कि सदन को विदित है, सरकार रक्षित बैंक अधिनियम में संशोधन करने के लिये एक विधेयक पुरः स्थापित कर रही है। इस के अनुसार कुछ कृषि सम्बन्धी तथा औद्योगिक कार्यों के लिये अर्थात् अर्ध-कृषि-उत्पाद मक्खन तैयार करने, धान कूटने और गुड़ बनाने के लिये सुविधायें दी जायेंगी। अब तक किसी बैंक ने इन कार्यों के लिये सहायता नहीं दी। अब राज्यों के एपैक्स सहकारी बैंकों से ऋण लिये जा सकेंगे।

ऋणों की शर्तों के बारे में एक और सिफ़ारिश है। आज तक ये ऋण वाणिज्यिक कार्यों के लिये केवल ३ मासों के लिये और कृषि कार्यों के लिये १५ मासों के लिये दिये जाते थे। अब इस संशोधक विधेयक के अनुसार इस अवधि को पांच साल तक के लिये बढ़ा दिया जायेगा।

श्री मुहीउद्दीन : समिति की एक सिफ़ारिश यह थी कि बैंकिंग की अधिक सुविधायें देने के लिये हैदराबाद स्टेट बैंक को हैदराबाद राज्य के लिये भारत के रक्षित बैंक का अभिकर्त्ता नियुक्त कर दिया जाये। मैं जान सकता हूं कि क्या इस सिफ़ारिश पर अब तक कोई कार्यवाही की गई है?

श्री त्यागी : इस समय इस विषय में मेरे पास कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है। केन्द्र ने सब राज्यों से यह प्रार्थना की थी कि वे भारत के रक्षित बैंक को अपना बैंकर स्वीकार करें। और अब रक्षित बैंक इन राज्यों में बैंकिंग का उत्तरदायित्व सम्भाल रहा है।

श्री के० के० बसु : माननीय मंत्री के इस उत्तर से कि इस का सम्बन्ध राज्यों से है, मैं जान सकता हूं कि क्या हाल के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में इस मामले पर विचार किया गया था और यदि हां, तो उन का निष्कर्ष क्या था?

श्री त्यागी : वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकी थी।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं जान सकता हूं कि सरकार के निर्णय के बाद, मद्रास राज्य में कितने कृषि बैंक खोले गये हैं?

श्री त्यागी : वास्तव में ये बैंक केन्द्रीय सरकार नहीं खोल रही है। जैसा कि मैं ने पहले कहा है, हम केवल परामर्श दे सकते हैं। रक्षित बैंक ने अब कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है। उस के पदाधिकारी राज्यों का दौरा कर रहे हैं और राज्य सरकारों को एपैक्स सहकारी बैंक, जिसके द्वारा रक्षित बैंक कार्यवाही कर सकेगा, खोलने का परामर्श दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे जानना चाहते हैं कि सिफारिश के समय से मद्रास राज्य में कितने बैंक खोले गये हैं? क्या माननीय मंत्री के पास कोई जानकारी है?

श्री त्यागी : मैं ने इस प्रश्न के सम्बन्ध में यह जानकारी इकट्ठी नहीं की।

कोलम्बबो योजना

*९११. **श्री एन० पी० सिन्हा** : (क) **वित्त मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत ने कोलम्बो योजना के एक सदस्य के नाते अपना दायित्व निभाने के लिये आज तक कितना धन व्यय किया है?

(ख) किन देशों ने यह राशि प्राप्त की है और किस रूप में?

(ग) भारत ने कोलम्बो योजना के एक सदस्य के रूप में अन्य देशों से आज तक क्या सहायता प्राप्त की है और किस रूप में?

वित्त-मंत्री से सम्बद्ध सभा सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) कोलम्बो योजना के एक सदस्य के नाते अपना दायित्व निभाने

के हेतु भारत ने अब तक लगभग ५ लाख रुपये खर्च किये हैं। इस योजना के अन्तर्गत जुलाई, १९५० से ले कर सात वर्ष की अवधि के लिये १ करोड़ रुपये के मूल्य की टेकनिकल सहायता की व्यवस्था की जायेगी।

(ख) यह टेकनिकल सहायता बर्मा, सीलोन, इन्डोनीशिया, मलाया, सिंगापुर, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिप्पाइन्स और थाईलैंड को दी गई है। मैं आप का ध्यान उस विवरण की ओर दिलाता हूं जो कि २५ नवम्बर, १९५२ को तारांकित प्रश्न संख्या ६३८ के उत्तर में सदन पटल पर रखा गया था।

(ग) भारत ने टेकनिकल तथा वित्तीय सहायता प्राप्त की है। प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण में टेकनिकल सहायता के बारे में जानकारी दी गई है। वित्तीय सहायता के बारे में एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३३]

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि बाहर से कितने विशेषज्ञ भारत में आये हैं और ये किन किन देशों से आये हैं ?

श्री बी० आर० भगत : इस देश में लगभग २० विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। उन में से ३ न्यूज़ीलैंड से, १ आस्ट्रेलिया से और १६ ब्रिटेन से आये हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : श्रीमान, मैं जान सकता हूं कि भारत ने अन्य देशों को जो सहायता दी है वह किस प्रकार की है और इस का विवरण क्या है ?

श्री बी० आर० भगत : मेरे विचार में वे ५ लाख रुपये की राशि का ब्योरा ज्ञात करना चाहते हैं। मेरे विचार में यह इस प्रकार है : प्रशिक्षण सुविधायें ११५,०००; सीलोन को भेजे गये तीन विशेषज्ञों का व्यय १४,०००; कोलम्बो योजना अधीन ब्युरो के व्यय का अंशदान, ४०,०००; अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिये केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्था के धात्रावास बनाने का व्यय २३२,०००; ५ पारिषद्यता और छात्रवृत्तियों की व्यवस्था के लिये १,००,०००।

श्री दाभी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि कोलम्बो योजना के अन्तर्गत जो वित्तीय सहायता दी जाती है, क्या वह ऋणों के रूप में या अनुदानों के रूप में दी जाती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे यह जानना चाहते हैं कि वित्तीय सहायता ऋणों के रूप में होती है या अनुदानों के रूप में।

श्री बी० आर० भगत : वित्तीय सहायता या टेकनिकल सहायता ? मेरे विचार में यह ऋणों के रूप में नहीं, अनुदानों के रूप में होती है।

श्री एन० पी० सिन्हा : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या भारत के कोलम्बो योजना का सदस्य बन जाने से हमारी पंच वर्षीय योजना एक ६-वर्षीय योजना बन जायेगी ?

पंडित सी० एन० मालवीय : क्या यह बताया जा सकता है कि यह जो एक्स्पर्टस् हैं वह किस किस बात के हैं ?

श्री बी० आर० भगत : जी हां, इन के विषय यह हैं :

राजमार्ग इंजीनियरिंग, चिकित्सा, लोकस्वास्थ्य, कोयले की खानें, टेकनिकल अनुसंधान कृषि तथा कृषि सम्बन्धी विषय, टेलीफ़ून आदि।

श्री दामोदर मेनन : मैं जान सकता हूं कोलम्बो जोजना के अन्तर्गत बर्मा को जो सहायता दी गई है, वे भारत सरकार द्वारा दिये गये ऋण के अतिरिक्त है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस का ऋण से कोई सम्बन्ध नहीं।

पंडित सी० एन० मालवीय : यह जो एक्सपर्ट्स बाहर से बुलाये गये हैं, क्या इन की बुलाने से पहले इस बात की जांच कर ली गई थी कि वैसे एक्सपर्ट्स हिन्दुस्तान में नहीं थे ?

श्री बी० आर० भगत : जी हां ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि बर्मा की सरकार को किस प्रकार की टेकनिकल सहायता दी गई है, और उस पर और भेजे गये पदाधिकारियों पर कितना व्यय किया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : पहले दो का उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : टेकनिकल सहायता किस प्रकार की है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इन बातों म जाने की आवश्यकता नहीं है । जो कुछ भी वे चाहते हों ।

श्री के० के० बसु : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि इन विशेषज्ञों को चुनने में हमारी सरकार का भी कोई हाथ था या नहीं ?

श्री बी० आर० भगत : जी हां । टेकनिकल सहायता के बारे में सब बातचीत द्विपक्षीय होती है । उन्हें सम्बन्धित देशों के बीच सहमति हो जाने के बाद भेजा जाता है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति ; मैं जान सकता हूं कि बर्मा को कौन कौन से विशेषज्ञ भेजे गये थे ?

श्री बी० आ र० भगत : मुझे खेद है कि मैं इस अवस्था पर उन के नाम नहीं बतला सकता ।

पंडित सी० एन० मालवीय : जिन एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है, क्या आयन्दा ऐसे एक्सपर्ट्स को हिन्दुस्तान में तैयार करने के लिए ऐसी स्कीम बना ली गई है कि वह एक्सपर्टस् बाहर से न बुलाने पड़ें और हिन्दूस्तान से बाहर भेजकर या यहां काम सिखा कर उन्हीं को तैयार कर लिया जाये ?

श्री बी० आर० भगत : जी हां, इसका भी इन्तज़ाम है ।

टूटें हुयें अभ्रक का निर्यात

*९१२. **श्री एन० पी० सिन्हा** : **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या टूटे हुए अभ्रक के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उप-मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : जी हां, श्रीमान् । एक प्रयोगात्मक उपाय के रूप में टूटे हुए अभ्रक के निर्यात पर दो या तीन साल के लिए प्रतिबन्ध लगा देने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

श्री एन० पी० सिन्हा : श्रीमान, मैं जान सकता हूं कि इस निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का कारण क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : कहा जाता है कि उस टूटे हुए अभ्रक से जो कि यहां से निर्यात किया जाता है, एक संश्लेषित अभ्रक, जिसे 'सेमिका' कहा जाता है, बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है । अतः हम ने सोचा कि टूटे हुए अभ्रक के निर्यात को बन्द कर के हम विदेशों में 'सेमिका' की तैयारी रोक सकते हैं ।

श्री नानादास : श्रीमान्, क्या यह सत्य है कि यदि हम अपने देश से टूटे हुए अभ्रक के निर्यात पर प्रतिबन्ध भी लगा दें, तो अभ्रक की आवश्यकताएं दक्षिणी अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कैनेडा, दक्षिणी अफ्रीका, इटली, नारवे और स्वीडन से पूरी की जा सकती है ?

श्री के० डी० मालवीय : टूटे हुए अभ्रक का सब से अधिक निर्यात—८० प्रतिशत हम करते हैं। परन्तु यह भी तथ्य है कि कुछ देश अभ्रक पैदा करते हैं और इसे अमेरिका और अन्य देशों को निर्यात करते हैं।

श्री नानादास : निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई निर्णय करने से पहले, क्या सरकार का टूटे हुए अभ्रक के व्यापार से सम्बन्धित सब पक्षों की राय ज्ञात करने का विचार है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह मामला वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के विचारधीन है और वह इसके सब पहलुओं पर विचार करेगा।

श्री नटेशन: क्या मद्रास में माइकानाइट तैयार करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, कोई प्रस्ताव नहीं है श्रीमान।

श्री एन० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत ब्राज़ील से टूटा हुआ अभ्रक आयात कर रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं।

श्री नटेशन : क्या सरकार को विदित है कि गुडूर के एक कारखाने में माइकानाइट तैयार किया जा रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें ज्ञात नहीं है।

श्री राघवय्या : टूटा हुआ अभ्रक पहले किन देशों को निर्यात किया जाता था ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रतिबन्ध लगाने से पहले टूटा हुआ अभ्रक किन देशों को निर्यात किया जाता था ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं ने कहा है कि प्रतिबन्ध अभी लगाया नहीं गया। अभी इस पर विचार किया जा रहा है। सब से अधिक निर्यात करने वाला देश अमेरिका है।

श्री राघवय्या : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि अभ्रक के निर्यात पर प्रतिबन्ध के फलस्वरूप बहुत से मजदूरों में बेकारी फैल गई है ?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान् जैसा कि मैं ने कहा है सरकार ने निर्यात पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। यह मामला विचाराधीन है। निर्यात के कम हो जाने के अन्य कारण है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि गत वर्ष कुल कितना टूटा हुआ अभ्रक निर्यात किया गया था और क्या यह व्यापार एकाधिकार प्राप्त व्यापारियों द्वारा छोटे छोटे अभिकर्ताओं द्वारा किया जाता है ?

श्री के० डी० मालवीय : यदि माननीय सदस्य इस पर एक अलग प्रश्न पूछें तो मैं उत्तर दे सकूंगा।

श्री बलवन्त सिन्हा महता : श्रीमान्, क्या यह तथ्य है कि संश्लेषित अभ्रक टूटे हुए अभ्रक से अधिक उपयोगी होता है ?

श्री के० डी० मालवीय : हम संश्लेषित अभ्रक तैयार नहीं करते। अतः हम इस के बारे में कुछ नहीं कह सकते।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या सरकार का भारत में टूटे हुए अभ्रक से संश्लेषित अभ्रक तैयार करने का विचार है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं, श्रीमान्। चूंकि हमारे पास असली माल है, इसलिए हमें संश्लेषित अभ्रक तैयार करने की आवश्यकता नहीं है।

कोलम्बो योजना सहायता

*९१३. **श्री रघवय्या :** **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलम्बो योजना सहायता के अधीन कैनेडा की सरकार ने चालू वित्तीय

वर्ष के लिए कितने गेहूं का आवंटन किया है ;

(ख) यह इसी सरकार द्वारा किये गये गत वर्ष के आवंटन से कितना कम या अधिक है ;

(ग) क्या यह सत्य है कि इस वर्ष भारत सरकार ने गेहूं के अधिक आवंटन के लिए प्रार्थना की थी ; तथा

(घ) इस वर्ष कैनाडा की सरकार कोलम्बो योजना के अधीन और कितनी सहायता देगी और किस रूप में देगी ?

वित्त मन्त्री से सम्बद्ध सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत): (क) गेहूं के क्रय के लिए ५० लाख डालर ।

(ख) गत वर्ष का आवंटन १०० लाख डालर था ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) एक अनुमोदित विकास परियोजना या परियोजनाओं के लिए सामान के प्रदाय के लिए ८८ लाख डालर ।

श्री रघवय्या : मैं जान सकता हूं कि इस गेहूं को कैनेडा से भारत लाने के लिए जहाज़ों को क्या सुविधाएं दी गई थीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य की राय में कि स्वयं कैनेडा को इस गेहूं के परिवहन के लिए जहाज़ों की सुविधाएं देनी चाहिएं । क्या कैनेडा ने हमें जहाज़ों की कोई सुविधाएं दी थीं ?

श्री बी० आर० भगत : जी नहीं ।

श्री दामोदर मेनन : भाग (ग) के उत्तर की ओर निर्देश करते हुए मैं जान सकता हूं कि गेहूं के अधिक आवंटन के लिए प्रार्थना करना कहां तक सरकार की इस घोषित नीति के अनुकूल है कि गेहूं के आयात को कम किया जाये ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह राय का प्रश्न है ।

श्री दाभी : मैं जान सकता हूं कि क्या कैनेडा ऋण के रूप में भारत को गेहूं देता है या अनुदान के रूप में ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : यह हमें कोलम्बो योजना के अनुसार मिलता है । कैनेडा की संसद् के कुछ सदस्यों की यह राय थी कि इतने मूल्य का गेहूं निर्यात करने की बजाय कुछ अन्य वस्तुए हमें दी जायें, जिन की हमें आवश्यकता है । किन्तु हम ने अनुरोध किया कि हम गेहूं लेंगे और उसे यहां बेचेंगे और रुपये को आवश्यकतानुसार विकास योजनाओं में लगायेंगे । कैनेडा ने इस वर्ष हमें ५० लाख डालर का गेहूं देना स्वीकार कर लिया है । अगले वर्ष के लिए हमारा प्रतिनिधि जो कि इस समय अमेरिका में है, कैनेडा की सरकार से बातचीत करेगा और शीघ्र ही हमें यह ज्ञात हो जायेगा कि भविष्य में हमें कितनी सहायता मिल सकेगी ।

श्री टी० के० चौधरी : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या पिछले वर्ष कैनेडा द्वारा दिये गये गेहूं का एक बड़ा अंश मनुष्यों के खाने के अयोग्य था ?

श्री बी० आर० भगत : श्रीमान्, मुझे ज्ञात नहीं है ।

श्री रघवय्या : मैं जान सकता हूं कि क्या कैनेडा की सरकार ने इस वर्ष गेहूं का जो आवंटन किया है, वह पिछले वर्ष के आवंटन से अधिक या कम है ?

श्री बी० आर० भगत : यह कम है, श्रीमान । यह उत्तर में बतलाया गया है ।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि कैनेडा की आन्तरिक मंडी में गेहूं के तुलनात्मक भाव क्या हैं और हम ने जो

मूल्य दिया है वह अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की तुलना में कम या अधिक है ?

श्री बी० आर० भगत : यह अन्य देशों का मामला है किन्तु मैं यह बतला सकता हूं कि गेहूं अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार के अधीन खरीदा जाता है ।

श्री वैलायुधन : श्रीमान, मैं जान सकता हूं कि क्या वह गेहूं जो हमें कैनेडा से प्राप्त होता है खुले बाजार में खरीदा जाता है या कैनेडा की सरकार इसे खरीद कर भारत को भेजती है ?

श्री बी० आर० भगत : यह सौदा सरकारों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार के अधीन किया जाता है ।

एन सी० सी० (छात्र सेना) प्रशिक्षण

*९१४. **श्री बाल्मीकि** : **रक्षा मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ में विभिन्न राज्यों से कितने अध्यापकों को एन० सी० सी० प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है ;

(ख) इस प्रशिक्षण के केन्द्र कौन कौन से हैं ; तथा

(ग) यह प्रशिक्षण किस प्रकार का है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) १९५२ में ११७ प्रोफ़ैसरों और २१७ स्कूल अध्यापकों ने कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण लिया है ।

(ख) प्रशिक्षण के १७ केन्द्र थे, जिन की सूची सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या ३४]**

(ग) आफ़ीसर कैडेट्स को हथियार चलाना सिखाया जाता है और सैनिक तथा टेकनिकल विषयों के बुनियादी सिद्धान्तों का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे क्रमश: अपने अपने बलों में उच्च प्रमाण पत्र परीक्षा को पारित करने के लिए जिस मानदंड की आवश्यकता होती है, उस तक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रसैनिकों के प्रशिक्षण की अधीक्षण करने योग्य हो सकें ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : क्या यह सत्य है कि प्रशिक्षण के समय उच्च विभाग के कालेजों के प्रोफैसरों को आफ़ीसर समझा जाता है जब कि निम्न विभाग के स्कूल के अध्यापकों को जे० सी० ओ० या साधारण सैनिक समझा जाता है ?

श्री सतीशचन्द्र : श्रीमान, मैं इन विस्तृत बातों को तत्काल नहीं बतला सकता किन्तु मेरा विचार है कि इस विषय के सम्बन्ध में नियम प्रकाशित हो चुके हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि काश्मीर में नैशनल कैडेट कोर की योजना के अन्तर्गत कितने शिक्षार्थियों को अब तक शिक्षा दी गई है ?

श्री सतीश चन्द्र : अलग अलग स्टेट्स के बारे में तो इस समय मेरे पास फिगर्स (आंकड़े) नहीं हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या काश्मीर में कोई ऐसी योजना चल रही है या ऐसे कैम्पस हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : स्टेटमेंट (विवरण) में दिया हुआ है कि किन किन स्थानों में यह ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध किया गया है । माननीय मेम्बर यदि स्टेट्मेंट देखेंगे तो उन्हें यह मालूम हो जायेगा ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : श्रीमान्, क्या यह तथ्य है कि प्रशिक्षण के समय इस विभेद कारी व्यवहार के कारण, निम्न विभाग के अध्यापक पर्याप्त संख्या में भर्ती नहीं होते ?

श्री सतीश चन्द्र : श्रीमान, नैशनल कैडेट कोर योजना बहुत आकर्षक सिद्ध हुई

है । जहां तक मुझे ज्ञात है कठिनाई अध्यापकों की कमी के कारण नहीं बल्कि वित्त की कमी के कारण होती है ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं जान सकता हूं कि क्या १९५२ में अध्यापकों की भर्ती के लिए कोई लक्ष्य निश्चित किया गया था और क्या वह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?

श्री सतीश चन्द्र : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री बलवन्त सिन्हा मेहता : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या इस प्रशिक्षण में नौसेना सम्बन्धी प्रशिक्षण भी सम्मिलित है और यदि हां, तो इस के लिये देश में कितने केन्द्र हैं और ये कहां पर हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : जी हां, नौसेना प्रशिक्षण और विमान प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध है । नैशनल कैडेट कोर में एक नौसेना शाखा और विमान शाखा भी है ।

श्री बलवन्त सिन्हा मेहता : केन्द्र कितने हैं ?

श्री सतीश चन्द्र: प्रश्न अध्यापकों के प्रशिक्षण तक सीमित है । अध्यापकों तथा प्रोफेसरों के नौसेना प्रशिक्षण का केन्द्र कोचीन में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे केवल मंत्रियों को सम्बोधित न करें, बल्कि सारे सदन को सम्बोधित करें । अतः उन्हें ऊंचा बोलना चाहिये ताकि उन की बात सुनी जा सके । उत्तर भी केवल उस सदस्य को नहीं जो प्रश्न पूछता है, अपितु सदन के अन्य सदस्यों को सुनाई देना चाहिये ।

श्री एल० एन० मिश्र: क्या यह सत्य है कि सरकार उन विद्यार्थियों के भोजन तथा निवास के लिये जो कि विभिन्न राज्यों में एन० सी० सी० प्रशिक्षण कैम्प केन्द्रों में जाते हैं एक विशिष्ट अनुदान देती ह ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को मंत्री को नहीं बल्कि अध्यक्ष को सम्बोधित करना चाहिये ताकि सब सदस्य सुन सकें ।

श्री एल० एन० मिश्र: क्या यह सत्य है कि इन केन्द्रों में विद्यार्थियों के भोजन तथा निवास के लिये विशिष्ट अनुदान दिया गया था ?

श्री सतीश चन्द्र: क्या माननीय सदस्य अध्यापकों की ओर निर्देश कर रहे हैं ? प्रश्न प्रोफेसरों और अध्यापकों के बारे में है और सारी एन० सी० सी० के बारे में नहीं है ।

विदेशी वैज्ञानिक विशेषज्ञ

* ९१५. **श्री बाल्मीकि : प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५०—५२ में भारत में खनिज पदार्थों के अनुसन्धान में सहायता देने के लिये कितने वैज्ञानिक विशषज्ञ विदेशों से बुलाये गये हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : एक विवरण जिसमें उन विदेशी विशेषज्ञों के बारे में जो भारतीय भूगर्भीय परिमाप के साथ काम करने के लिये आमंत्रित किये गये हैं जानकारी दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३५**]

उन विदेशी विशेषज्ञों के बारे में जो कि खनिज पदार्थों के अनुसन्धान के लिये राज्य सरकारों ने बुलाये हैं जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री बाल्मीकि : क्या इस प्रकार के विशेषज्ञ हमारे देश में नहीं हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : नहीं, हमारे यहां विशेषज्ञ तो हैं, लेकिन बाहर के विशेषज्ञों के आने से और भी सहायता मिलती है।

श्री बाल्मीकि : क्या सरकार का ध्यान बाहर के विशेषज्ञों की ओर ज्यादा जाता है बनिस्बत यहां के विशेषज्ञों के ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : नहीं। यह तीन आदमी जो आयें वह अपने सबजैक्ट (विषय) में इस दर्जा के हैं कि हिन्दुस्तान में ऐसे आदमी अभी हमें नहीं मिल सकते।

श्री वी० पी० नायर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि खनिज पदार्थों में युद्ध में काम आने वाली सामग्री भी होती है, मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने भारत आने वाले विशेषज्ञों के पूर्व चरित्र के बारे में पूछताछ की है और क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि उन का विदेशों की सेनाओं से कोई सम्बन्ध तो नहीं है ?

श्री के० डी० मालवीय : हम सब बातों का ध्यान रखते हैं। किन्तु मैं सदन को बतलाना चाहूंगा कि इन तीन विशेषज्ञों का सम्बन्ध ऐसे परिमापों से है जो कि विशेष रूप से गुप्त प्रकार के नहीं हैं।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि सरकार ने इस बात के लिये क्या व्यवस्था की है कि विदेशी सेनायें ऐसी जानकारी से जो कि देश में खनिज पदार्थों के अनुसन्धान से प्राप्त की गई है लाभ न उठायें ?

श्री के० डी० मालवीय : हम इस बात का पर्याप्त ध्यान रखते हैं कि जानकारी हमारे अहित में प्रयोग न की जा सके।

डा० एस० पी० मुकर्जी : माननीय शिक्षा मंत्री न कहा है कि भारत में इन विषयों के लिये उस दर्जे का कोई विशेषज्ञ नहीं है। श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार ने इन विदेशी विशेषज्ञों की सहायता से योग्य भारतीयों को प्रशिक्षित करन के लिये क्या पग उठाये हैं ?

मौलाना आजाद : हमारी तमाम स्कीमें इसी मक़सद के लिये हैं कि आयन्दा हमें न तो तालीम के लिये बाहर हिन्दुस्तानियों को भेजना पड़े और न बाहर के आदमियों को यहां बुलाना पड़े।

डा० एस० पी० मुकर्जी : इस प्रकार का प्रशिक्षण कहां दिया जा रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : हमारे लोग इन परिमापों में इन विशेषज्ञों के साथ काम करने से अनुभव और ज्ञान प्राप्त करते हैं।

श्री एस० पी० मुकर्जी : इन विशेषज्ञों के अधीन कितने लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : दल बनाये गये हैं। मेरे पास ठीक ठीक संख्या नहीं है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इन विशेषज्ञों द्वारा अनुसंधान भारतीय खान विभाग के अधीन किया जा रहा है या किसी अन्य संस्था के अधीन ?

श्री के० डी० मालवीय : प्रश्न परिमापों के बारे में है, अनुसन्धान के बारे में नहीं। ये परिमाप भारतीय भूगर्भीय परिमाप के तत्वावधान में किये जा रहे हैं।

श्री केलप्पन : क्या किसी देश को जहां से ये विशेषज्ञ आये हैं, इन खनिज पदार्थों से लाभ उठाने का अधिकार दिया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं, श्रीमान्। इन परिमापों का खनिज पदार्थों

से लाभ उठाने के अधिकार से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

डा० जाटववीर: क्या मैं पूछ सकता हूं कि सरकार ने हिन्दुस्तान में कितनी टीमें तैयार की हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : बहुत सी हैं, मेरे पास इस वक्त संख्या तो नहीं है, मगर यह ज्योलाजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के फील्ड वर्क्स भेजते हैं । हमारे पास भी बहुत से विशेष ज्ञहैं ।

डा० जाटववीर : क्या मैं जान सकता हूं कि हिन्दुस्तान की टीमों का क्या खर्च होता है और जो विदेशी टीमें हैं उन का क्या खर्च होता है ?

श्री के० डी० मालवीय : जो विशेषज्ञ बाहर से आये हैं उन का कुछ खर्च हम बरदाश्त कर रहे हैं, सब के ऊपर कितना खर्च हो रहा है, इस की सूचना मैं इस वक्त नहीं दे सकता ।

श्री बूवराघसामी: मैं जान सकता हूं कि १९५०, १९५१ और १९५२ में इन विदेशियों पर कितना रुपया खर्च किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं ने आप को इनका कुल खर्च बतला दिया है । पृथक् पृथक् आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं ।

श्री आर० एन० सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि यह विशेषज्ञ किस किस देश से हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : विवरण इस प्रकार है :—

१ मि० जान वैन डेर ज्योलाजिस्ट, यू० एस० ज्योलाजिकल सर्वे ।

२ मि० जी० सी० टेलर जूनियर ग्राउण्ड वाटर ज्योलाजिस्ट, यू० एस० ए० ।

३ मि० जान स्ट्रार्जक आर्थिक ज्योलाजिस्ट, यू० एस० ज्योलाजिकल सर्वे ।

पंडित सी० एन० मालवीय: क्या यह वतलाया जा सकता है कि इस किस्म के कितने और एक्सपर्ट बुलाये जाने वाले हैं और कितनी तन्ख्वाहें दी जाने वाली हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: जैसी जरूरत पड़गी उस तरह बुलाया जायेगा ।

पंडित सी० एन० मालवीय : इस ज़रूरत का कुछ अन्दाजा है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस वक्त तो नहीं है ।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय

*९१६. **डा० रामा राव** : (क) **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संसद् ने वित्तीय सहायता के लिये भारत सरकार से अपील की है ?

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय को कितना घाटा हुआ है और क्यों ?

(ग) क्या सरकार ने अधिक सहायता की अपील पर विचार किया है ?

(घ) सरकार का इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्राकृतिक, संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : अब तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से किसी विशिष्ट राशि के लिये कोई औपचारिक प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

(ख) १९५२-५३ के लिये अनुमानित घाटा ४०८,९३४ रुपये है, क्योंकि कहा जाता है कि सरकार का अनुदान पर्याप्त नहीं है । ज्ञात हुआ है कि अब विश्वविद्यालय प्राधिकारी वित्तीय स्थिति की विस्तृत जांच कर रहे हैं ।

(ग) तथा (घ). विश्वविद्यालय से एक औपचारिक प्रार्थनापत्र प्राप्त हो जाने पर, इस पर सरकार सामान्य सिद्धान्तों तथा नियमों और प्रक्रिया के अनुसार विचार करेगी।

डा० रामाराव: मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि उप-कुलपति के वेतन में हाल में ८०० रुपये की वृद्धि की गई है ?

श्री के० डी० मालवीय : हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

डा० रामाराव : मैं जान सकता हूं कि १५०० रुपये मासिक वेतन वाला कुलपति का एक नया पद निकाला गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

डा० रामाराव: मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि कोषाध्यक्ष को तीन वर्ष के भूतलक्षी प्रभाव से ५०० रुपये प्रति मास का विशेष वेतन दिया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय: इस प्रकार की जानकारी हम से नहीं पूछी जानी चाहिये। इसका सम्बन्ध विश्वविद्यालय से है। हम इस के बारे में कुछ नहीं जानते।

डा० रामाराव : मैं ये प्रश्न इस लिये पूछ रहा हूं क्योंकि विश्वविद्यालय घाटे में है और केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांग रहा है।

श्री के० डी० मालवीय: जब भी वह घाट में हो, वह इस प्रकार की सहायता मांग सकता है परन्तु साधारणतया हमें यह जानकारी नहीं मिल सकती क्योंकि नियमों के अधीन उस के लिये यह जानकारी देना अनिवार्य नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब भी केन्द्रीय सरकार कोई अनुदान मंजूर करती है, तो क्या वह यह नहीं देखती कि विश्वविद्यालय ठीक तरह से चल रहा है और अपना रुपया नष्ट नहीं कर रहा ? मेरे विचार में इस मामले पर भी केन्द्रीय सरकार को विचार करना चाहिय।

श्री के० डी० मालवीय : बात यह है कि लेखा-परीक्षा की जा रही है, और उस के बाद, जसा कि आप ने सुझाव दिया है, इस की प्रार्थना पर विचार किया जायगा।

डा० रामाराव : क्या यह विश्वविद्यालय एक केन्द्र द्वारा प्रशासित विश्वविद्यालय नहीं है और ऐसा होते हुये, सरकार को यह बातें कसे विदित नहीं हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो एक तर्क है। माननीय मंत्री ने कहा है कि प्रार्थना अभी उन के पास नहीं आई।

श्री केलप्पन : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि यह एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, क्या माननीय मंत्री अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री के० डी० मालवीय : यदि माननीय सदस्य चाहते हैं. तो मैं अवश्य प्राप्त करूंगा।

श्री नामधारी : मैं जान सकता हूं कि क्या अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों की तरह सरकारी सहायता की समान सुविधायें प्राप्त हैं, और यदि नहीं, तो इस का क्या कारण है ?

श्री के० डी० मालवीय : सभी विश्वविद्यालय सहायता मांग सकते हैं और हम सब से समान व्यवहार करते हैं।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या इस विश्वविद्यालय के लेखे की जांच करने के लिये और सरकार को रिपोर्ट करने के लिये कोई पदाधिकारी नियुक्त किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : लेखा-परीक्षा की जा रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

संघ का लेखा

*९१७. **श्री राम चन्द्र रेड्डी : वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ का लेखा भारत के संविधान के अनुच्छेद १५० के अन्तर्गत नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रख्यापित रीति के अनुसार रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो उन से कब परामर्श लिया गया था और यह रीति कब प्रख्यापित की गई थी; तथा

(ग) क्या संघ सरकार इस रीति के अनुसार चल रही है और यदि हां, तो कब से ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). वर्तमान संविधान के लागू होने से संघ और राज्यों के लेखे के रूप में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ और यदि कोई किया गया तो यह अनुच्छेद १५० के उपबन्ध के अनुसार किया जायेगा ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : मैं जान सकता हूं कि क्या संविधान के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करने का दायित्व निभाया गया है ?

श्री त्यागी : संविधान के अनुसार नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से ही कोई परिवर्तन किया जा सकता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि क्या इस सदन द्वारा लोक लेखा समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के लिये कोई दिन निश्चित किया जाता है ? श्रीमान् जैसा कि आप को ज्ञात है, यह समिति भारत सरकार का सारा लेखा देखती है ।

श्री त्यागी : मेरे विचार में लोक लेखा समिति लेखा रखने की प्रणाली की जांच नहीं करती । यह केवल भारत सरकार के धन के लेखे की जांच करती है ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि लोक लेखा समिति लेखा प्रणाली की जांच करती है ?

श्री त्यागी : जी नहीं । लेखा रखने की प्रणाली स्वयं संविधान द्वारा निश्चित की जाती है । संविधान में संशोधन किये बिना न तो लोक लेखा समिति और न ही यह संसद् इसमें कोई परिवर्तन कर सकता है ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या महालेखापरीक्षक के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करने के लिये संसद् में कोई विधेयक पुरःस्थापित करने का विचार है ?

श्री त्यागी : महालेखा परीक्षक के अधिकार और कर्तव्य अनुविहित अधिकार हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ? यहां केवल लेखे की प्रणाली का उल्लेख है । माननीय सदस्य का प्रश्न एक और विशाल मामले के सम्बन्ध में है ।

श्री एस० एल० द्विवेदी : श्रीमान्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या लोक लेखा समिति की रिपोर्ट पर, जोकि समय समय पर भारत सरकार के लेखे की जांच करती है, चर्चा करने के लिये कोई दिन निश्चित किया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह भी इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि सरकार ने एक या दो विभागों में लेखा-प्रणाली की जांच

करने के लिये अपने पदाधिकारियों की समितियां नियुक्त की हैं और इन समितियों में कोई लेखा परीक्षक नहीं है ?

श्री त्यागी : मैं मानता हूं कि मैं भारत सरकार की लेखा प्रणाली और इस के संघटन की पूरी परीक्षा नहीं कर सका, किन्तु हमें जो रिपोर्टें प्राप्त होती हैं उन्हें देखकर मेरा विचार है कि सारी लेखा प्रणाली और सम्बन्धित नियमों तथा विनियमों की एक सविस्तार जांच करने की आवश्यकता है । किन्तु, जैसा कि मैं ने कहा है भारत सरकार केवल नियन्त्रक महा लेखा परीक्षक की, जो कि लेखा-परीक्षा तथा लेखे के लिये उत्तर-दायी है, मंत्रणा के अनुसार चल सकती है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सत्य है कि हीराकुड में सरकार द्वारा नियुक्त मेकेलवी समिति ने लेखा संहिता की जांच करनी थी और एक नई प्रणाली निकालनी थी ?

श्री त्यागी : यह प्रश्न विभागों के लेखे के सम्बन्ध में है और महागणकों के कार्यालयों के सम्बन्ध में नहीं जो कि महालेखा परीक्षक के प्रत्यक्ष नियन्त्रण के आधीन कर रहे हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या मूल सहिता, जिसे अब संशोधित किया जाना है महालेखा परीक्षक द्वारा बनाया गया था या उन की सलाह से बनाया गया था ?

श्री त्यागी : पूरा उत्तर प्राप्त करने के लिये मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे एक पृथक् प्रश्न पूछें ।

प्रौढ़ शिक्षा

*९१८. **श्री शिवमूर्त्ति स्वामी : शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा के लिये किसी अमेरिकन शिक्षा शास्त्री को बुलाया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उप मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : यू० एस० ए० टैकनिकल सहयोग प्रशासन के अधीन डा० फ्रैंक सी० लाबैक, प्रौढ़ साक्षरता प्रशिक्षण के प्रसिद्ध अमेरिकन विशेषज्ञ इस समय भारत में हैं और सामुदायिक विकास योजनाओं की आवश्यकताओं के अनुकूल साक्षरता के पाठ तैयार कर रहे हैं । डा० लाबैक, राज्यों की प्रादेशिक भाषाओं में सामाजिक शिक्षी साहित्य तैयार करने और उन के पदाधिकारियों को अपनी प्रणाली के अनुसार प्रशिक्षित करने में भी राज्य सरकारों को सहायता दे रहे हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या वे प्रादेशिक भाषायें जानते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे विचार में वे जानते हैं ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का कारखानों के और अन्य मज़दूरों के लिये अनिवार्य शिक्षा शुरू करने के सम्बन्ध में उस विशेषज्ञ से परामर्श लेने का विचार है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि कारखानों के मज़दूर सब प्रौढ़ हैं ।

श्री के० के० बसु : अमेरिकन विशेषज्ञ बुलाने से पहले क्या सरकार ने रूस से विशेषज्ञ मंगवाने का प्रयत्न किया था जहां हाल के वर्षों में प्रौढ़ निरक्षरता का बड़ी सफलता से मुकाबला किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : डा० लाबैक का प्रौढ़ साक्षरिता का तरीक़ा इतना प्रसिद्ध है कि हमने किसी और स्थान पर प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं समझी ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : उन लोगों को बुलाने से पहले जो कि हमारी स्थिति या प्रादेशिक भाषाओं को नहीं जानते, क्या

शिक्षा मंत्रालय ने सारे मामले की जांच करने के लिये प्रौढ़ शिक्षा विशेषज्ञों का एक सम्मेलन बुलाने या समिति बनाने का कोई प्रयत्न किया है ?

श्री के० डी० मालवीय : सारे मामले पर विचार किया गया था। यह एक विशिष्ट विषय है और हमारे देश में विशेषज्ञ अधिक नहीं हैं। लावैक प्रणाली के अनुसार शिक्षा जल्दी से और रुचिकर तरीके से दी जाती है। अतः हम ने डा० लावैक के अनुभव से लाभ उठाना उचित समझा।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या यह सत्य है कि विज्ञान के जो सिद्धान्त रूस में प्रचलित हैं, वे विश्व के अन्य देशों में प्रचलित सिद्धान्तों से बिल्कुल भिन्न हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस पक्ष से भी और उस पक्ष से भी जानकारी दे रहे हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या इन विशेषज्ञों को निमंत्रण देने से पूर्व अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संस्था से परामर्श कर लिया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : उन सब लोगों से जिन से परामर्श किया जा सकता था, सरकार ने परामर्श कर लिया था।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या शिक्षा मंत्रालय ने कोई ऐसी प्रक्रिया या तरीका निर्धारित किया है, जिस से डा० लावैक उन सब विचारों तथा जानकारी को प्राप्त कर सकें, जो कि हमारे अपने विशेषज्ञों के पास है ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे विचार में ऐसी व्यवस्था है जिस के अधीन हमारे देश के विशेषज्ञ और डा० लावैक विचार विनिमय कर सकते हैं।

* * * *

श्री सारंगधर दास : प्रत्यक्षतः भिन्न भिन्न देशों में प्रौढ़ शिक्षा की भिन्न भिन्न प्रणालियां हैं। क्या सरकार ने इन सब का अध्ययन किया है और क्या इस ने अमेरिकन या डा० लावैक की प्रणाली को उत्तम पाया है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे विश्व में प्रचलित प्रौढ़ शिक्षा की सब प्रणालियों का ज्ञान नहीं है। किन्तु हम ने डा० लावैक को बुलाना और उन की प्रणाली से लाभ उठाना उचित समझा है।

श्री सारंगधर दास : क्या सरकार ने इस प्रणाली की अन्य प्रणालियों से तुलना की है ?

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार जो कि सत्तारूढ़ है अपनी शक्ति के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा आदि के बारे में कुछ कार्य करना चाहती है। पक्ष विपक्ष की और देश में उपलब्ध सामग्री की जांच करने के बाद वह विदेशों से विशेषज्ञ बुलाती है। इन प्रश्नों की कोई सीमा होनी चाहिये। यदि वे इन विशेषज्ञों की तुलनात्मक योग्यता से सन्तुष्ट नहीं है, तो वे एक दिन यहां आ सकते हैं, और अपनी इच्छानुसार प्रशासन चला सकते हैं।

बहुत से माननीय सदस्य उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। मैं और प्रश्नों की आज्ञा नहीं देता। यह कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। लगभग सारे प्रश्न इस सदन में अविश्वास के प्रश्न हैं।

त्रिपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा दल

*९१९. **श्री दशरथ देव :** (क) राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने पशु-चिकित्सा केन्द्र हैं, तथा

(ख) क्या पहाड़ी क्षेत्रों में महामारी के कारण इस वर्ष बहुत से पशु मरे हैं ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) अगरताला उदयपुर और

*अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार यह भाग निकाल दिया गया—संपादक प्रकाशन विभाग

कैलासाहार के विभागीय मुख्यालयों पर जो पशु-चिकित्सालय हैं, वे ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं । जब भी जरूरत पड़े, इन मुख्यालयों से चलन्तु दल भेजे जाते हैं ।

(ख) जी नहीं ।

श्री दशरथ देव : क्या सरकार पशु-चिकित्सा केन्द्रों की वर्तमान संख्या को पर्याप्त समझती है और यदि नहीं, तो क्या नये केन्द्र खोलने की कोई योजना है ?

गृह उपमंत्री (श्री दातार) : सरकार अगले पांच वर्षों में कुल दस केन्द्र खोलेगी जिन में से तीन खोले जा चुके हैं ।

श्री दशरथ देव : मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इन पशु-चिकित्सा केन्द्रों पर कितना रुपया खर्च किया है ?

श्री दातार : मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री दामोदर मेनन : क्या सरकार पशु-चिकित्सा सम्बन्धी प्रश्नों पर परामर्श देने के लिये एक विदेशी विशेषज्ञ को मंगाने की वांछनीयता पर विचार कर रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो चुका है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

निर्वाचक गण सदस्यों (त्रिपुरा) की गिरफ्तारी

*९२०. **श्री दशरथ देव :** (क) राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि त्रिपुरा के तीन निर्वाचक-गण सदस्यों, अर्थात् श्री हेमन्त देव वर्मा, अतिकुल इस्लाम, और सिराजुल इस्लाम को अगस्त, १९५२ में गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें लगभग एक सप्ताह के लिये अगरताला जिला जेल के विभाग २ में विचाराधीन कैदी के रूप में रखा गया था और यदि हां, तो इन का क्या कारण था ?

(ख) क्या अगरताला जिला जेल का विभाग २ वास्तव में अन्य जेलों के विभाग ३ के समान हैं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि उक्त निर्वाचक-गण सदस्यों को, बाहर खुले स्थान पर खाना दिया गया था और कोई मच्छर दानियां नहीं दी गई थीं ?

(घ) क्या यह सत्य है कि उक्त जेल के अधीक्षक ने उन्हें इन्टरव्यू देने से इन्कार कर दिया था ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : श्री हेमन्त देव बर्मा, अतिकुल इस्लाम और सिराजुल इस्लाम को विचाराधीन कैदियों के रूप में अगरताला केन्द्रीय जेल के विभाग २ में रखा गया था । उनका यह वर्गीकरण उस न्यायालय ने किया था जिस के समक्ष उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा ३०२ और धारा १०९ के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा रहा था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस सम्बन्ध में उन के साथ विभाग २ के कैदियों जैसा व्यवहार किया गया था और कोई विभेद नहीं किया गया था ।

(घ) जी नहीं ।

त्रिपुरा में खनिज संसाधन

*९२१. **श्री दशरथ देव :** (क) **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे कि क्या विदेशियों के किसी दल ने हाल में तेल तथा खनिज संसाधनों की खोज में त्रिपुरा की यात्रा की है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने त्रिपुरा में एक तेल की खान

चलाने के लिये किन्हीं अमेरिकन तेल कम्पनियों से एक समझौता किया है और यदि हां, तो इस समझौते की शर्तें क्या हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जांच करने के लाइसेंस, खोज निकालने के लाइसेंस और पैट्रोलियम निकालने के पट्टे केन्द्रीय सरकार से अनुमोदन लेने के पश्चात् पैट्रोलियम रियायत नियम १९४९ के अनुसार दिये जाते हैं । त्रिपुरा में दिये गये इन लाइसेंसों तथा पट्टों का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या ३६]**

मनीपुर में जिला परिषद्

*९२२. **श्री रिशांग किशिंग**: (क) **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि प्रधान मंत्री के मनीपुर के दौरे के दौरान में कुछ आदिमजाति सगठनों ने उन से मनीपुर की पहाड़ियों में एक सवायत्त जिला परिषद् स्थापित करने की मांग की थी ?

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या उन की इस मांग को पूरा करने के लिये सरकार ने उन्हें कोई आश्वासन दिय है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क)प्रधान मंत्री के दौरे के दौरान में माऊो माटम नागा आदि जाति की ओर से एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस में अन्य बातों के साथ मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में एक जिला परिषद् स्थापित करने की मांग की गई थी।

(ख) जी नहीं ।

भारत आय-कर अधिनियम की धारा १५-ख के अन्तर्गत विमुक्ति

*९२३. **श्री एम० एल० अग्रवाल : वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे नियम क्या हैं, यदि कोई हैं, जो कि पूर्त-संस्थाओं को भारतीय आय-कर अधिनियम की धारा १५-ख के अन्तर्गत विमुक्ति देने की अनुमति देने में सरकार का पथ-प्रदर्शन करते हैं ;

(ख) क्या सरकार का इन नियमों की एक प्रतिलिपि को सदन पटल पर रखने का विचार है ; तथा

(ग) यदि ऐसा कोई नियम नहीं है, तो वे कौन सी बातें हैं, जिन के आधार पर भारतीय आय-कर अधिनियम की धारा १५-ख के अन्तर्गत विमुक्ति देने की अनुमति के लिये प्रार्थना पत्र को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : (क) भारतीय आय-कर अधिनियम की धारा १५-ख के अन्तर्गत पूर्त संस्थाओं को विमुक्ति देने की अनुमति देने के लिये सरकार का पथ-प्रदर्शन करने के लिये कोई नियम नहीं हैं।

(ख) भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए ऐसे कोई नियम नहीं हैं जिन्हें सदन पटल पर रखा जाये ।

(ग) पूर्त-संस्थाओं को मंजूरी देने के सम्बन्ध में मोटे सिद्धान्त ये हैं—

(१) साधारणतया संस्था ऐसी होनी चाहिये जिसकी राज्य सरकार ने सिफारिश की हो ;

(२) संस्था केवल स्थानीय महत्व की नहीं बल्कि कम से कम प्रान्तीय महत्व की होनी चाहिये ;

(३) संस्था के उद्देश्य पूर्ण रूप से धर्मार्थ होने चाहिये ;

(४) संस्था पूर्ण रूपने तथा स्पष्टत:

असामप्रदायिक होनी चाहिये ;

(५) विश्वविद्यालयों और कालेजों जैसी शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं को छोड़ कर संस्था ऐसी नहीं होनी चाहिये जिसे भारतीय आय-कर अधिनियम की धारा १० (२) (१३) के प्रयोजनों के लिये मंजूरी दी गई ।

इन्स्टीट्यूट आफ टेकनालोजी, खड़गपुर

* ९२४. **श्री सी० आर० चौधरी :** **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि खड़गपुर में भारत सरकार के इन्स्टीट्यूट आफ़ टेकनालोजी के लिये ब्रिटेन से क्या सहायता ली गई है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : इन्स्टीट्यूट को औद्योगिक प्रशासन और व्यापार प्रबन्ध के पाठ्यक्रम जारी करने के विषय पर सलाह देने के लिये, ब्रिटेन ने प्रो० जी० ए० रोबिन्सन को भेजा है । उस ने लगभग ३५००० पौंड मूल्य के मशीनी औज़ार का सामान देना भी मंजूर कर किया है । यह सहायता कोलम्बो योजना के अधीन प्राप्त की जा रही है ।

अधि-कर आदि

*९२५. **श्री के० के० बसु : वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष तथा चालू वित्तीय वर्ष में अधि-कर, आय-कर और निगम-कर के संग्रह में कमी हुई है ;

(ख) प्रत्येक मद के अधीन कुल राशि क्या है ;

(ग) कर दाताओं के कौन से समूह या वर्ग से कम आय प्राप्त हो रही है; तथा

(घ) यह कमी कितनी है ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । चालू वर्ष में अधि-कर, आय-कर और निगम-कर के संग्रह में अब तक कोई कमी नहीं हुई, परन्तु चूंकि सारे वर्ष के कुल संग्रह का मुख्य भाग वर्ष के पिछले ६ मासों में लिया जाता है, अतः पहले ६ मासों के आंकड़ों से सारे वर्ष के संग्रह का ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

(ख) भाग (क) में उल्लिखित मदों के अधीन अप्रैल से सितम्बर तक की अवधि म इकट्ठी की गई कुल राशियां ये हैं :—

	रुपये लाखों में	
	१९५१	१९५२
निगम कर	७७३	११,२०
आय-कर तथा अधि-कर	२८,५०	३१,२४

आय-कर और अधि-कर के पृथक् पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) तथा (घ). आय के विभिन्न समूहों से होने वाले संग्रह के आंकड़ों का सकलन वर्ष में केवल एक बार किया जाता है और इस समय यह कहना संभव नहीं कि विशिष्ट वर्ग पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम आय दे रहा है ।

स्लेट के पत्थर

*९२६. **श्री अमजद अली : प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या आसाम के अयजाल से सिलचार तक के सड़क-प्रदेश में स्लेट के पत्थर बड़ी मात्रा में पाये जाते हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : भारत के भूगर्भीय परिमाप के पास इस सड़क के साथ साथ स्लेट पाये जाने का कोई प्रमाण नहीं है ।

विडूर

*९२७. **श्री तेलकीकर : प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री

यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) विडूर भारत के किन किन भागों में पाया जाता है ; तथा

(ख) भारतीय कारखानों में किन किन प्रयोजनों के लिये इस का प्रयोग किया गया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) वैडूर्य खनिज (विडूर की कच्ची धात) राजपूताना और बिहार तथा मद्रास राज्यों के कुछ भागों में पाई जाती है।

(ख) भारतीय कारखानों में अभी तक विड्र का प्रयोग नहीं किया गया।

टकसाल

***९२८. श्री तेलकीकर :** वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की टकसालों ने सीलोन सरकार के लिये टंकण का कार्य किया था;

(ख) यदि हां, तो सीलोन के सिक्कों के लिये कौन सी धातों का प्रयोग किया गया था; तथा

(ग) भारतीय टकसालों में तैयार किये गये सीलोन के सिक्कों क नाम तथा मूल्य क्या हैं ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) निकल और पीतल की मिश्रित धातु, जिस में ७९ प्रतिशत तांबा, २० प्रतिशत जस्त और १ प्रतिशत निकल होता है।

(ग) १९५१ और १९५२ में ५० सैंट, २५ सैंट, १० सैंट और २ सैंट के सिक्के जिन का मूल्य सीलोनी रुपयों में क्रमश: ४५ लाख ४२.५ लाख, २२ लाख और ३ लाख था, बनाये गये थे।

संयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा

***९२९. डा० जाटव-वीर :** गृह कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ में संयुक्त भारतीय प्रशासनीय सेवा परीक्षा में कितने उम्मेदवार बैठे थे ;

(ख) पिछले चार वर्षों में अनुसूचित जातियों के कितने उम्मीदवार इस प्रकार की परीक्षाओं में बैठे थे ;

(ग) इन चार वर्षों में भारतीय प्रशासनीय सेवाओं के लिये कितने उम्मीदवार चुने गये थे; तथा

(घ) इन वर्षों में इन सेवाओं के लिये अनुसूचित जातियों के कितने उम्मीदवार चुने गये थे ?

गृहकार्य उपमंत्री (श्री दातार) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३७]**

विशेष वेतन

***९३०. श्री सिंहासन सिंह :** गृह कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार अपने कुछ पदाधिकारियों को प्रति वर्ष कितना विशेष वेतन दे रही है, इन विशेष वेतनों की दरें क्या हैं और यह विशेष वेतन किन किन पदों पर मिलता है ;

(ख) इन विशेष वेतनों को देने के क्या कारण हैं ; तथा

(ग) क्या सरकार इन विशेष वेतनों को बन्द करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के ऐसे पदों को जिन पर कि संगठित सेवाओं

के सदस्यों को नियुक्त किया जाना होता है सामान्यतया उन के साथ संबद्ध कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के प्रकार और महत्व के अनुसार कई एक श्रेणियों में बांट दिया जाता है। यदि मोटे तौर पर कहा जाये तो प्रत्येक श्रेणी के विभिन्न पदों का वेतन या वेतनस्तर एक ही होता है। इस प्रकार के पदों पर नियुक्त पदाधिकारियों की खुले रूप से अदलाबदली की जा सकती है किन्तु कुछ ऐसे पद भी हैं, जिन में कि स्पष्ट रूप से बहुत अधिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता होती है और जिन पर केवल उन्हीं चुने हुए पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाता है जिन्हों ने अपनी योग्यता और कार्योपयोगिता को सिद्ध कर दिया हो। इस प्रकार के पदाधिकारियों को प्रायः कुछ अधिक दर से पारिश्रमिक देने की प्रथा है और ऐसा करने का सामान्य ढंग इस प्रकार के पदों के साथ कुछ थोड़ा सा विशेष वेतन जो देने का है जिसे कि वे पदाधिकारी उन पदों पर कार्य करते हुए अपनी सामान्य श्रेणी के वेतन के अतिरिक्त प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के पदों पर नियुक्ति के लिये चुने जाने की आशा से जिन पर कि थोड़ा सा अधिक परिश्रमिक मिलता है, कार्यक्षमत को बनाये रखने में प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रणाली से पदाधिकारियों के एक विस्तृत क्षेत्र में से चुनाव करने की भी सुविधा मिल जाती है जिस से कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को अत्यधिक उत्तरदायित्व के स्थानों में नियुक्त किया जा सके, जो कि विशेष रूप से योग्य तथा समर्थ हों।

कई बार ऐसा भी होता है कि किसी श्रेणी के कुछ पद किसी अत्यधिक अस्वास्थ्यकर अथवा दुर्गम स्थान में स्थित होते हैं। इस प्रकार के मामलों में भी उस पद के साथ कुछ थोड़ा सा विशेष वेतन जोड़ कर उसके पारिश्रमिक को बढ़ा देने की प्रथा है। इस प्रकार के मामलों में कोई भेदभाव की भावना अन्तर्हित नहीं है क्योंकि सम्बद्ध पदाधिकारी साधारणतया अपने साथ अपने परिवारों को नहीं ले जा सकते और उन्हें दो स्थानों पर खर्च की व्यवस्था करनी पड़ती है।

(ग) विशेष वेतन को सम्पूर्णतया हटा देने या वापस ले लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि व्यक्तिगत मामलों पर इस दृष्टि से विचार किया जाता रहेगा कि उन के साथ संलग्न विशेष वेतनों को जारी रखना न्यायसंगत है या नहीं।

भारतीय पदाधिकारी जिन के घर पाकिस्तान में हैं

*९३१. **श्री यू० एम० त्रिवेदी : गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में अभी कितने गज़ेटेड पदाधिकारी ऐसे हैं जिन के घर पाकिस्तान में हैं?

(ख) ये पदाधिकारी पाकिस्तान को कितना रुपया भेजते हैं?

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). इस अनुमान से कि "वे पदाधिकारी जिन के घर पाकिस्तान में हैं" इस वाक्य का निर्देश केवल उन पदाधिकारियों की ओर है जिन का स्थायी निवास स्थान पाकिस्तान में है, जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

बुनाई का वरिष्ट उपध्याय

*९३२. **श्री पी० सुब्बाराव : शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालीटेकनीक इन्स्टीटयूट दिल्ली में बुनाई के वरिष्ट उपाध्याय का पद कितने समय से रिक्त है ;

(ख) रिक्त पद पर नियुक्ति करने के लिये सरकार का क्या पग उठाने का विचार है और यह नियुक्ति कब की जायेगी ; तथा

(ग) क्या इस पद को बहुत समय तक रिक्त रखने के कारण तृतीय वर्ष के वस्त्र

निर्माण टेकनालोजी के विद्यार्थियों को अप्रैल १९५२ के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी ?

शिक्षा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) यह पद १० जुलाई, १९५२ से रिक्त पड़ा है।

(ख) पद पर नियुक्ति करने का काम संघ लोक सेवा आयोग को सौंप दिया गया है। आयोग ने विज्ञापन देकर २२ नवम्बर, १९५२ तक प्रार्थनापत्र बुलाये हैं। यदि उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुआ तो दिसम्बर तक नियुक्ति हो जाने की संभावना है।

(ग) जी हां। संभव है कि तृतीय वर्ष के वस्त्र-निर्माण टेकनालोजी के नैशनल डिपलोमा कोर्स के विद्यार्थियों को मई, १९५३ के मध्य तक पढ़ाई जारी रखनी पड़े।

नई दिल्ली में राजस्थान राज्यों के भवन

*९३३. **श्री भीखा भाई** : **राज्य मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में राजस्थान के प्रसंविदाकारी राज्यों के कोई भवन हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये भवन कितने हैं और इन के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या ये राजस्थान राज्य सरकार के दखल में हैं या केन्द्रीय सरकार के ; तथा

(घ) यदि ये केन्द्रीय सरकार के दखल में हैं, तो राजस्थान सरकार और केन्द्रीय सरकार के मध्य क़रारों की, यदि ऐसे कोई क़रार हैं, शर्तें क्या हैं ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) जी हां।

(ख) छः। जयपुर हाउस, बीकानेर हाउस, कोटाह हाउस, जैसलमेर हाउस, धौलपुर हाउस और भरतपुर हाउस।

(ग) ये भवन अधिकांशतया केन्द्रीय सरकार के दखल में हैं।

(घ) अभी पट्टे की शर्तों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

ग्रामों का बम्बई को पुनः हस्तांतरण

*९३४. **श्री माधव रेड्डी** : **राज्य मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १०४ ग्रामों को जिन्हें दो वर्ष पूर्व हैदराबाद और बम्बई के बीच घिरे हुए स्थानों के पुनर्समन्वय सम्बन्धी क़रार के फलस्वरूप हैदराबाद राज्य में विलीन कर दिया गया था, पुनः बम्बई को हस्तांतरित कर देने के लिये सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था; तथा

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार का क्या करने का विचार है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां।

(ख) मैं माननीय सदस्य का ध्यान १३ जून, १९५२ को श्री पाटसकर के प्रश्न संख्या ८२२ के उत्तर में दिये गये स्पष्टीकरण की ओर दिलाना चाहूंगा। अतः इन ग्रामों के पुनः हस्तांतरण का प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसधान योजनायें

*९३५. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालयों में कौन सी अनुसन्धान योजनाओं के लिये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् धन लगा रही हैं ?

(ख) चालू वर्ष में प्रत्येक विश्वविद्यालय को इस प्रयोजन के लिये कितना रुपया दिया जा रहा है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसं ान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३८]

सेना के प्रयोग में लाई हुई कृषि भूमि (काश्मीर)

*९३६. **सूफ़ी मुहम्मद अकबर :** रक्षामंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना के प्रयोग में लाई हुई कृषि भूमियों के सम्बन्ध में जम्मू और काश्मीर राज्य में कितने मामलों में प्रतिकर दिया जाना है ; तथा

(ख) इन में कितने मामलों में प्रतिकर दे दिया गया है और कितनों में अभी देना शेष है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री स ेश
(क) ७०६।

(ख) ९६ मामलों में राज्य सरकार ने प्रतिकर दे दिया है। शेष ६१३ मामले अभी विचाराधीन हैं परन्तु समय समय पर राज्य सरकार को इन्हें शीघ्र निपटाने के लिये कहा जाता है।

भारतीय आदिवासी

*९३७. **श्री डामर :** (क) गृह कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने भारतीय संविधान में व्यवस्थित आदिवासियों की भलाई के लिये किसी राज्य या प्रान्त के किसी आदिवासी क्षेत्र को विकसित करने के लिये पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया है ?

(ख) यदि किया है तो वह योजना क्या है और किस प्रान्त या राज्य के किस आदिवासी क्षेत्र में कार्यान्वित की जायेगी ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) तथा (ख). अनुसूचित आदिमजातियों की भलाई तथा अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रम राज्य सरकारों के अपनी योजनाओं में सम्मिलित हैं। पंचवर्षीय योजना के अधीन इस प्रयोजन के लिये लगभग १० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस के अतिरिक्त, सरकार उत्तर पूर्वी सीमा अभिकरण के विकास कार्य-क्रम के लिये, जिस पर योजना काल में अनुमानतः ३ करोड़ रुपये खर्च आयेगा, स्वयं रुपया दे रही हैं।

पुरातत्व अनुसंधान विभाग

३३८. **श्री शिवामूर्ति स्वामी :** (क) शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कर्नाटक विश्वविद्यालय सीनेट ने विश्वविद्यालय में पुरातत्व (अनुसंधान) विभाग खोलने के लिये भारत सरकार से अनुदानों के लिये प्रार्थना की है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या पग उठाये हैं ?

(ग) क्या किसी पदाधिकारी या विशेषज्ञ को इस मामले की जांच करने के लिये नियुक्त किया गया है ?

(घ) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला है ?

(ङ) कर्नाटक विश्वविद्यालय को केन्द्र द्वारा प्रति वर्ष कुल कितना अनुदान दिया जा रहा है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). उत्पन्न नहीं होते।

(ङ) केन्द्रीय सरकार कर्नाटक विश्वविद्यालय को अनुदान देने के लिये उत्तरदायी नहीं है। तथापि उच्च शिक्षा के विकास के लिये पंचवर्षीय योजना के एक अंश के रूप में राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देने का प्रश्न इस समय विचाराधीन है।

सामाजिक कल्याण सम्बन्धी मंत्रणा बोर्ड

३३९. **श्री एस० एन० दास : शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) सामाजिक कल्याण सम्बन्धी मंत्रणा बोर्ड की वे महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें कौन सी हैं जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत तथा कार्यान्वित किया गया है ; तथा

(ख) वे सिफ़ारिशें क्या हैं जो कि स्वीकार तो की गई हैं किन्तु अब तक कार्यान्वित नहीं की गई ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या ३९**]

(ख) भारत सरकार की स्वीकृति के लिये केवल एक सिफ़ारश थी, जो कि विचाराधीन है ।

त्रिपुरा में आपराधिक मामले

३४०. **श्री बीरेन दत्त** : राज्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में हाल में पुलिस ने बहुत से आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाहीं की है ;

(ख) क्या इन मामलों में कार्यवाही ठीक तरह से की गई थी या नहीं ;

(ग) यदि (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो, १९५१ से कितनें मामलों में दंड दिया गया है ?

(घ) क्य कुछ मामले ऐसे हैं जिन म न्याय निर्णय के अधीन व्यक्ति दो साल से अधिक समय के लिये जेल में रक्खे गये थे ; और

(ङ) भाग (घ) में उल्लिखित इस प्रकार के मामलों की संख्या क्या है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) १९५१ में और १९५२ के पहले ६ मासो में त्रिपुरा में पुलिस ने ७०५७ आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही की है ।

(ख) जी हां ।

(ग) कुल पंजीबद्ध मामलों में से ५४२ मामलों में अधिरोप-पत्र दिये गये थे और ५८ मामलों में दंड दिया गया था ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) उत्पन्न नहीं होता ।

सैनिक कैम्प

३४१. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : (क) **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत युद्ध में भारत में कितने सैनिक कैम्प बनाये गये थे ?

(ख) इन में कितने बिल्कुल गिरा दिये गये थे कितने आधे गिरा दिये गये थे और कितने अभी वैसे खड़े हैं ?

(ग) क्या सरकार का शेष कैम्पों को भी गिरा देने का विचार है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तथा (ख). अधिग्रहीत और किराये की भूमियों पर ५७७० कैम्प बनाये गये थे । इन में से ५२०३ गिरा दिये गये हैं या बेच दिये गये हैं। अब ५६७ शेष हैं ।

सरकारी भूमियों पर बनाये गये कैम्पों के सम्बन्ध में जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ग) परिस्थितियों और प्रत्येक कैम्प की हालत को ध्यान में रखते हुए उन कैम्पों को जो रक्षा विभाग के लिये फालतू हैं, सरकार के हित में बेच दिये जायेंगे ।

आग्नेयास्त्र

३४२. **रिशांग किशिंग** : राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर सरकार ने १५ अक्तूबर, १९४९ से आज तक कितने और किस किस प्रकार के आग्नेयास्त्र इकट्ठे किये हैं ;

(ख) क्या पहाड़ी लोगों ने इनको इकट्ठा करने में सहायता तथा सहयोग दिया था ;

(ग) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार को इन अस्त्रों को इकट्ठा करने के सम्बन्ध में अन्धा धुन्ध छापों, गिरफ्तारियों और पुलिस द्वारा निर्दोष ग्रामीणों को पीटने की कुछ घटनाओं की सूचना दी गई थी ;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की घटनाओं की संख्या क्या थी ;

(ङ) क्या यह सत्य है कि विशेष पुलिस के अस्त्र इकट्ठा करने के प्रभारी सब-इन्स्पैक्टर ने ग्रामीणों की बहुत से आग्नेयास्त्र जारी किये थे ; तथा

(च) यदि हां, तो इस प्रकार कितने आग्नेयास्त्र जारी किये गये थे और क्या उसे ऐसा करने का प्राधिकार था ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) मनीपुर प्रशासन से जो अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उस से पता चलता है कि राज्य द्वारा निम्नलिखित आग्नेयास्त्र इकट्ठे किये गये हैं :

क़िस्म	संख्या
(१) जापानी राइफ़ल्स	२,४११
(२) जापानी राइफ़ल बैरल्स	३५३
(३) चीनी राइफ़ल्स	२६
(४) चीनी राइफ़ल बैरल्स	८
(५) चीनी गन	३
(६) ब्रिटिश राइफ़ल्स	१,१९०
(७) ब्रिटिश राइफ़ल बैरल्स	१६३
(८) अमेरिकन राइफ़ल्स	५८
(९) एस बी एम एल गन	७०
(१०) एस बी एम एल गन बैरल्स	१५४
(११) एस बी बी एल गन	८
(१२) डी बी बी एल गन	१०
(१३) ब्रिटिश एल एम जी	२४
(१४) ब्रिटिश एल एम जी बैरल	३१
(१५) जापानी एम एल जी	१
(१६) २" मार्टर	१
(१७) ३" मार्टर	१
(१८) जापानी मशीनगन	७४
(१९) जापानी मशीनगन बैरल	१
(२०) जापानी एन्टीटैंक गन	३
(२१) ब्रिटिश एन्टीटैंक गन	५
(२२) टामी गन	६९
(२३) टामी गन बैरल	१६
(२४) स्टेन गन	९६
(२५) स्टेन गन बैरल	११
(२६) ब्रैन गन	२७
(२७) ब्रैन गन बैरल	६०
(२८) देसी गन	४२
(२९) पिस्तौल	१८
(३०) जापानी पिस्तौल	२
(३१) अमेरिकन पिस्तौल	५
(३२) रिवाल्वर .४५	४
(३३) ब्रिटिश रिवाल्वर	२
(३४) जापानी रिवाल्वर	२
(३५) अमेरिकन रिवाल्वर	२
(३६) रिवालवर	२६
(३७) बुलिट डिस्चार्जर	२
(३८) टामसन सब मशीनगन	२
(३९) आटोमेटिक गन	४
(४०) सिगनल पिस्तौल	१३
(४१) बेयोनेट्स	३६८
(४२) गन बैरल	८९
(४३) विभिन्न प्रकार का गोला बारूद	१३६,७७५

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ). दो या तीन शिकायतें मिली थीं। इन की जांच की गई थी किन्तु

किसी मामले में आरोप सिद्ध नहीं हो सके थे।

(ङ) जी नहीं।

(च) उत्पन्न नहीं होता।

औद्योगिक तथा टैकनिकल शिक्षा

३४३. डा० जाटव वीर : **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति के लोगों को औद्योगिक तथा टेकनिकल शिक्षा देने के क्या तरीके हैं ;

(ख) उन की औद्योगिक तथा टेकनिकल शिक्षा पर आज तक प्रतिवर्ष कितना रुपया व्यय किया गया है ;

(ग) सरकार किस हद तक उन में औद्योगिक तथा टेकनिकल शिक्षा फैलाने में सफल हुई है ;

(घ) क्या यह सत्य है कि उन्हें सामान्यतया औद्योगिक और टेकनिकल संस्थाओं में प्रविष्ट नहीं किया जाता ; तथा

(ङ) यदि भाग (घ) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो इस मामले में सरकार का क्या पग उठाने का विचार है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) अनुसूचित जातियों को औद्योगिक तथा टेकनिकल शिक्षा देने का वही तरीका है जो कि अन्य समुदायों के लिये है।

(ख) चूंकि शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं का लेखा समुदाय-वार नहीं रखा जाता, इस लिये अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों प्रशिक्षण पर किये गये व्यय के बारे में कोई पृथक जानकारी उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार की अनुसूचित जाति के लोगों को उन की मैट्रीकुलेशन के बाद की पढ़ाई के लिये छात्रवृत्तियां देने की योजना के अधीन १९५२-५३ में टेकनिकल शिक्षा के लिये लगभग १,६२,७०० रुपये मूल्य की २४८ छात्रवृत्तियां दी गई हैं।

(ग) अनुसूचित जाति के लोगों में औद्योगिक तथा टेकनिकल शिक्षा का प्रसार करने में सरकार को सफलता प्राप्त हुई, उस का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यद्यपि १९४४-४५ में इस जाति के लोगों को १५ छात्रवृत्तियां दी गई थीं, १९५२-५३ में २४८ छात्रवृत्तियां दी गई हैं।

(घ) जी नहीं। लगभग सभी टेकनिकल संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लोगों के लिये स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं और प्रवेश के लिये निर्धारित न्यूनतम योग्यता की शर्त को पूरा करने वाले अनुसूचित जाति के उम्मेदवारों को, उस जाति के लिये सुरक्षित स्थान दिये जाते हैं। शेष स्थानों के लिये उन्हें अन्य उम्मेदवारों के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ती है।

(ङ) उत्पन्न नहीं होता।

जम्मू और काश्मीर संविधान सभा

३४४. डा० ए न० बी० खरे : **राज्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि काश्मीर संविधान सभा में जम्मू के प्रतिनिधि कौन कौन से हैं ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : जम्मू और काश्मीर सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य की संविधान सभा में जम्मू के प्रतिनिधि निम्न हैं। उन के नामों के के सामने कोष्टकों में उन के निर्वाचन-क्षेत्र दिये गये हैं :

(१) प० राम लाल (अखनूर)
(२) मि० मुहम्मद अय्यूबखां (अरनस)
(३) मि० महन्त राम (बसोली)
(४) प० रामचन्द खजूरिया (बिल्लावर)
(५) महाशा मेहरसिंह (बिश्ना)

(६) के० चूनी लाल (भद्रवाह)
(७) मि० अब्दुलग़नी गोनी (भलेसा-भुंजवाह)
(८) एस० चोला सिंह (छम्ब)
(९) मि० जमालुद्दीन (द्रहाल)
(१०) ख० गुलामअहमद द्यो (डोड़ा)
(११) मास्टर गुलाम अहमद (हवाली)
(१२) मि० गिरधारी लाल डोगरा (जसमेरगढ़)
(१३) श्रीमती ईशर देवी मैनी (जम्मू नगर उत्तरी)
(१४) श्रीमती राम देवी (जम्मू नगर दक्षिणी)
(१५) वजीर रामसरन (जन्द्रह-चराटा)
(१६) मि० प्यार सिंह (कठुआ)
(१७) मि० राम रखा (काहना-चक)
(१८) ख० गुलाम रसूल ! क्रायपाक (किश्तवार)
(१९) पं० भगतराम (लंडेर टिकरी)
(२०) मौलवी जमैतअलीशाह (भेंधार)
(२१) मि० कृष्णदेव सेठी (नौशहरा)
(२२) मि० सागर सिंह (परमंडल)
(२३) एस कुलवीर सिंह (पुंछ नगर)
(२४) भगत छज्जूराम (रणवीरसिंह-पुरा)
(२५) मि० अब्दुल अजीज़ शाल (राजौरी)
(२६) मि०हेमराज (राम नगर)
(२७) मि० मनसुखराय (रियासी)
(२८) मि० अब्दुल्ला मीर (रामबन)
(२९) एल० रामप्यारा सराफ़ (सांबां)
(३०) पं० मोतीराम (उधमपुर)

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी

३४५. श्री माधव रेड्डी : माननीय **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, देहरादून पर प्रतिवर्ष कितना व्यय किया जा रहा है ।

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का कुल वार्षिक व्यय लगभग ७२,००,००० रुपये है ।

Par. S. 18. VI. 1. 52.
285

अंक ६ — बृहस्पतिवार,

संख्या १ — ४ दिसम्बर, १९५२

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Conservation Unit
13.3.92
Fumigated
On 24.10.53
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय सूची

थगन प्रस्ताव—
जम्मू की स्थिति [पृष्ठ भाग १२१३—१२२३]
अनुपस्थिति की अनुमति [पृष्ठ भाग १२२३—१२२४]
१९५२-५३ के अनुदानों की अनुपूरक मांगों का प्रस्तुत किया जाना [पृष्ठ भाग १२२४]
पटल पर पत्र रख दिया गया—
पुनर्वास वित्त प्रशासन का प्रतिवेदन [पृष्ठ भाग १२२४]
औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—
खण्डों पर विचार असमाप्त [पृष्ठ भाग १२२४—१२८६]

(मूल्य ६ आने)

125 PSD

लोक सभा

बृहस्पतिवार, ४ दिसम्बर १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

११-४५ म० पू०

स्थगन प्रस्ताव

जम्मू की स्थिति

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना मिली है । एक तो इस के सम्बन्ध में है :

" (१) जम्मू प्रान्त के भारत समर्थक सत्याग्रहियों के वैधानिक अहिंसात्मक आन्दोलन को दबाने के लिये जम्मू और काश्मीर से भिन्न अन्य राज्यों की अर्थात् पंजाब और सौराष्ट्र की पुलिस का अवैध रूप से प्रयोग किया जा रहा है।

(२) भारत के पक्ष में भावनाओं को कुचलने के लिये सत्याग्रहियों के विरुद्ध झूठा प्रचार किया जा रहा है अर्थात् अखनूर में फ़र्नीचर का तोड़ा जाना तथा साम्बा में जनता द्वारा गोली-वर्षा और इसी प्रकार के झूठे आरोप लगाये जा रहे हैं।

(३) राज्य में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जाना।

(४) शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक जलूसों पर अश्रुगैस का प्रयोग तथा बार बार लाठी प्रहार किया जाना और अधमपुर, रणबीर-सिंहपुरा तथा भद्रवाह में सैंकड़ों पुरुषों तथा स्त्रियों को घायल किया जाना।

(५) भारतीय राष्ट्रजनों को खुले रूप में जम्मू में प्रविष्ट न होने देना।"

मुझे यह समझ नहीं आता कि जम्मू के प्रशासन से सम्बन्ध रखने वाली बहुत सी बातों को एक ही स्थगन प्रस्ताव में कैसे रखा जा सकता है। अश्रुगैस का प्रयोग और बार बार लाठी प्रहार किया जाना एक बात है। भारतीय राष्ट्रजनों को जम्मू में खुले रूप से प्रविष्ट न होने देना, एक बिल्कुल ही अलग बात है। यह आरम्भ कब हुआ था ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : अभी हाल ही में प्रतिबन्ध लगाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : हाल ही का तात्पर्य कब से है ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : अभी अभी. . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आज ग्यारह बजे ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : काश्मीर के आन्दोलन को भंग करन के लिये

उपाध्यक्ष महोदय : सब से पहिली बात तो यह है कि माननीय सदस्य अपन इस स्थगन प्रस्ताव को इन में से किस बात तक सीमित रखना चाहते हैं ? एक प्रस्ताव में केवल एक ही बात पर विचार किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि यह एक राज्य का विषय है। वहां की विधि और व्यवस्था के लिये राज्य उत्तरदायी है। मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहूंगा कि इस की कैसे अनुमति दी जा सकती है।

दूसरे पर भी यही आपत्ति है। यह भी " जम्मू और काश्मीर में सत्याग्रह जारी होन के पश्चात् वहां की दिन प्रति दिन बिगड़ती हुई गम्भीर स्थिति और उसके सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा अपनाये गये दमनकारी उपायों जिन में कि अश्रु गैस का प्रयोग तथा निर्दोष व्यक्तियों पर लाठी प्रहार भी सम्मिलित है " के सम्बन्ध में है। यह डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी का प्रस्ताव है। मैं इन्हें बारी बारी से बुलाऊंगा।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : श्रीमान् आप के सुझाव के अनुसार मैं अपना स्थगन प्रस्ताव भारतीयों के जम्मू और काश्मीर में प्रवेश निषेध के प्रश्न तक ही सीमित रखूंगा।

हमारे प्रधान मंत्री जी ने इस सदन में अपने एक वक्तव्य में कहा था कि भारतीयों के जम्मू और काश्मीर में प्रवेश पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रतिबन्ध कब लगाया गया था ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : समाचारपत्रों के अनुसार यह कल लगाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहूंगा कि इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया गया था और इस का ठीक ठीक समय क्या था। यदि यह पुराना होगा तो सदन इस पर विचार नहीं करेगा।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : यह समाचार आज प्रात: के 'टाइम्स आफ़ इंडिया' के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है। मैं दूसरे के विचारों को सुनता हूं।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : श्रीमान्, आप ने अभी कहा है कि इस विषय का सम्बन्ध एक विशेष राज्य से है और इसलिये आप यह जानना चाहते थे कि यह प्रकरण संगत कैसे है। मैं इसी बात पर कुछ कहूंगा।

श्रीमान्, हमारे नियमों में यह दिया हुआ है कि संसद् को केवल इसी आधार पर किसी विषय पर विचार करने से नहीं रोका जा सकता कि उस विषय का सम्बन्ध किसी विशेष राज्य से है। नियम ६० में लिखा है :

> "इन नियमों के उपबन्धों के अधीन किसी अत्यधिक सार्वजनिक महत्व के निश्चित विषय पर चर्चा करने के लिये अध्यक्ष की स्वीकृति से सदन की कार्यवाही के स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है।"

परन्तु मुझे यह विदित है कि अध्यक्ष महोदय पिछले कई अवसरों पर यह निर्णय दे चुके हैं कि साधारणतया सदन में एसे विषयों पर चर्चा की अनुमति नहीं मांगनी चाहियें जिन का मुख्य रूप से किसी विशेष राज्य से सम्बन्ध हो। श्रीमान्, मेरा यह नम्र निवेदन है कि जहां तक जम्मू तथा काश्मीर का सम्बन्ध है भारत का उस के साथ एक विशेष सम्बन्ध है। दूसरे, इस स्थिति का जो कि पहिले ही बहुत गंभीर है भारत काश्मीर के

सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है । अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर काश्मीर समस्या विचार पर भी इस का विपरीत प्रभाव पड़ सकता है और इस का वैदेशिक मामलों पर प्रभाव पड़ सकता है । यह एक ऐसा विषय है जिस के लिये सीधी भारत सरकार उत्तर-दायी है ।

इस के अतिरिक्त वहां जो कुछ हो रहा है उस के बारे में परस्पर विरोधी समाचार प्रकाशित हो रहे हैं । गोली चलने के, भारतीय झंडे को पैरों तले रौंदने के, समाचारों को छिपाने के समाचार मिले हैं; यह भी आरोप लगाया गया है कि इस अन्दोलन को कुचलने के लिये भारतीय पुलिस का प्रयोग किया जा रहा है। और जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने बताया है, आज के पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि इस आन्दोलन का भारत संघ के अन्दर के कुछ एक सीमान्तस्थ राज्यों पर भी प्रभाव पड़ने की सम्भावना है और पंजाब तथा पैप्सू की सरकारें सावधानी के तौर पर इस की रोक थाम के उपाय कर रही हैं -- इस प्रकार यह चीज़ इस समय बढ़ती जा रही है और यह विषय पर्याप्त रूप से आवश्यक और गम्भीर है, अतः इस पर सदन में चर्चा करना न्याय्य है । मेरा यह निवेदन है कि कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिन के कारण आप इसे अनियमित नहीं ठहरा सकते ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यह विषय नियमानुकूल है या नहीं, इसका निश्चय तो श्रीमान् आपने करना है । यह स्पष्टतया किसी राज्य में आन्तरिक विधि तथा व्यवस्था का प्रश्न है ।

एक या दो वक्तव्यों से मुझे कुछ आश्चर्य सा हुआ है । माननीय सदस्य ने कल कोई प्रतिबन्ध लागू होने की बात कही है। मुझे तो ऐसी किसी चीज़ का पता नहीं है । किन्तु सच्चाई यह है कि गत चार या पांच वर्षों से ज़रा से कि वहां सैनिक कार्यवाही आरम्भ हुई है, काश्मीर सरकार ने नहीं अपितु भारत सरकार ने यह नियम बनाया है कि जो लोग वहां जायें वे अनुज्ञा पत्र ले कर जायें, क्योंकि हम ने देखा था कि बहुत से गलत किसम के लोग वहां ग्रुप्तचर आदि का काम करने के लिये चले जाते थे। कुछ बहुत विशेष विशेष मामलों को छोड़ कर अन्य मामलों में इन्हें कठोरता से लागू नहीं किया जाता क्योंकि हम यात्रियों के बहुत बड़ी संख्या में वहां जाने को प्रोत्साहित करना चाहते हैं और हम ने ऐसा किया भी है । अतः यद्यपि सामन्यतया ये अनुज्ञापत्र रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये जाते हैं, किन्तु भारत के विभिन्न भागों में जिला मजिस्ट्रेट तथा इसी प्रकार के अन्य बहुत से अधिकारियों द्वारा इन अनुज्ञापत्रों के जारी किये जाने का प्रबन्ध कर दिया गया था । जहां तक मैं जानता हूं कल या आज इस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । गत कुछ सप्ताहों या महीनों में भी यही नियम लागू था। सम्भव है--मैं कह नहीं सकता--इस नियम के अनुसार अब अधिक पूछताछ की जाती हो। यह सम्भव हो सकता है । यह भी सत्य है कि लगभग दो सप्ताह हुए जम्मू तथा काश्मीर की सरकार ने हमें कुछ अतिरिक्त साधारण पुलिस भेजने के लिये कहा था और हमारी प्रार्थना पर पंजाब की राज्य सरकार ने उन्हें १६२ पुलिस के जवान और दो अश्रु गैस के दस्ते भेज दिये थे । उन में से प्रत्येक में बारह आदमी हैं। ये पंजाब राज्य से गये हैं, क्योंकि यह सारी की सारी गड़बड़ जम्मू और काश्मीर में हो रही है।

इन स्थगन प्रस्तावों में सत्याग्रह आन्दोलन तथा निर्दोष लोगों पर लाठी

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

प्रहार इत्यादि का उल्लेख किया गया है। मैं नहीं जानता कि मेरे माननीय मित्र का 'सत्याग्रह' से क्या अभिप्राय है, किन्तु जो कुछ जम्मू और काश्मीर में हो रहा है उससे अधिक 'सत्याग्रह' से विपरीत चीज़ तो मैं ने आज तक कभी नहीं देखी।

डा० एस० पी० मुखर्जी : श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न के हेतु मैं यह पूछना चाहता हूं। क्या हमें इस प्रश्न के गुणदोष के सम्बन्ध में कुछ कहने की अनुज्ञा है ? मैंने समझा आप इस प्रश्न की नियमानुकूलता की चर्चा कर रहे हैं। यदि आप प्रधान मंत्री को चर्चा की आज्ञा देंगे तो आशा है कि आप हमें उत्तर देने की भी आज्ञा देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : इस की नियमानुकूलता या उत्तरदायित्व के प्रश्न के अतिरिक्त माननीय प्रधान मंत्री ने यह भी बताया कि पंजाब से कुछ लोगों को प्रशासन की सहायता के लिये भेजा गया था। और यह बात विधि के अनुकूल है कि यदि कोई सरकार अपने ही पुलिस बल से विधि और व्यवस्था बनाये रखने में असमर्थ हो तो यह सेना से सहायता मांग सकती है या राज्य सरकार से सहायता मांग सकती है अथवा केन्द्र से भी सहायता मांग सकती है। अतः यदि कोई कार्यवाही साधारण रूप से की गई हो तो वह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकती। यह अत्यधिक गम्भीर होनी चाहिये। माननीय प्रधान मंत्री ने अभी बताया कि यह कोई बहुत गम्भीर मामला नहीं है। जहां तक सत्याग्रह आन्दोलन का सम्बन्ध है माननीय प्रधान मंत्री कहते हैं कि यह सच्चा सत्याग्रह आन्दोलन नहीं है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं इस बात पर वादविवाद नहीं कर रहा हूं किन्तु श्रीमान् मैं इतना अवश्य कहूंगा कि इस सदन के कुछ माननीय सदस्य वहां बिल्कुल अवांछनीय कार्यवाहियों को उकसाने की चेष्टा कर रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्य : इस में सन्देह है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे पास इस के प्रमाण हैं।

डा० एस० पी० मुखर्जी : यह सदस्यों के विशेषाधिकार का प्रश्न है। यदि प्रधान मंत्री जी के पास इस के प्रमाण हैं, तो वे बतायें कि वे सदस्य कौन हैं। वे बतायें कि वे किस की ओर संकेत कर रहे हैं। सदन के सदस्यों पर कोई आक्षेप करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस सदन के हिन्दू महासभा के माननीय सदस्य।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : श्रीमान्, मैं इस के विरुद्ध विरोध प्रकट करता हूं और विशेषाधिकारों के अन्तर्गत मुझे सभापति जी से अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं यह कहता हूं कि एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया गया है और इस के लिये एक विशेषाधिकार समिति नियुक्त की जानी चाहिये और प्रधान मंत्री से इस आरोप को प्रमाणित करने के लिये कहा जाना चाहिये। यदि वे इसे प्रमाणित न कर सकें तो उन्हें इसे वापिस लेने के लिये कहना चाहिये।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : यह आरोप सर्वथा निराधार है।

श्री जवाहरलाल नेहरू: क्या यह स्थगन प्रस्ताव ही इन अवांछनीय कार्यवाहियों के समर्थन में नहीं प्रस्तुत किया गया है ? मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उस के शब्द शब्द को प्रमाणित करने के लिये तैयार हूं।

श्री वी० जी० देशपांडे : स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करना बिल्कुल वैध है। यदि प्रधान मंत्री को इस विषय में पक्का निश्चय है, तो उन्हें इस पर चर्चा से नहीं बचना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात पर कुछ और अधिक जानना चाहता हूं कि क्या यह एक राज्य का विषय नहीं है और क्या माननीय प्रधान मंत्री .....

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि कुछ लोग राज्य में अव्यवस्थाजनक कार्य कर रहे हैं। अन्य कार्यों के साथ साथ कुछ लड़के और लड़कियों के स्कूलों पर धावे भी किये गये थे, पुस्तकें जला दी गई थीं और अन्य बहुत से निन्दनीय काम किये गये थे और यदि मैं वहां होता तो इस से कहीं अधिक कठोर उपाय करता जितने कि जम्मू और काश्मीर की सरकार ने किये हैं।

डा० एस० पी० मुकर्जी : प्रधान मंत्री के पास जो सूचनायें पहुंची हैं उन्होंने उन के बारे वक्तव्य दिया है। हमें इन के ठीक विपरीत सूचनायें मिली हैं और इस कारण इस पर सदन में विचार किया जाना चाहिये। क्रुद्ध होने की कोई आवश्यकता नहीं है।

१२ मध्याह्न

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने दोनों स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में युक्ति प्रत्युक्तियों को सुन लिया है। श्री त्रिवेदी के स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में जिसे कि उन्होंने " भारतीय राष्ट्रजनों को जम्मू में प्रविष्ट न होने देने " तक सीमित रखा है माननीय प्रधान मंत्री ने अभी बताया कि वहां प्रविष्ट होने पर कई वर्षों से कुछ बन्धन लगे हुए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से इस की एक दम आज्ञा नहीं दी जा सकती। सम्भव है अब जो लोग जम्मू और काश्मीर राज्य में जाना चाहते हों उनकी अधिक कठोरता से जांच-पड़ताल की जाती हो। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह प्रतिबन्ध वहां गत कुछ समय से लागू है मैं इसे अत्यधिक सार्वजनिक महत्व का ऐसा विषय नहीं समझता जिस के लिये कि एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सके। अतः मैं इस प्रस्ताव की आज्ञा नहीं देता हूं।

दूसरा स्पष्टतया विधि और व्यवस्था का विषय है। चाहे यह गम्भीर हो, या न हो, किन्तु इस पर नियंत्रण करना पूर्णतया जम्मू और काश्मीर राज्य का काम है। यह पूर्णतया जम्मू और काश्मीर राज्य के अधिकार क्षेत्र का विषय है। जब कभी कोई राज्य अपने पुलिस बल से पर्याप्त रुप से विधि और व्यवस्था स्थापित न कर सके तो वह अन्य राज्यों या संघ सरकार से सहायता मांग सकता है और उन से अपनी पुलिस भेजने के लिये कह सकता है, अतः यदि कोई सरकार साधारण रुप से कुछ करती है, तो उसे कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। इन परिस्थितियों में स्थगन प्रस्ताव उचित प्रतीकार नहीं है, चाहे जनता का कोई भाग या संसद् के कोई सदस्य इसे आवश्यक ही क्यों न समझें। सदस्यगण एक प्रश्न की पूर्वसूचना दे सकते हैं कि आवश्यकता से अधिक बल को भेजा गया है अथवा सामान्यतया जितने बल का प्रयोग किया जाता है उस से अधिक बल का प्रयोग किया जाना चाहिए था, इसी प्रकार का कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है और इसका उत्तर दिया जा सकता है, परन्तु इसके अतिरिक्त मैं यह नहीं समझता कि अपनी कठिनाइयां प्रकट करने के लिये एक स्थगन प्रस्ताव उचित प्रतीकार है। मैं दूसरे स्थगन प्रस्ताव की भी आज्ञा नहीं देता हूं।

डा० एस० पी० मुकर्जी : इस के सम्बन्ध में दी गई परस्पर विरोधी सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए और इस आन्दोलन के जारी रहने

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

की सम्भावना को देखते हुए, श्रीमान्, मैं यह सुझाव देता हूं कि यदि प्रधान मंत्रीजी सहमत हो जायें तो हम शनिवार को इस पर आधे दिन वाद विवाद कर लें।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस के वैधानिक पहलू को छोड़ कर अन्य सभी तथ्यों को जो मेरे पास हैं और जिन्हें मैं प्राप्त कर सकता हूं मैं सदन की जानकारी के लिये उसके समक्ष प्रस्तुत करने को तैयार हूं। किन्तु मुझे यह नहीं समझ आता कि इस प्रकार के वाद विवाद से कोई लाभप्रद प्रयोजन कैसे सिद्ध हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के वाद-विवाद के पश्चात् यदि माननीय सदस्यों को सन्तोष न हो और प्रश्नों में पर्याप्त स्पष्टीकरण न हो सके, तो सरकार इस पर विचार करती है कि यह आवश्यक या वांछनीय है या नहीं।

एक माननीय सदस्य : इस प्रश्न को पूछने की आज्ञा नहीं दी गई।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर पुनर्विचार किया जायेगा।

अनुपस्थिति की अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदस्यों को यह सूचना देनी है कि मुझे श्री पन्नालाल आर० कौशिक से निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुआ है :

> "क्योंकि मैं यहां बहुत बीमार हूं और क्योंकि डाक्टरों ने मुझे बिल्कुल आराम करने की सलाह दी है, अतः मेरे लिये लोक सभा के द्वितीय सत्र की बैठकों में जो कि ५ नवम्बर, १९५२ से आरम्भ हो गई हैं उपस्थित होना सम्भव नहीं है। अतः मैं आप से तथा सदन के सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि मुझे इस सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाये।
>
> यदि मैं जल्दी अच्छा हो गया और डाक्टरों ने मुझे अपना प्रतिदिन का कार्य करने की आज्ञा दे दी, तो मैं निश्चय ही सदन की बैठकों में उपस्थित होऊंगा।"

क्या सदन की यह इच्छा है कि श्री पन्नालाल आर० कौशिक को लोक सभा के इस सत्र की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति दे दी जाये ?

अनुमति दे दी गई।

१९५२-५३ के अनुदानों की अनुपूरक मांगें

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी): मैं एक विवरण, जिस में केन्द्रीय सरकार (रेलों को छोड़ कर) के १९५२-५३ वर्ष के व्यय के अनुदानों की अनुपूरक मांगें दी हुई हैं, प्रस्तुत करता हूं।

पटल पर पत्र रख दिया गया

पुनर्वास वित्त प्रशासन का प्रतिवेदन

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी): मैं पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम, १९४८ की धारा १८ की उपधारा (२) के अनुसार ३० जून, १९५२ को समाप्त हुए आधे वर्ष के लिये पुनर्वास वित्त प्रशासन के प्रतिवेदन की एक प्रति पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रख दी गई। देखिये संख्या ६-ओ. ४ (३५)]

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—जारी

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर): श्रीमान्, सूचना के हेतु मैं पूछना चाहता हू।

माननीय श्री त्यागी ने निगम के प्रधान का एक पत्र पढ़ कर सुनाया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसे सदन पटल पर रख दिया गया है ताकि यह अभिलेख का एक अंग बन जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन में जो कुछ भी पढ़ा जाता है वह इसके अभिलेख का अंग बन जाता है।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल-पश्चिम कटक) : उन्होंने पत्र पूरा नहीं पढ़ा। पत्र ही सदन पटल पर रखा जाना चाहिये। इसके केवल कुछ अंश ही अभिलेख में गये हैं।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : यह सत्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं माननीय मंत्री को यह सुझाव दे सकता हूं कि उन्होंने जो कोई भी पत्र या दस्तावेज का अंश पढ़ा है उसे पटल पर रख दिया जाये . . . .

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी): श्रीमान्, मेरा निवेदन यह है कि पत्र में कोई बात छिपाने की नहीं थी। मैं यह सारा पढ़ कर सुना सकता हूं। मैं ने इस के केवल प्रकरण संगत अंश पढ़ कर सुना दिये थे; किन्तु मुझे सारा पत्र सदन के समक्ष रखने में कोई आपत्ति नहीं है।

खंड (धारा २ का संशोधन) इत्यादि

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १ की पंक्ति ७ में "or in shipping" (अथवा नौपरिवहन में) के स्थान पर निम्नलिखित आदिष्ट कर दिया जाये :

"or in transport shipping or in any other trade ancillary to a manufacturing industry which in the opinion of the Corporation deserves encouragement."

("यातायात, नौपरिवहन अथवा निर्माण करने वाले उद्योग के अधीन किसी अन्य व्यापार में जिसे कि निगम की सम्मति में प्रोत्साहन की आवश्यकता हो।")

कई ऐसे मामले हो सकते हैं जिन में किसी विशेष उद्योग का विकास करने के लिये उसके साथ के कुछ उद्योगों को भी प्रोत्साहन देना पड़े। इसीलिये मैं 'व्यापार' शब्द सम्मिलित करना चाहता हूं। मेरे संशोधन का यह अभिप्राय है कि यातायात और नौपरिवहन सम्बन्धी समवायों की सहायता का क्षेत्र बढ़ा दिया जाये और इस में कुछ विशेष प्रकार के व्यापारों को भी सम्मिलित कर लिया जाये।

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): नये संशोधन के अनुसार इस धारा में "अथवा नौपरिवहन में" इन शब्दों को सम्मिलित करने की मांग की गई है। मुझे इस विषय में एक सन्देह है। नौपरिवहन की दो शाखायें हैं: व्यापार सम्बन्धी तथा निर्माण सम्बन्धी। क्या सरकार यह चाहती है कि निगम द्वारा मंजूर किये हुए किसी ऋण का उद्योग की किसी भी शाखा पर प्रयोग किया जा सकता है अथवा इस का किसी विशेष निर्माण सम्बन्धी या व्यापार सम्बन्धी भाग पर ही व्यय किया जाये।

[श्री एम० एस० गरुपादस्वामी]

मैं यह अनुभव करता हूं कि नौपरिवहन के उद्योग की अवश्य सहायता की जानी चाहिये। इस के लिये बड़ी भारी राशि चाहिये। किन्तु इस की सहायता के लिये जहां तक सम्भव हो पोत-निर्माण के लिये ही ऋण दिये जाने चाहियें, व्यापारिक कार्यों के लिये नहीं। और फिर निगम के वित्तीय साधन भी तो थोड़े हैं तथा अन्य औद्योगिक कार्यों के लिये भी ऋण चाहियें। अतः मैं यह चाहता हूं कि "अथवा नौपरिवहन में" के स्थान पर 'पोत-निर्माण' या ऐसा कोई शब्द रख दिया जाये जिससे कि इस धन का प्रयोग केवल निर्माण कार्य में ही किया जा सके।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर): औद्योगिक वित्त निगम के क्षेत्र में नौपरिवहन उद्योग को सम्मिलित करन से पहिले सरकार को यह आश्वासन देना चाहिये कि वह इस बात का पूरा ध्यान रखेगी कि इस धन का देश के औद्योगिक विकास के लिये उचित रीति से उपयोग किया जाये और उद्योगपतियों के उस छोटे से भाग के धन को बढ़ाने के लिये न किया जाये जो कि आज कल सरकार की नीति पर और विशे रूप से औद्योगिक वित्त निगम पर छाया हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह ह कि :

"खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधेयक का अंग बना लिया गया

खण्ड ३—(धारा १० का संशोधन इत्यादि)

श्री के० के० बसु: मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १ की पंक्ति १३ में "be substituted" ["आदिष्ट कर दिया जाये"] के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"and the words 'who shall not be connected in any way with big business in industry' shall be added at the end."

["और जिस का उद्योग के किसी बड़े व्यापार से कोई सम्बन्ध नहीं होगा ये शब्द अन्त में जोड़ दिये जायेंगे।"]

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

श्री टी० के० चौधरी: श्रीमान्, मैं स्ताव करता हूं :

पृष्ठ १ में पंक्ति १६ तथा १७ के स्थान पर निम्नलिखित आदिष्ट कर दिया जाये :

"(g) One Deputy Managing Director appointed by the Central Government after consideration of the recommendation of the Board."

["(छ) बोर्ड की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक उप-प्रबन्धसंचालक।"]

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी): मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १ की पंक्ति २२ में "but shall not" ["किन्तु नहीं गा"] के स्थान पर "and" ["और"] आदिष्ट कर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्री टी० के० चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १ की पंक्ति २७ में " meeting" [" सभा "] के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"On being authorised in writing by the Managing Director to do so."

[" प्रबन्ध संचालक द्वारा लिखित रूप में एसा करने का अधिकार दिये जाने पर । "]

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

क्या माननीय मंत्री इन में से किसी संशोधन को स्वीकार कर रहे हैं ?

श्री एम० सी० शाह : जी नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य इन संशोधनों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं ?

मूल अधिनियम के खण्ड ३ की धारा १० में यह संशोधन है कि वर्तमान तीन संचालकों की संख्या में एक की और वृद्धि कर दी जाये और इस प्रकार उन की संख्या ४ कर दी जाये । श्री वसु के संशोधन में प्रस्तावित अर्हताओं को पहिले ही विद्यमान अन्य तीन संचालकों पर भी लागू करना अनियमित है । इस संशोधक विधेयक द्वारा इस विषय को संशोधित नहीं किया गया । माननीय सदस्य कृपा करके विधेयक के क्षेत्र को स्मरण रखें ताकि कोई कठिनाई न हो । इस से सारे अधिनियम में संशोधन या उस पर विचार नहीं किया जा सकता । अतः विधेयक के क्षेत्र से परे जाने वाला कोई भी संशोधन अनिहित होगा ।

श्री के० के० बसु : मैं अधिक समय नहीं लूंगा ।

उपाध्यक्ष महोनय : अधिक समय लेन का कोई प्रश्न नहीं है । यह संशोधन अपने वर्तमान स्वरूप में नहीं रह सकता । यह इस प्रकार होना चाहिये :

पृष्ठ १ की पंक्ति १३ में " be substituted [" आदिष्ट कर दिया जाये "] के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"and the words 'provided that the fourth member shall not be connected in any way with big business in industry' shall be added at the end."

["और 'शर्त यह है कि चौथे सदस्य का उद्योग के बड़े व्यापार से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं होगा' ये शब्द अन्त में जोड़ दिये जायेंगे ।"]

पंडित ठाकुरदास भार्गव (गुड़गांव): जिस का यह अर्थ है कि शेष सब का सम्बन्ध हो सकता है, किन्तु चौथे सदस्य का कोई सम्बन्ध नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : कम से कम एक का तो सम्बन्ध नहीं है । इतना ही पर्याप्त है । क्या मैं इसी को संशोधन समझूं ?

श्री के० के० बसु : क्योंकि आप ने निर्णय दिया है अतः मेरे विचार में मेरे पास और कोई चारा नहीं है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या हम इस धारा के इस सिद्धान्त पर चर्चा नहीं कर सकते कि क्या सभी संचालक सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति होने चाहियें अथवा इस में निजी उद्योगपति तथा सरकार के मनोनीत व्यक्ति दोनों ही होने चाहियें ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं। जो चीज़ विधेयक में नहीं है उस का यहां उल्लेख नहीं होना चाहिये।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : इस धारा में जो यह बतलाया गया है कि इंडस्ट्रियल फ़ाइनेन्स कारपोरेशन (औद्योगिक वित्त निगम) में तमाम तरह के लोगों के इंटरेस्ट को क़ायम रखने की गरज से तीन के बजाय बढ़ा कर जो चार करने की कोशिश की गई है वह ठीक है। लेकिन डिप्टी डाइरेक्टर (उपसंचालक) का नौमिनेशन (नामनिर्देशन) करके उस को एक क्लर्क की तरह बिठा देना यह कारपोरेशन के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ होगा। लिहाज़ा यह मेरी दिली ख्वाहिश है और मिनिस्टर साहब से अर्ज है कि मैनेजिंग डाइरेक्टर (प्रबन्ध संचालक) को वोटिंग पावर (मतदान की शक्ति) देना ज़रूरी और लाज़िमी होगा। हमने इस बिल पर तीन दिन की बहस में यह कहा है कि इस कारपोरेशन के कारनामों से चन्द ही लोगों को फ़ायदा हुआ है। उसी हिस्से को ज्यादा से ज़्यादा कर्ज़ा दिया गया है जहां पहले ही से काफ़ी इंडस्ट्री थी। अनडेवेलप्ड एरिया (अविकसित क्षेत्र) को, जैसा कि कल मोरे साहब ने जिक्र किया था, कि करनाटक को या इसी तरह की बहुत सी जगहों को, इससे फ़ायदा नहीं हुआ और उस एरिया की तरफ़ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। इस की वजह यही है कि उन रीजियन्स (प्रदेशों) के रिप्रेजेंटेटिव्स (प्रतिनिधि) कारपोरेशन में नहीं हैं। लिहाज़ा अगर आप नये मैनेजिंग डाइरेक्टर को वोटिंग पावर नहीं देंगे तो यह शक बना रहेगा कि कारपोरेशन का कारोबार पहले ही जैसा है वैसा चलता रहेगा। लिहाज़ा इस शक को मिटाने के लिये और दोष को दूर करने के लिये यह ज़रूरी होगा कि डिप्टी मैनेजिंग डाइरेक्टर को मीटिंग म वोटिंग का पावर दिया जाय।

इस के साथ साथ अभी जो आनरेबल बसु साहब ने अपना अमेंडमेंट पेश किया कि उन को किसी किस्म की इंडस्ट्री से दिलचस्पी न रहे, इसका भी ख़ास तौर पर लिहाज़ रखना लाज़मी होगा। इस लिहाज़ से मैं उस अमेंडमेंट की भी ताईद करते हुये दो चार शब्द कहना ज़रूरी समझता हूं। यहां जितने भी डाइरेक्टर होते हैं उन को किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं होनी चाहिये। हालांकि इस पर बहुत कुछ बहस हुई कि किन को कर्ज़ा मिला या नहीं मिला और उन के नाम क्या हैं, फिर भी उसका पूरा इतिहास तो बाहर नहीं आया। लेकिन कुछ कुछ जो बाहर आया उस में तो कुछ दिलचस्पी पाई गयी। लेकिन इस किस्म की चीज़ से अगर कारपोरेशन को दूर करना है तो मैं अपनी पूरी ताक़त से इस बात की पुरज़ोर ताईद करता हूं कि कोई नुमाइन्दा, यानी कारपोरेशन का कोई डाइरेक्टर किसी इंडस्ट्री से दिलचस्पी रखने वाला या बड़ा मालदार न हो। ऐसे बहुत से एक्सपर्ट्स (विशेषज्ञ) या बहुत से बड़े बड़े लोग हो सकते हैं जो इस कारपोरेशन को आगे कामयाब बनाने में अपनी खिदमात अंजाम दे सकें। इसलिये मुझे और ज्यादा कुछ कहना नहीं है। सिर्फ़ मैं अपनी अमेंडमेंट के हद तक और इस धारा की हद तक अपने विचार को महदूद रखते हुए इन दो सूचनाओं पर ही ज़ोर देना चाहता हूं।

इस कारपोरेशन की मार्फ़त इंडस्ट्री को मदद देने के लिये काम करना है। लेकिन फिर भी कई मौक़े पर इंडस्ट्री को या कारखानों को मदद न मिलने की वजह से उन को बेच देना पड़ता है। हैदराबाद का ही एक मिसाल है। अखबारों में बहुत से मेम्बरों

न पढ़ा होगा कि सिरपुर पेपर मिल्स और सैरीकल्चर की इंडस्ट्री जो वहां चली आ रही थी, उनको किसी क़िस्म की मदद न मिलने की वजह से या और वजह से बिड़ला एंड कम्पनी को बेच दिया गया। इस तरह पब्लिक ट्रस्ट (सरकारी प्रन्यास) बनाने के बजाये फिर प्राइवेट एंटरप्राइज़ (निजी उद्योगपतियों) को हमारी इंडस्ट्री बेच देने की हालत आ रही है।

दूसरी बात यह है कि छोटी छोटी घरेलू सनअतों को भी इस कारपोरेशन से मदद नहीं मिल सकती। यह भी उसूल की बात है। लिहाज़ा इस तमाम दिलचस्पी को और इंटरैस्ट को महदूद करने के लिये मैं ज़ोर से आप से कहना चाहता हूं कि इस के जो डाइरेक्टर्स हैं वे किसी सनअत से दिलचस्पी न रखें और मैनजिंग डाइरेक्टर को वोटिंग पावर हो।

इस की भी शिकायत बाकी न रहे कि किसी खास हिस्से को आप डेवलेप (विकसित) कर रहे हैं या अनडेवलेप्ड एरिया को भूल रहे हैं। महज़ डेवलेप्ड एरिया, जैसे बम्बई शहर को ही आप बढ़ाते जा रहे हैं या कलकत्ते जैसे शहर को ही आप बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी बात से बड़े बड़े शहरों को तो बहुत ज्यादा हिस्सा मिल रहा है लेकिन बहुत से ऐसे दूसरे मुकामात हैं जहां इंडस्ट्री की काफ़ी तरक्क़ी हो सकती है। आइरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिये कच्चा माल तो बल्लारी (मद्रास) में बहुत है, जिस से इस सनअत की बहुत कुछ उन्नति कर्नाटक में भी हो सकती है। वहां भी सीमेंट के कारखाने और काग़ज़ के बहुत से कारखाने हैं और हो सकते हैं लेकिन मदद कारगर नहीं मिलती। इसके लिये सेंटर (केन्द्र) से भी कोई मदद नहीं मिलती। सीधे स्टेट वाले भी मदद नहीं देते। रीजिओनैलिज्म और प्राविंशयलिज्म (प्रान्तीयता) के हिसाब से अपने मंत्री तो बैठे हुए हैं। वे अपने हिस्से पर ग़ौर करते हुए पूरे अखंड हिन्दुस्तान में जो कारख़ाने हैं उन पर भी ग़ौर करें और उस में जो बाधा आने वाली है उस का लिहाज़ रखें। मुझ से पहले भी बहुत से मेम्बरों ने और डिप्टी स्पीकर साहब तक ने यह विचार रखा है कि पूरी संस्था नैशनैलाइज़ (राष्ट्रीयकरण) हो जाय। यह जो अमेंडमेंट आ रही है न कि पूरा " नैशनैलाइज़ हो जाय ", इस की कोई सूरत नज़र नहीं आती तो मैं अर्ज़ करता हूं, प्रार्थना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कम से कम यह तो हो जाय कि मैनेजिंग डाइरेक्टर को वोटिंग की पावर रहे और जो नुमाइन्दे हों वे किसी इंडस्ट्रियल फ़र्म से दिलचस्पी रखने वाले न हों।

श्री के० के० बसु: इस संशोधन को प्रस्तुत करके मैं सरकार को यह बतलाना चाहता था कि औद्योगिक वित्त निगम पर उद्योगपतियों के प्रभाव को कम करना चाहिये। सभी सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि इस निगम पर पूंजीपति छाये हुए हैं। कल इस विधेयक के माननीय प्रस्तोता ने इस के उत्तर में यह कहा था कि इस में केवल दो उद्योगपति हैं, उन्होंने बैंकों के प्रतिनिधियों को जिन पर उद्योगपतियों का बहुत प्रभाव है इन में सम्मिलित नहीं किया। अधिनियम के अधीन हम इन उद्योगपतियों को बड़े बैंकों या बड़ी बड़ी बीमा कम्पनियों पर अपना प्रभाव डालने से नहीं रोक सकते क्योंकि उन का इनमें स्वार्थ निहित होता है। अतः कम से कम सरकार के मनोनीत व्यक्ति तो ऐसे होने चाहियें जिन्हें केवल देश के औद्योगिक विकास और सर्वतोमुखी उन्नति का ही ध्यान हो और उन पर उद्योगपतियों का कोई प्रभाव न हो। इसी उद्देश्य से मैं ने यह संशोधन रखा है कि सरकार उन व्यक्ति का नामनिर्देशन करते समय इस बात का ध्यान रखे।

[श्री के० के० बसु]

हमें यह बतलाया गया है कि कार्यपालिका उपसमिति में भी जिसे कि ऋण तथा अगाऊधन देने का अधिकार है केवल एक ही उद्योगपति है और इस का प्रधान एक सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति है। किन्तु प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार हम देखते हैं कि सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति पर प्रभाव डालने के लिये एक ही उद्योगपति पर्याप्त है।

अतः भविष्य में सरकार ऐसे व्यक्ति को मनोनीत करे जो उद्योगपतियों के प्रभाव में न आये और किसी विशेष उद्योगपति या उन के गुट को समृद्ध बनाने की अपेक्षा राष्ट्र के औद्योगिक विकास के लिये इस धन को प्रयोग करे।

श्री टी० के० चौधरी: संशोधक विधेयक में एक उप-प्रबन्ध-संचालक की नियुक्ति का प्रबन्ध किया गया है। किन्तु मूल अधिनियम से इस में एक महत्वपूर्ण भेद यह है कि उप-प्रबन्ध-संचालक को निगम नियुक्त करेगा। जहां तक प्रबन्ध संचालक तथा उप-प्रबन्ध-संचालक का सम्बन्ध है मेरे विचार में यह सिद्धान्त हानिकारक है।

हमारी राय यह है कि राज्य के नियंत्रण के क्षेत्र को अधिकाधिक बढ़ाना चाहिये। क्योंकि उप-प्रबन्ध-संचालक के पास काफ़ी अधिकार होंगे अतः मैं समझता हूं कि यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसे सीधा सरकार को नियुक्त करना चाहिये। हां, वह बोर्ड की सिफारिशों को ध्यान में रख सकती है।

मूल अधिनियम के अनुसार प्रबन्ध-संचालक को बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करके केन्द्रीय सरकार नियुक्त करती है। मेरा संशोधन तो सरकार के नियत्रण को बढ़ाने के लिये प्रस्तुत किया गया है। अतः उन्हें कम से कम इस छोटे से संशोधन को अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिये और उप-प्रबन्ध-संचालक सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिये।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: सरकार के अपने शब्दों में यह सब "हितों" को प्रतिनिधित्व देने के लिये सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्तियों की संख्या तीन से बढ़ा कर चार कर देना चाहती है। मैं ने यह सुझाव दिया था कि सभी सदस्यों को सरकार मनोनीत करे, किन्तु माननीय मंत्री ने इसे नहीं माना। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार किन हितों को प्रतिनिधित्व देना चाहती है?

श्री एम० सी० शाह: राष्ट्रीय हितों को। मैं अपने भाषण में और उत्तर में पहले ही यह बतला चुका हूं कि हम एक और व्यक्ति को इसलिये रखना चाहते हैं जिस से कि हम इस पर और अधिक नियत्रण रख सकें।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

पृष्ठ १ की पंक्ति १३ में "be substituted ["आदिष्ट कर दिया जाये"] के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:

> "and the words 'provided that the fourth member shall not be connected in any way with big business in industry' shall be added at the end."

["और शर्त यह है कि चौथे सदस्य का उद्योग के बड़े व्यापार से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं होगा' ये शब्द अन्त में जोड़ दिये जायेंगे।"]

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ १ की पंक्ति १६ तथा १७ के स्थान पर निम्नलिखित आदिष्ट कर दिया जाये :

संशोधन प्रस्तुत हुआ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ १ की पंक्ति २२ में "but shall not" ["किन्तु नहीं गा"] के स्थान पर "and" [और"] आदिष्ट कर दिया जाये।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि पृष्ठ १ की पंक्ति २७ में "meeting" ["सभा"] के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

संशोधन प्रस्तुत हुआ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड ४.—(धारा ११ का संशोधन इत्यादि)

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन व मावेलिक्करा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २ की पंक्ति ५ में अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

'And the following proviso shall be added, namely :—

"provided that no foreign power or organisation will have the right to nominate the Director."'

['और निम्नलिखित परादिक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु शर्त यह है कि किसी विदेशी शक्ति या संघटन को संचालक को नामनिर्देशित करने का अधिकार नहीं होगा"]

श्री टी० के० चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २ की पंक्ति ७ में "inserted" ["निविष्ट"] के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

'And for the words "two full consecutive terms" the words "one full term" shall be substituted.' :

['और "लगातार दो पूरी अवधियों" इन शब्दों के स्थान पर "एक पूरी अवधि" ये शब्द आदिष्ट कर दिये जायेंगे।']

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : सरकार न मूल अधिनियम में जो संशोधन रखा है उसका अभिप्राय सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य प्राधिकारी से संचालकों का नामनिर्देशन करवाना है। हमें उस प्राधिकारी का पता नहीं है किन्तु इस बात को देखते हुए कि हम अब अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से एक ऋण के लिये बात चीत कर रहे हैं और इस बात को देखते हुए कि इस विधेयक को पारित करवाने में इतनी शीघ्रता की जा रही है और इन आरोपों को ध्यान में रखते हुए कि कुछ सरकारी सदस्यों पर अमेरिकन पूंजीपतियों का किसी प्रकार का नियंत्रण है, हम समझते हैं कि इस संशोधन के पीछे कुछ दाल में काला है।

श्री त्यागी : मेरे माननीय मित्रों को आंग्ल-अमरीकी षड्यंत्रकारियों से इतना अनु-

[श्री त्यागी]

राग हो गया है कि वे हर बात में उन्हीं की चर्चा करने लगते हैं। इस में आंग्ल-अमरीकी षड्यंत्र का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह संशोधन तो बिल्कुल सीधा है। । रिजर्व बैंक को दो प्रतिनिधियों को मनोनीत करने का अधिकार है, किन्तु वर्तमान अधिनियम के अनुसार उसे उन्हें वापिस बुलाने का अधिकार नहीं है। जहां तक सरकारी प्रतिनिधियों का सम्बन्ध है सरकार उन्हें जब चाहे वापिस बुला सकती है। जब तक सरकार उन पर प्रसन्न रहती है वे तभी तक उस पद पर कार्य करते हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा मनोनीत इन दो प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में हम केवल यह करवाना चाहते हैं कि यदि रिज़र्व बैंक चाहे तो वह अपने प्रतिनिधियों को बदल सके। अतः हम परिनियम में भी इस शक्ति को समाविष्ट करवाना चाहते हैं यदि रिज़र्व बैंक चाहे तो वह अपने प्रतिनिधियों को वापिस बुला सके। यही सीधा सा प्रश्न है।

जहां तक ऋणों का सम्बन्ध है, हम ये अमेरिका से नहीं ले रहे हैं, किन्तु एक ऐसे बैंक से ले रहे हैं, जो हमारा अपना बक है और जिस में हम भागीदार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २ की पंक्ति ५ के अन्त में निम्न लिखित जोड़ दिया जाये :

संशोधन प्रस्तुत हुआ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

१ म० प०

इसके पश्चात् सदन की बैठक मध्यान्ह भोजन के लिये ढाई बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

मध्यान्ह भोजन के बाद सदन की बैठक ढाई बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

श्री टी० के० चौधरी : श्रीमान्, मैं अपने संशोधन पर बल नहीं देना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ४ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड ५ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड ६—(नई धारा का आदेश इत्यादि)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अरुण चन्द्र गुहा के नाम से एक संशोधन है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : श्रीमान्, आप की अनुमति से मैं इसे श्री गुहा की ओर से प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल किसी मंत्री के स्थान पर ही दूसरा मंत्री कार्य कर सकता है। कोई सदस्य दूसरे को अपनी ओर से कोई संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं दे सकता। यदि श्री गुहा यहां उपस्थित होते और गले की खराबी के कारण न बोल सकते तो मैं दूसरे माननीय सदस्य को उन की ओर से सशोधन प्रस्तुत करने की आज्ञा दे देता। मैं इस विषय में कोई पूर्वदृष्टान्त नहीं बनाना चाहता।

श्री त्यागी : श्रीमान्, श्री गुहा ने इस संशोधन पर हमारे साथ चर्चा की थी और हम इसे स्वीकार करने के लिये तैयार हो गये थे सभापति महोदय किसी अन्य सदस्य को इस संशोधन को प्रस्तुत करने का अधिकार दे दें और हम इसे स्वीकार कर लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय में नियम भंग नहीं करना चाहता। अतः यदि सरकार को यह मान्य हो तो मैं इसे एक

नये संशोधन के रूप में, इसके पूर्वसूचना के बन्धन को हटा कर माननीय सदस्य पंडित भार्गव के नाम से प्रस्तुत करने की आज्ञा दे सकता हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २ में पंक्ति ३४ से ३६ तक के स्थान पर निम्नलिखित आदिष्ट कर दिया जाये :

"(b) is absent without leave of the Board from more than three consecutive meetings of the Board without excuse sufficient in the opinion of the Board to exonerate the absence."

["(ख) बोर्ड की सम्मति में अनुपस्थिति को क्षमा करने के लिये पर्याप्त कारण के बिना बोर्ड की अनुमति के बिना बोर्ड की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहा हो।"]

श्री त्यागी : हम इसे स्वीकार करते हैं।

श्री के० के० बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २ में पंक्ति २७ से ३० तक के स्थान पर निम्नलिखित आदिष्ट कर दिया जाये :

"Provided that before taking decision hereunder the Central Government shall consult the Board.

["परन्तु शर्त यह है कि इस के अधीन निश्चय करने से पहले केन्द्रीय सरकार बोर्ड से परामर्श लेगी ।"]

श्री टी० के० चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ २ की पंक्ति २४ में "Managing Director" ["प्रबन्ध संचालक"] के पश्चात् "or Deputy Managing Director." ["अथवा "उप-प्रबन्ध-संचालक"] निविष्ट कर दिया जाये ।

(२) पृष्ठ २ में पंक्ति २७ से ३० तक को निकाल दिया जाये ।

(३) पृष्ठ २ की पंक्ति ३४ और ३५ में से

"without excuse sufficient in the opinion of the Board to exonerate it."

("बोर्ड की सम्मति में इसे क्षमा करने के लिये पर्याप्त कारण के बिना") को निकाल दिया जाये ।

श्री के० के० बसु : मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि क्योंकि प्रबन्ध-संचालक को केन्द्रीय सरकार नियुक्त करती है अतः इसे उसे नौकरी से अलग करने का पूरा और एकमात्र अधिकार होना चाहिये । परन्तु संशोधित धारा २३ के वर्तमान परादिक के अनुसार "उपस्थित और मत देने वाले दो-तिहाई संचालकों" को केन्द्रीय सरकार से यह सिफ़ारिश करनी चाहिये कि प्रबन्ध-संचालक को हटा दिया जाये । मैं मानता हूं कि सभी औद्योगिक समवायों में संचालनालयों को इस प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है । किन्तु क्योंकि इस मामले में नियोजक अधिकारी केन्द्रीय सरकार है अतः यदि आवश्यक हो तो उसे नौकरी से अलग करने का एकमात्र अधिकार केन्द्रीय सरकार को होना चाहिये । इसी विचार से मैं ने मूल अधिनियम की धारा १३ के परादिक के स्थान पर अपना यह संशोधन रखा है ।

श्री टी० के० चौधरी : मैं केवल इतना ही करवाना चाहता हूं कि प्रबन्ध-संचालक तथा उप-प्रबन्ध-संचालक को अपने पदों से

[श्री टी० के० चौधरी]

हटाने के लिये एक ही नियम लागू होने चाहियें। संशोधक विधेयक में इस बात का उपबन्ध किया हुआ है कि केन्द्रीय सरकार किसी भी समय प्रबन्ध-संचालक को हटा सकती है। मेरा संशोधन उप-प्रबन्ध-संचालक को भी इस नियम के क्षेत्राधिकार में ले आता है। मेरे विचार में इस सम्बन्ध में प्रबन्ध-संचालक और उप-प्रबन्ध-संचालक के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार कर लेगी।

श्री एम० सी० शाह: उप-प्रबन्ध-संचालक बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाता है और जब कभी बोर्ड उसे हटाना चाहे तो सामान्य बहुमत से उसे हटा सकता है। इसी कारण हम ने इसमें उप-प्रबंध-संचालक को नहीं रखा है। मूल अधिनियम के अधीन प्रबन्ध संचालक को हटाने का कोई अधिकार नहीं है, अतः हमने उसे हटाने का अधिकार ले लिया है किन्तु शर्त यह है कि संचालक बोर्ड दो-तिहाई बहुमत से उसे हटाने के लिए कहे

श्री के० के० बसु: परादक का क्या अभिप्राय है ?

श्री **एम० सी० शाह:** सभी संविहित निकायों में एक यह उपबन्ध होता है कि मुख्य कार्यपालिका अधिकारी दो-तिहाई बहुमत के निश्चय से हटाया जाए और उसे सरकार की मंजूरी से हटाया जा सकता है। हमने यह उपबन्ध यहां भी कर दिया है।

श्री एस० एस० मोरे: क्या मैं कुछ स्पष्टीकरण मांग सकता हूं ? मान लीजिए कि सरकार किसी कारण से उस पदाधिकारी को हटाना चाहती है। क्या आप का यह अभिप्राय है कि सरकार की उसे हटाने की शक्ति को दो-तिहाई बहुमत के उस परादिक से सीमित कर देना चाहिए ?

श्री एम० सी० शाह: मेरे विचार में ऐसा ही होना चाहिए।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: यह निगम एक लगभग स्वतन्त्र-सा निकाय है। प्रबंध संचालक को हटाना सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इसके लिए दो-तिहाई बहुमत अवश्य होना चाहिए। यदि सारा बोर्ड उसे चाहता हो, तो सरकार के लिए अपनी इच्छानुसार उसे हटाना सम्भव नहीं होना चाहिए। निगम का हित इसी में है कि सरकार को ऐसा अधिकार न मिले।

उपाध्यक्ष महोदय: परन्तु क्या यह प्रबन्ध सन्चालक सा कार द्वारा नियुक्त अधिकारी नहीं होता ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव: सरकार सभी पदाधिकारियों को अपनी मनमर्जी से नहीं हटा सकती।

उपाध्यक्ष महोदय: अब भी यदि दो-तिहाई बहुमत हो या न हो, मैं समझता हूं कि सरकार उसे हटा सकती है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: वह नहीं हटा सकती।

श्री त्यागी: प्रबन्ध संचालक यहां सरकारी अधिकारियों के कक्ष में बैठे हैं और मैंने उन से पूछा कि स्थिति क्या है। उन्होंने मुझे बताया है "चार वर्ष तक मुझे कोई नहीं हटा सकता।" वह चाहते हैं कि उन्हें हटाना सम्भव हो जाये। वर्तमान विधि में एक कमी है, उसमें इस बात का उल्लेख नहीं है कि उन्हें किस रीति से हटाया जा सकता है।

श्री टी० के० चौधरी: यदि आप लागू करना चाहें तो संविधान के अनुच्छेद ३११ के अन्तर्गत हटाने का खण्ड तो पहिले ही विद्यमान है। यदि सरकार ही नियोजक अधिकारी है तो वह उसे हटा भी सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक मैं समझा हूं सरकार दो चीज़ें चाहती है । अर्थात् सरकार उसे हमेशा हटा सकती है । जो कोई भी अधिकारी उसे नियुक्त करे वह उसे हटा सकती है । पिछली धारा में हमने इसीलिये "Central Government" ("केन्द्रीय सरकार") इन शब्दों के स्थान पर "appointing authority" ("नियोजक अधिकारी") ये शब्द आदिष्ट कर दिये हैं । इस के अतिरिक्त वे एक यह उपबन्ध करना चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार के हाथ बोर्ड के दो-तिहाई बहुमत के निश्चय से बांध दिये जायें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : विधि के अनुसार वे किसी भी व्यक्ति को तब तक अपने पद से नहीं हटा सकते जब तक कुछ शर्तें पूरी न की जायें। वे इसे बदल कर यह करना चाहते हैं कि सरकार उसे बोर्ड के दो-तिहाई बहुमत से हटा सके । परन्तु वे उसे उपनी मनमर्ज़ी से नहीं हटा सकते क्योंकि यह एक स्वतंत्र निकाय है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह पद से हटाने के सम्बन्ध में भी एक स्वतंत्र निकाय कैसे है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : विधि के अधीन उसे अपाहिजता इत्यादि कतिपय शर्तों को छोड़ कर हटाया नहीं जा सकता । वे और अधिकार चाहते हैं कि वे उसे दो-तिहाई बहुमत से भी हटा सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय वे उसे सदा हटा सकते हैं । संशोधन द्वारा दो-तिहाई बहुमत की शर्त लगा कर सरकार की शक्ति को सीमित किया जा रहा है । प्रश्न बड़ा सीधा सा है कि क्या हम यह चाहते हैं कि सरकार की शक्ति पर कोई रोक न हो अथवा हम यह पसन्द करेंगे कि केन्द्रीय सरकार को भी समय समय पर अपने अधिकार का प्रयोग करने से रोकना चाहिये ।

श्री त्यागी : श्रीमान्, जहां तक मेरा सम्बन्ध है यह कोई नीति का प्रश्न तो है ही नहीं । अतः इस विषय में मैं आप से और सदन से मार्ग-दर्शन चाहता हूं । वर्तमान अधिनियम की धारा ९ में जिस का कि संशोधन किया जाने वाला है, इस बात का उल्लेख किया हुआ है कि प्रबन्ध संचालक निगम का पूरे समय काम करने वाला अधिकारी होगा, जो जो कार्य बोर्ड विनियम द्वारा उसे सौंपेगा वह उन्हें करेगा और "(ग) चार वर्ष तक इस पद पर कार्य करेगा और उस की पुनः नियुक्ति की जा सकेगी ।" इसी कारण यह कठिनाई उत्पन्न हुई है । एक साधारण व्यक्ति के समान मैंने यह समझा और मेरा अब भी यह विचार है कि इस उपबन्ध से कि "चार वर्ष तक इस पद पर कार्य करेगा" हमारे हाथ बंध जायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या प्रबन्ध संचालक को हटाने का कोई उपबन्ध नहीं है ?

श्री त्यागी : श्रीमान्, जी यही तो कठिनाई है ।

श्री एम० सी० शाह : धारा ९ के अधीन प्रबन्ध संचालक को सरकार नियुक्त करेगी और इस में आगे यह लिखा हुआ है कि वह चार वर्ष तक इस पद पर कार्य करेगी ।" इस में यही कमी थी । इसे दूर करने के लिए यह अभिनिविष्ट कर दिया गया है । और मैं समझता हूं कि यह ठीक ही किया गया है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : श्रीमान यदि आप खण्ड ६ की टिप्पणी देख लें तो सारी चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगी । हैं

श्री त्यागी : निस्सन्देह मुझे केवल इसी बात की चिन्ता थी कि सरकार के पास अच्छी प्रकार अधिकार रहे और क्योंकि प्रबन्ध संचालक को संचालक बोर्ड की सिफारिश प्राप्त होने पर नियुक्त किया गया था, हमने सोचा कि उस को हटाने में भी उन की राय पूछ लेनी चाहिये । अन्यथा प्रस्तावित संशोधन के

[श्री त्यागी]

अनुसार उसे हटाने का अधिकार सरकार के हाथ में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर रोक लग जायेगी। वह इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अब भी अस्थाई प्रबन्ध संचालक बोर्ड की सलाह से नियुक्त किया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ती बहुसंख्या का मत हुआ । उनसे परामर्श लेकर उसे नहीं हटाया जायेगा । क्या मंत्री महोदय की यह इच्छा है.....

डा० एम० एम० दास (बर्दवान—रक्षित—अनुसूचित जातियां): पृष्ठ २ की पंक्ति २७ से ३० तक को निकाल देने के लिये मेरा एक संशोधन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में श्री टी० के० चौधरी पहिले ही एक संशोधन प्रस्तुत कर चुके हैं ।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २ की पंक्ति २७ से ३० तक को निकाल दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि पंक्ति २७ से ३० तक का लोप कर दिया गया है अतः श्री के० के० बसु के संशोधन को सदन के समक्ष रखने की आवश्यकता नहीं ।

श्री ए० सी० गुहा का संशोधन जैसा कि उसे पंडित ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तुत किया है स्वीकार कर लिया जायेगा ।

यदि वह बिना अनुमति के छट्टी पर चला जायतो उस के लिये कम से कम पर्याप्त कारण होना चाहिये । यदि कारण पर ध्यान दिये बिना उसे हटा दिया जाये तो बोर्ड को क्षमा करने का को अधिकार नहीं है । माननीय मंत्री इस पर पुनर्विचार करने की कृपा करें ।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २ को पंक्ति ३४ से ३६ तक के स्थान पर निम्नलिखित आदिष्ट कर दिया जाये :

संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : सौभाग्य से इस संशोधन के विषय में सब एक मत हैं ।

मैं समझता हूं कि मुझे अन्य संशोधनों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ६ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ७—नई धारा १३ क का निर्देश इत्यादि)

डा० एम० एम० दास : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २ की पंक्ति ४३ और ४४ में से "after consideration of the recommendation of the Board" ["बोर्ड की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात्"] को निकाल दिया जाये ।

विधेयक के खण्ड ७ में जिसे कि मेरे संशोधन द्वारा संशोधित करने की मांग की गई है, यह लिखा है कि यदि कोई प्रबन्ध संचालक बीमारी, दुर्घटना अथवा अन्य किसी कारण से अपने कार्यालय से अनुपस्थित रहता है, तो केन्द्रीय सरकार को उस समय के लिये किसी दूसरे व्यक्ति को प्रबन्ध संचालक के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त करने का अधिकार होगा, किन्तु इस प्रकार की अस्थायी नियुक्ति कर

से पूर्व सरकार को इस विषय में बोर्ड की सिफारिशों पर अवश्य विचार करना चाहिये । यह पहिले संशोधन के समान ही है । मेरे संशोधन में अस्थायी प्रबन्ध संचालक को नियुक्त करने का एकमात्र अधिकार सरकार को ही देने का प्रस्ताव किया गया है और बोर्ड का इस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन यह है कि इस अंश को निकाल दिया जाये : "after consideration of the recommendation of the Board" ["बोर्ड की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात्"] । अर्थात् आकस्मिक रिक्तियां बोर्ड के परामर्श के बिना भरी जायेंगी ।

श्री एम० सी० शाह : मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ७ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ८.—(धारा १४ का संशोधन इत्यादि)

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड ८ निकाल देने के सम्बन्ध में डा० एम० एम० दास का संशोधन अनियमित है । और कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ८ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ८ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ९ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड १०.—(धारा १९ का संशोधन इत्यादि)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री टी० के चौधरी का खण्ड १० को निकालने का संशोधन अनियमित है ।

श्री के० के० बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३ की पंक्ति १० में " State Cooperative Bank" ["राज्य सहकारी बैंक"] के पश्चात् " and with the consent of the Central Bank" ["और सैन्ट्रल बैंक की स्वीकृति से"] ये शब्द निविष्ट कर दिये जायें ।

इस संशोधन से वे इस धारा का क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं । मैं उस पर एक रोक लगाना चाहता हूं । पहिले वे केवल इम्पीरियल बैंक था रिज़र्व बैंक में ही धन लगा सकते थे । अब वह निजी बैंकों तथा निजी निगमों में भी धन लगाना चाहते हैं । क्योंकि उन का इस पर प्रभुत्व है, अतएव मैं यह रोक लगाना चाहता हूं । निजी बैंकों में रुपया लगाने से पहिले रिज़र्व बैंक के साथ केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति भी लेनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने समझा था कि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि कृषि के लिये और सहकारी आन्दोलन के लिये अधिक रुपया दिया जाये ।

श्री एम० सी० शाह : मेरे विचार में कुछ गलतफहमी हो गई है । औद्योगिक वित्त निगम के पास पांच करोड़ रुपये की पूंजी और ५.८ करोड़ के बन्धक-पत्र हैं—हम यह सारा धन नहीं दे सकते । हमारे पास बहुत फालतू धन है । हम या तो सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकते हैं या रिज़र्व बैंक आफ इंडिया में धन जमा कर सकते हैं जहां कि हमें बहुत कम व्याज मिलता है । यह औद्योगिक वित्त निगम के लिये वित्तीय दृष्टि से लाभ प्रद है । हमें इस

[श्री एम० सी० शाह]

से अधिक ब्याज मिलेगा । उस में भी हमने रिज़र्व बैंक की स्वीकृति का उपबन्ध किया हुआ है । मुझे समझ नहीं आता कि इस में क्या आपत्ति हो सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस में केन्द्रीय सरकार को जोड़ना चाहते हैं । आखिर केन्द्रीय सरकार भी तो रिज़र्व बैंक से ही सलाह लेगी , क्योंकि वही इस का सबसे बड़ा वित्तीय मंत्रणादाता है ।

श्री के० के० बसु : यह सत्य है । यह दूसरी रोक होगी । हम जानते हैं कि गत कुछ वर्षों में कई निजी बैंक परिसमाप्त हो गये हैं । इसलिये इन में धुन लगाने से वित्त निगम का धन मारा जायेगा ।

श्री एम० सी० शाह : अतएव हम ने "रिज़र्व बैंक की सलाह से" इस का उपबन्ध किया है । रिज़र्व बैंक सभी अनुसूचित बैंकों की स्थिति जानता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन सदन के समक्ष रखता हूं । मूल में संशोधन यह है, "...with the consent of the central bank" ("सैंट्रल बैंक की स्वीकृति से....") ।

श्री के० के० बसु : यह छपाई की भूल होगी । यह "Central Government" ["केन्द्रीय सरकार "] होनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३ की पंक्ति १० में " State Cooperative bank ["राज्य सरकारी बैंक"] के पश्चात "and with the consent of the Central Government" ["केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से "] ये शब्द निविष्ट कर दिये जायें ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : "खण्ड १० विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १० विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ११—विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड १२—(धारा २३ का संशोधन इत्यादि)

श्री के० के० बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३ में से पंक्ति ३२ से ३८ तक को निकाल दिया जाये ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३ की पंक्ति ३४ में "the International Bank" ["अन्तर्राष्ट्रीय बैंक"] के स्थान पर " any other Bank" ["कोई अन्य बैंक"] आदिष्ट कर दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस से क्षेत्र बढ़ जायेगा ; हम तो अन्तर्राष्ट्रीय बैंक पर भी आपत्ति कर रहे हैं ।

श्री के० के० बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३ में पंक्ति ४० के पश्चात निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"(III) after sub-section (2), the following new sub-section shall be added, namely :—

(3) No accommodation shall be given to

'the Director or his nominees or to any concern with which he or his relation or nominees are connected

(" (iii) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ दी जायेगी, अर्थात् :—

'(३) संचालक या उसके मनोनीत व्यक्तियों को या किसी ऐसे समवाय को जिस के साथ उस का या उसके सम्बन्धी का अथवा उसके मनोनीत व्यक्ति का सम्बन्ध हो कोई स्थान नहीं दिया जायेगा ।' ")

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुए ।

श्री के० के० बसु : प्रस्तावित संशोधन के अन्तर्गत इस संस्था को "किसी औद्योगिक समवाय के साथ ऋणों या दिये गये अगाऊ धन या उनमें से किसी द्वारा अंश रूप में दिये गये ऋणपत्रों के सम्बन्ध में कोई सौदा करने के बारे में केन्द्रीय सरकार या उसकी स्वीकृति से पुनर्निर्माण तथा विकास के अभिकर्ता" के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया जा रहा है । मैं नई उपधारा के अन्तर्गत इस शक्ति के दिये जाने का विरोध करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि औद्योगिक वित्त निगम ने इस प्रकार कार्य किया है कि इसे और अधिक शक्ति नहीं मिलनी चाहिये । वर्तमान संशोधक विधेयक मुख्यतया उन कतिपय ठेकों को पूरा करने के लिये प्रस्तुत किया गया है जो कि हम ने अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से पुनर्निर्माण के लिये मिलने वाले प्रस्तावित ऋण के कारण दिये हैं ।

हमें यह ऋण लेना चाहिये या नहीं इस पर चर्चा करने से पहिले हम यह अनुभव करते हैं कि हमारे देश में एक विशिष्ट उद्देश्य से इस वित्त निगम की स्थापना हो जानी चाहिये । हमारा देश औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ हैं, अतः हमें ऐसे उद्योगों में धन लगाना चाहिये जिस से कि हमारा देश औद्योगिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो सके । हम जानते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग तथा चीनी उद्योग काफी सुदृढ़ रूप से जम चुका है । किन्तु हम यह नहीं जानते कि इस के लिये दो करोड़ ६४ लाख रुपया क्यों दिया गया है । अन्य मूल उद्योगों के विकास के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया गया ।

इसी प्रकार लगभग ११५ लाख रुपये चीनी उद्योग को दिये गये हैं । हम यह अनुभव करते हैं कि धन का उचित प्रयोग नहीं किया गया है और इस प्रकार औद्योगिक निगम अपने कर्त्तव्यों को पूरा निभा नहीं सका है । यह सरकारी अभिकर्ता का काम सरकारी विभागों से अच्छा नहीं कर सकता। अतः अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण की बातचीत के समय इसे केन्द्रीय सरकार का अभिकर्ता बनना हमारे हित के लिए हानिकारक होगा ।

समवाय विधि जांच समिति ने विशेष रूप से यह लिखा है कि समवाय विधि अधिनियम की धारा ६१ में, जिसमें संचालकों के कर्त्तव्यों का वर्णन है, संचालकों के निजी हितों से सम्बद्ध समवायों को ऋण आदि देने के बारे में कुछ प्रतिबन्ध होने चाहियें । अतः ये प्रतिबन्ध औद्योगिक वित्त निगम पर भी लागू होने चाहियें थे । औद्योगिक वित्त निगम तथा जनसाधारण के हित के लिये यह आवश्यक है कि इस निधि का हमारे देश के राष्ट्रीय उद्योगों तथा सम्पत्ति की वृद्धि के निमित्त उचित रूप से प्रयोग किया जाये ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : मैं सिर्फ दो ही उद्देश्य हाउस के सामने रखना चाहता हूं । जब हम विदेश से अपने मुल्क की सनअत

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

को बढ़ाने के लिये पैसे लेते हैं तो उस का उपयोग भी ठीक तरह से होना चाहिये। हमें रिपोर्ट से यही मालूम होता है कि जो यहां की इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिये बहुत कम खर्च किया गया है। लिहाज़ा हम जो भी पैसा लाते हैं उस का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बजाय कनज्यूमर्स गुड्स (उपभोग्य वस्तुएं) बनाने में लगाने की अपेक्षा इंडस्ट्रीज में लगाने की तरफ़ हमारी सरकार का ध्यान होना चाहिये। अगर ऐसा होगा तो ठीक होगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कहीं हमारी यह मनोवृत्ति ही न हो जाय कि हम हमेशा हर बात के लिये विदेशी सहायता पर ही निर्भर करते रहें। यहां पर जो सनअत है उस से जो सरप्लस (अतिरिक्त) माल पैदा होता है उसके जरिये अगर इंडस्ट्री को तरक्की देने की बात सोची जाय तो ज्यादा मुनासिब होगा।

लिहाजा मैं ज्यादा न कहते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो पैसा बाहर से मुल्क में लाया जाता है उस का ज्यादा से ज्यादा उपयोग इंडस्ट्रीज़ (मुख्य उद्योगों) के लिये किया जाये और किसी कनज्यूमर इंडस्ट्री के लिये या किसी ऐसी इंडस्ट्री के लिये जोकि मुल्क के लिये ज्यादा बेहतर न हो उस पैसे को न खपाया जाय। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री एम० सी० शाह : मैं अपने कल के उत्तर में पहिले ही यह बतला चुका हूं कि इस संशोधन को क्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता। निगम जो काम कर सकता है उस के क्षेत्र का मूल अधिनियम की धारा २३ में वर्णन किया हुआ है। इस में उपधारायें (क), (ख), (ग), (घ) इत्यादि हैं। अब हम इस में एक उपधारा और जोड़ना चाहते हैं जिससे यदि पुनर्निर्माण और विकास का अन्तर्राष्ट्रीय बैंक किन्हीं निजी या सरकारी निगमों या समवायों को सीधा ऋण देना चाहे तो निगम उस के अभिकर्ता के रूप में कार्य कर सके। हमारे पास विशेष विशेषज्ञ संघटन है। हम उन की सहायता कर सकते हैं। इस के साथ ही हम एक आयोग भी बना सकते हैं जो पुनर्निर्माण तथा विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के अभिकर्त्ता के रूप में कार्य कर सके। सत्य तो यह है कि हम निजी क्षेत्र के विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से यथासम्भव अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं। यदि कोई निजी समवाय अन्तर्राष्ट्रीय बैंक को उन्हें कुछ धन ऋण के रूप में देने के लिये प्रेरित कर सकें और यदि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक यह चाहे कि हम उसके अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करें, तो हम ऐसा करने के लिये तैयार हैं। इस उपबन्ध द्वारा निगम का कार्यक्षेत्र बढ़ाया जा रहा है। अतः मेरे माननीय मित्र श्री बसु द्वारा अभी अभी प्रस्तुत किये गये संशोधन के लिये कोई गुंजाइश नहीं है और मैं समझता हूं कि सरकार ने जो कुछ भी किया है वह औद्योगिक वित्त निगम के हित तथा देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बिल्कुल उचित है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३ में से पंक्ति ३२ से ३८ तक को निकाल दिया जाये।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के० के० बसु का संशोधन प्रस्तुत हुआ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : मैं अपना संशोधन वापिस लेने के लिये सदन की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन अनुमति से वापिस ले लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि:

"खण्ड १२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १२ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड १३--(धारा २४ का संशोधन इत्यादि)

श्री के० के० बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ४ में से पंक्ति ४ से ८ तक को निकाल दिया जाये ।

खण्ड १३ द्वारा सरकार मुख्य अधिनियम की मूल धारा २४ में संशोधन करना चाहती है जिस से कि दिये जाने वाले ऋण की सीमा एक करोड़ रुपये तक बढ़ा दी जाये, इसके साथ यह परादिक भी लगा हुआ है कि यदि केन्द्रीय सरकार ऋण इत्यादि का प्रत्याभूति दे दे तो यह सीमाबन्धन लागू नहीं होगा और कोई भी राशि दी जा सकती है । हमें इस परादिक की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती और इस की आवश्यकता को जानने के लिये हमारे समक्ष कोई सामग्री भी तो नहीं रखी गई । मूल अधिनियम में यह सीमा ५० लाख रुपये तक थी । अब इसे एक करोड़ रुपये तक बढ़ाने की मांग की गई है । हम यह अनुभव करते हैं कि हमारे थोड़े से धन का इस प्रकार से प्रयोग नहीं होने देना चाहिये । जब हम सरकार के उद्योग बनाने जा रहे हैं तो हम नहीं जानते कि किसी निजी उद्योग को एक करोड़ से अधिक रुपये की कैसे आवश्यकता हो सकती है । सरकार को किसी योजना के क्रियान्वित हो सकने पर विस्तार से विचार करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिये और इस को निगम पर छोड़ कर केवल उसकी प्रत्याभूति करने वाला नहीं बनना चाहिये ।

[**श्री एन० सी० चटर्जी** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

ऋण की सीमा एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं बढ़ानी चाहिये । यदि ऋण न चुकाये जायें तो उन्हें हमारी सरकार से वसूल किया जाये ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये और मुझे आशा है कि सरकार इस परादिक को हटा देगी ।

श्री एम० सी० शाह : हम यह नहीं चाहते कि औद्योगिक वित्त निगम एक करोड़ से अधिक के ऋण दे, किन्तु ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं जब औद्योगिक वित्त निगम एक करोड़ से अधिक का ऋण दे सकता हो जिस की कि किसी उद्योग को नितान्त आवश्यकता हो । इसके अतिरिक्त हम ने यह उपबन्ध किया है कि सरकार उस ऋण की प्रत्याभूति देगी और जब सरकार उस ऋण की प्रत्याभूति देगी तो उस के द्वारा उस व्यापार की निश्चय ही अत्यधिक सूक्ष्म की जायेगी । रिज़र्व बैंक की मंत्रणा ली जायेगी और जब उस पर विचार करने के पश्चात् इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि इस उद्योग की अवश्य सहायता की जानी चाहिये, तो केवल उसी अवस्था में ऋण दिया जायेगा । हम एक करोड़ रुपये तक का अधिकार तो पहिले ही दे चुके हैं, परन्तु जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया था कि कोई ऐसे उद्योग हो सकते हैं, जैसे कि पोत बनाने का उद्योग, जिसे कि डेढ़ करोड़ की आवश्यकता हो । जिस धारा में संशोधन किया जा रहा है उस के अन्तर्गत यह बात नहीं की जा सकती ; औद्योगिक वित्त निगम केवल एक करोड़ ही दे सकता

[श्री एम० सी० शाह]

है । यदि अत्यधिक आवश्यकता हो, तभी यह दिया जाता है । जैसा कि मैंने कल कहा था नौपरिवहन उद्योग एक मुख्य उद्योग है । वे अधिक पोत बनाना चाहते हैं और इस के लिये उन्हें डेढ़ करोड़ की आवश्यकता हो सकती है । अथवा कुछ भारी इन्जिनियरिंग सम्बन्धी उद्योगों को लीजिये । उन के लिये भी अधिक पूंजी की आवश्यकता है और अधिक पूंजी नहीं मिल सकती । किन्तु फिर भी सम्भव है कि वह योजना बहुत उपयोगी हो और मैं समझता हूं कि देश के हित में औद्योगिक वित्त निगम को उस उद्योग की सहायता करनी चाहिये । इस परादिक को रखने का केवल इतना ही प्रयोजन है ।

डा० एम० एम० दास : क्या इस की कोई सीमा निश्चित है कि सरकार कहां तक प्रत्याभूति दे सकती है अथवा इसकी कोई सीमा नहीं है ?

श्री एम० सी० शाह : जहां तक औद्योगिक वित्त निगम का सम्बन्ध है, इस की सीमा एक करोड़ तक निश्चित है । किन्तु हम तो पांच करोड़ की भी प्रत्याभूति दे सकते हैं । मान लीजिये कि औद्योगिक वित्त निगम को अच्छी दर पर अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से २० करोड़ रुपये मिल सकते हैं और वह दो करोड़ रुपये ऋण देना चाहता है तो वह ऋण केवल तभी दिया जा सकता है यदि सरकार उस की प्रत्याभूति दे दे और यदि उस योजना की अच्छी प्रकार सूक्ष्म परीक्षा कर ली जाये और उस उद्योग की सहायता करना उपयुक्त हो । अतः हम ने जान-बूझ कर ही कोई अधिकतम सीमा नहीं रखी है ।

डा० एम० एम० दास: क्या मैं यह समझूं कि सरकार किसी भी अपरिमित राशि तक प्रत्याभूति दे सकती है ?

श्री एम० सी० शाह : जी हां । मूल अधिनियम के अधीन आप के पास पहिले ही बन्ध-पत्र विद्यमान हैं । यदि हमारे पास परिदत्त पूंजी दस करोड़ की हो तो हम ५० करोड़ तक के बन्ध-पत्र दे सकते हैं। उन बन्ध-पत्रों अर्थात मूल तथा व्याज की प्रत्याभूति दी हुई होती है । यह तो हम पहिले ही मान चुके हैं ।

श्री के० के० बसु : यह ऋण तो उद्योगों को दिया जाता है ।

श्री एम० सी० शाह : बन्ध-पत्र औद्योगिक वित्त निगम द्वारा उद्योगों को ऋण देने के लिये जारी किये जायेंगे और उन सब बन्ध-पत्रों के मूल धन तथा व्याज दोनों की सरकार प्रत्याभूति देगी । वर्तमान परिदत्त पूंजी के अनुसार भी औद्योगिक वित्त निगम २५ करोड़ तक इकट्ठे कर सकता है और बन्ध-पत्र जारी कर सकता है और इन सारे २५ करोड़ के बन्ध-पत्रों की, मूल धन तथा व्याज सहित, सरकार द्वारा प्रत्याभूति दी हुई होती है । अतः यहां प्रश्न यह है कि यदि एक करोड़ से अधिक के ऋण की आवश्यकता हो और वह दिया जाना हो, तो औद्योगिक वित्त निगम को तुरन्त उसे दे देने की स्वतंत्रता नही है, परन्तु यदि औद्योगिक वित्त निगम उस प्रस्ताव पर विचार करके उस योजना की सूक्ष्म परीक्षा करके इस परिणाम पर पहुंचता है कि देश की अर्थ व्यवस्था के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए उस उद्योग की सहायता की जानी चाहिये, तो निगम की सिफारिश पर भारत सरकार निश्चय ही उस योजना की सूक्ष्म परीक्षा करेगी और ऋण की तथा मूलधन और व्याज के भुगतान की प्रत्याभूति देगी और केवल तभी औद्योगिक वित्त निगम वह ऋण देगा ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : यदि यह अभिप्राय है कि सरकार को अपरिमित सीमा

तक प्रत्याभूति देने का सैद्धान्तिक रूप से अधिकार होगा, तो क्या सरकार इस प्रकार की स्थिति के वस्तुतः उपस्थित होने से पहिले सदन से परामर्श ले लेगी ? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । माननीय मंत्री ने अभी अभी सरकार के किसी भी अपरिमित सीमा तक प्रत्याभूति देने का जिस प्रकार से वर्णन किया है उस से यह स्पष्ट है कि अन्तिम वचन देने से पहिले सदन से अवश्य परामर्श ले लेना चाहिये ।

श्री एम० सी० शाह : सरकार अपरिमित सीमा तक प्रत्याभूति नहीं देगी । हम तो एक विदेशी मुद्रा में ऋण ले रहे हैं । इसे तो हम पहिले ही मान चुके हैं । औद्योगिक वित्त निगम के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण लेने पर कोई सीमा बन्धन नहीं लगाया गया है । उस ऋण की तो सरकार ने प्रत्याभूति दी हुई है । आज हम अस्सी लाख डालर लेने जा रहे हैं । मैं कहता हूं कि यदि हमें अच्छी शर्तों पर मिलें तो कल हम निजी-क्षेत्र के लिये ८ करोड़ डालर भी ले सकते हैं । परन्तु सरकार उन ऋणों की प्रत्याभूति दे देती है । सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आप को सरकार पर विश्वास करना चाहिये । वह कोई साहसिक कार्य नहीं करेगी ।

श्री के० के० बसु : ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मंत्री को कुछ भ्रम है । अन्तर्राष्ट्रीय बैंक निगम को धन दे रहा है जिस में सरकार के प्रतिनिधि हैं, परन्तु इस परादिक के अन्तर्गत किसी विशेष समवाय को ऋण दिया जाना है जिस के प्रशासन में सम्भवतः सरकार का जरा भी हाथ न हो । कोई निजी समवाय यदि ऋण मांगे तो उस की प्रत्याभूति सरकार को देनी होगी और उस पर कोई सीमा बन्धन भी नहीं लगाया जायेगा । इस परादिक के अधीन यही शक्ति मांगी जा रही है ।

श्री एम० सी० शाह : मेरे विद्वान मित्र की दृष्टि से अधिनियम की धारायें छूट गई हैं । जब कभी औद्योगिक वित्त निगम कोई धन उधार देता है, तो यह शर्तें लगा देता है । यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि औद्योगिक वित्त निगम केवल बन्धक रख कर ही ऋण दे सकता है । कल जब उड़ीसा टेक्सटाइल्स का उल्लेख किया गया था तो मैंने बतलाया था । निगम ने एक करोड़ और ५२ लाख के बन्ध-पत्रों के प्रति केवल ५० लाख रुपये दिये थे और उस समवाय ने गत वर्ष ३७ लाख कमाये । यदि ऐसा कोई समवाय होगा तो सरकार निश्चय ही उस के प्रश्न पर विचार करेगी । ऋण केवल पर्याप्त प्रतिभूति मिलने पर ही दिये जाते हैं । इसलिये मैं कहता हूं कि इस में बिल्कुल कोई खराबी नहीं है ।

श्री बी० दास (जाजपुर-क्योंझर) : आरम्भ में जब यह औद्योगिक वित्त निगम बनाया गया था तो सदन का विचार ५० लाख रुपये तक दिये जाने का था । अब आप कहते हैं कि सरकार किसी विशेष उद्योग को आठ करोड़ तक अथवा २० करोड़ तक भी सहायता दे सकती है । मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री को इस विषय में संयम से काम लेना चाहिये और इन ऋणों को मंजूर करने से पहिले या निगम को देने की अनुज्ञा देने से पहिले सदन की स्वीकृति ले लेनी चाहिये ।

श्री एम० सी० शाह : इन सब सौदों के बारे में वित्त मंत्री रिजर्व बैंक से परामर्श लेता है और अन्त में उस पर सदन का नियंत्रण तो होता ही है । सब जानते हैं कि आजकल हम पोत निर्माण करने वाले समवाय को २ १/२ प्रतिशत के रियायती दर पर ऋण दे रहे हैं । मेरे विचार में ये ऋण सदन के सामने नहीं रखे जाते । वित्त

[श्री एम० सी० शाह]

मंत्री या मंत्रालय यातायात मंत्रालय के परामर्श से इन ऋणों को मंजूर करते हैं। अन्तिम रूप से भारत सरकार के वित्त पर सदन का नियंत्रण होता है और वित्त मंत्री सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं नहीं समझता कि कोई वित्त मंत्री अपनी इच्छानुसार ऋण देने का साहसिक कार्य कर सकेगा।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : जब यह विषय सदन के समक्ष नहीं रखा जाता तो सदन इस पर अन्तिम नियंत्रण कैसे रखता है ?

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (जिला प्रतापगढ़—पूर्व) : इस परादिक में निश्चित रूप से यह उपबन्ध किया जाना चाहिये कि सरकार अमुक सीमा तक प्रत्याभूति दे सकती है। अन्यथा इस में यह कमी रहेगी कि जैसे सरकार की यह शक्ति अपरिमित हो। मैं माननीय मंत्री से इस पर विचार करने का अनुरोध करूंगा।

श्री एम० एस० गुरुपाद स्वामी : मैं यह कहता हूं कि धारा २४ का संशोधन सर्वथा अनावश्यक है। मैं सारी नई धारा २४ के विरुद्ध हूं। मैं यह अनुभव करता हूं कि आप को देश में बड़े उद्योगों को नहीं अपितु छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिये। मैं समझता हूं कि मूल धारा को रहने देना चाहिये और ५० लाख के सीमाबन्धन को नहीं हटाना चाहिये। यदि यह संशोधन पारित हो जायगा तो निगम की सारी पूंजी बड़े बड़े दो, तीन उद्योग हड़प जायेंगे और यह देश की अर्थव्यवस्था के लिये हानिकारक होगा। निगम की वित्तीय सहायता हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में बांटी जानी चाहिये जिस से हमारे देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की उन्नति हो सके।

श्री त्यागी : ऐसा प्रतीत होता है कि इस उपबन्ध को अच्छी प्रकार समझा नहीं गया। इस उपबन्ध के बनने का कारण यह है कि हम विश्व बैंक से ऋण के लिये बात चीत कर रहें हैं और हमें फिर भी बात-चीत करनी पड़ेगी। और अब इस बात का उपबन्ध कर दिया गया है कि यदि किन्हीं उद्योगों को बड़े बड़े ऋणों की आवश्यकता हो और विश्व बैंक उनके मामले का अनुसमर्थन कर सके, तो विश्व बैंक स्वयं तो सीधा उन्हें ऋण नहीं देगा, किन्तु औद्योगिक वित्त निगम से ऋण दिलवाने में सुविधा कर देगा। इस प्रकार के मामले में जिसमें कि विश्व बैंक भी इस बात का अनुसमर्थन कर देगा कि यह उद्योग वस्तुतः भारी ऋण दिये जाने योग्य है, तो औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण दे दिया जायेगा। अतः हमारी विकास योजनाओं की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को जिन्हें कि बड़े बड़े ऋण चाहियें अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की स्वीकृति से उस से बड़े बड़े ऋण दिलवा सकने के लिये ही निगम को यह सुविधा देने की मांग की जा रही है। केवल इतना ही उद्देश्य है। वास्तव में साधारणतया ऋण देने की जो प्रक्रिया है उस के अनुसार यह कहा जा सकता है कि वे सामान्यतया ५० या ६० लाख रुपये से अधिक ऋण नहीं देंगे, परन्तु उन्हें विश्व बैंक से अधिक बड़े ऋण लेने में समर्थ बनाने के लिये ही हम यह शक्ति चाहते हैं। इस दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय हम उन से बातचीत कर रहे हैं और कतिपय परियोजनायें उन के समक्ष रखी गई हैं और उन्होंने उन्हें मंजूर भी कर लिया है। और भी परियोजनायें फिर उनके समक्ष रखी जा सकती हैं जिन्हें कि अधिक ऋण की आवश्यकता हो। अतः इस शक्ति से

इस में सुविधा मिल जायेगी और इस लिये यह आवश्यक है। उस के बिना विश्व बैंक हमारे साथ वस्तुतः लेन-देन नहीं करेगा क्योंकि वे कुछ प्रतिभूति चाहते हैं अथवा कोई ज़ामिन चाहते हैं जिस के द्वारा कि वे ऋण दे सकें। अतः इसी प्रयोजन के लिये यह शक्ति मांगी जा रही है।

डा० एन० बी० खरे: क्या इस का यह तात्पर्य नहीं कि हमारी पीठ पीछे सारे देश को बन्धक रख दिया जायेगा ?

श्री त्यागी : जब तक आस्तियां विद्यमान हैं और नई आस्तियां बन रही हैं तब तक मेरे माननीय मित्र की सारी आस्तियों को बन्धक रखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

पृष्ठ ४ में से पंक्ति ४ से ८ तक को निकाल दिया जाये।

मत विभाजन हुआ: पक्ष में ४२: विपक्ष में १५२

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

४ प० म०

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

"खण्ड १३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १३ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड १४ तथा १५ विधेयक का अंग बना लिये गये।

खण्ड १६.—(नई धारा का आदेश इत्यादि

श्री एम० सी० शाह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ ४ की पंक्ति ३० में "the interest" ("ब्याज") के पश्चात् " and other incidental charges" ("और अन्य आनुषंगिक व्यय") ये शब्द निविष्ट कर दिये जायें।

श्री टी० के० चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ४ की पंक्ति २७ में "or otherwise (" अथवा अन्यथा") के स्थान पर निम्नलिखित आदिष्ट कर दिया जाये :

"or from any other source or any other international and foreign agency."

("अथवा किसी अन्य स्रोत से या किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय और विदेशी अभिकरण से।")

श्री के० के० बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ ४ की पंक्ति २७ के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"and may pledge, mortgage, hypothecate or assign to the said Bank or other foreign lender all or any part of the security taken by the corporation from the industrial concerns for the loans or advances granted in foreign currency."

("और निगम द्वारा औद्योगिक समवाय से ऋण या विदेशी मुद्रा में दिये गये अगाऊ धन के लिये ली गई सम्पूर्ण प्रतिभूति या उसके किसी अंश को उक्त बैंक या अन्य विदेशी ऋणदाता के पास वचनबद्ध कर सके, बन्धक, रहन रख सके या दे सके।")

(२) पृष्ठ ४ की पंक्ति ३० के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"and shall supervise utilisation of all such loans."

[श्री० के० के० बसु]

("और इस प्रकार के सभी ऋणों के प्रयोग का अधीक्षण करेगा।")

(३) पृष्ठ ४ की पंक्ति ३४ के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"Provided that the Central Government shall have the power of superintendence over such industry as the utilisation of loans granted hereunder."

("परन्तु शर्त यह है कि केन्द्रीय सरकार को इस के अधीन दिये गये ऋण के प्रयोग के सम्बन्ध में इस प्रकार के उद्योग के अधीक्षण का अधिकार होगा।")

श्री टी० के० चौधरी : प्रस्तावित धारा २७ में "or otherwise" ("अथवा अन्यथा") इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं है। क्या यह 'otherwise' ('अन्यथा') केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति की ओर निर्देश करता है, अथवा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के अतिरिक्त किसी अन्य विदेशी स्रोत से ऋणों की ओर निर्देश करता है। मेरे संशोधन का केवल इतना ही अभिप्राय है कि औद्योगिक वित्त निगम पुनर्निर्माण और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के अतिरिक्त अन्य विदेशी स्रोतों से भी ऋण ले सके। मेरे संशोधन का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम इस समय अन्तर्राष्ट्रीय बैंक पर नियंत्रण रखने वाली किसी एक शक्ति या बहुत-सी शक्तियों के साथ बंध न जायें परन्तु अन्य देशों से भी विदेशी मुद्रा में ऋण ले सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आशंका प्रतीत होती है कि "otherwise" ("अन्यथा") शब्द केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति की ओर निर्देश न करता हो।

श्री त्यागी : इस का सम्बन्ध "पुनर्निर्माण तथा विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से विदेशी मुद्रा" अथवा अन्यथा इस वाक्य खंड से है।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा, तो यह अर्थ है।

श्री के० के० बसु : इस संशोधक विधेयक के खण्ड १६ में मूल अधिनियम की पुरानी धारा २७ के स्थान पर नई धारा २७ आदिष्ट करना अपेक्षित है। नई धारा के अन्तर्गत सरकार की न केवल पुरानी स्वीकृति देने की शक्ति को बढ़ाया जा रहा है अपितु सरकार विदेशों से या पुनर्निर्माण तथा विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से इस प्रकार के ऋण लेने की प्रत्याभूति भी दे सकती है।

मैं "may pledge ..... foreign currency" इस उपखण्ड को मूल अधिनियम की पुरानी धारा २७ के समान रखना चाहता हूं।

उपधारा (२) में "and shall supervise utilisation of all such loans" इन शब्दों को एक वाक्य खण्ड के रूप में जोड़ना चाहता हूं जिस से कि केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व केवल प्रत्याभूति दे कर ही समाप्त नहीं हो जायेगा, किन्तु इसे इस प्रकार के ऋणों के प्रयोग के अधीक्षण का भी अधिकार होगा।

हम ने अधिनियम की धारा २४ से सम्बन्धित खण्ड १३ अभी अभी पारित किया है जिस में ऋण की सीमा बढ़ा दी गई है। और यदि पुरानी धारा २७ के स्थान पर नई धारा रख दी गई तो औद्योगिक समवाय की आस्तियों को बन्धक रखने का उपबन्ध भी नहीं रहेगा और यह सम्भव हो सकता है कि विदेशी समवाय केवल केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति पर ही ऋण दे दे। किन्तु यदि बन्धक के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उपबन्ध न हो तो किसी १५ या २५ लाख रुपये की परिदत्त पूंजी वाले औद्योगिक

समवाय को किसी विशेष पदाधिकारी या मंत्री के निर्णय पर तीन करोड़ रुपये का ऋण दिया जा सकता है। अतः मेरी समझ में यह नहीं आया कि सरकार ने इस उपखण्ड को जान-बूझ कर नई उपधारा में से क्यों निकाल दिया है।

[**श्री एन० सी० चटर्जी** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

हम औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं अतः हमें विदेशी ऋणों की आवश्यकता हो सकती है। किन्तु ये ऋण सरकारी स्तर पर लिये जाने चाहियें और औद्योगिक वित्त निगम को अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से सीधे बातचीत करके ऋण नहीं लेने देना चाहिये क्योंकि निगम में बड़े बड़े व्यापारियों की प्रधानता है अतः हमारे राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचने की सम्भावना है। इन ऋणों के साथ कोई राजनैतिक शर्तें नहीं लगी होनी चाहियें।

सरकार को कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इस धन का उचित रूप से प्रयोग किया जाये। इसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि ये उद्योग उचित प्रकार से और राष्ट्र के हित में कार्य करें। विदेशी ऋणों के प्रति हमारा रुख कैसा होना चाहिये इस पर पुनः बल देते हुए मैं यह अनुरोध करता हूं कि सरकार को यह संशोधन अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिये। इसी में राष्ट्र का हित निहित है।

श्री कास्लीवाल (कोटा-झालावाड़): मुझे भय है कि इस नये खण्ड से वर्तमान अधिनियम की धारा २७ के संशोधन से केन्द्रीय सरकार की स्थिति बड़ी विचित्र हो जायेगी। दोनों की तुलना से यह भी पता लग जायेगा। वर्तमान अधिनियम के अधीन निगम केवल केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से हीं ऋण मांग सकती है। प्रस्तावित संशोधन के अधीन केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति मांगने का प्रस्ताव किया गया है। यह तो एक परिवर्तन हुआ। दूसरा यह है कि इस अधिनियम के अधीन औद्योगिक समवाय को अपनी किसी आस्ति को विदेशी ऋण के बदले वचनबद्ध करना पड़ता था या बन्धक रखना पड़ता था। नये संशोधन के अधीन औद्योगिक समवाय को बन्धक आदि रखने से बिल्कुल मुक्त करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। विदेशी मुद्रा ऋण में लेने वालों को या तो उसी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता था अथवा ऋण को चुकाने के समय प्रचलित विनिमय दर के अनुसार उस के समान भारतीय मुद्रा में देना पड़ता था। अब स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। अब ये औद्योगिक समवाय केवल भारतीय मुद्रा में भुगतान करेंगे और इस विनिमय में होने वाले सब हानि या लाभ केन्द्रीय सरकार को दे दिये जायेंगे या उस से ले लिये जायेंगे। कोई औद्योगिक समवाय नहीं लौटायेगा। मुझे तो यही भय है। जब कि सरकार को विदेशी मुद्रा की विनिमय दर में घटाबढ़ी से कोई लाभ नहीं होगा उसे इस से होने वाली हानि उठानी पड़ेगी। अन्तिम बात यह है कि व्याज तथा अन्य आनुषंगिक व्यय आदि के चुकाने की केन्द्रीय सरकार को प्रत्याभूति देनी होगी। अतः मेरा यह निवेदन है कि प्रस्तावित संशोधन से केन्द्रीय सरकार की स्थिति बहुत अधिक खराब हो जायेगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री सारी स्थिति पर पुनर्विचार करें।

श्री एम० सी० शाह: श्री के० के० बसु के उन संशोधनों के सम्बन्ध में जिन में कि उन्हों ने केन्द्रीय सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण की मांग की है, मेरा यह निवेदन है कि हम पहिले ही यह बतला चुके हैं कि सरकार का औद्योगिक वित्त निगम की सभी कार्यवाहियों पर पूर्ण नियंत्रण है। हमारे उस में प्रतिनिधि हैं। मैं औद्योगिक वित्त निगम की कार्यविधि कल विस्तार से बतला चुका हूं। अतः इन संशोधनों को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है।

[श्री एम० सी० शाह]

मेरे माननीय मित्र के विदेशी मुद्रा सम्बन्धी भय के बारे में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि मूल धारा २७ में औद्योगिक वित्त निगम को विदेशी मुद्रा में ऋण लेने की आज्ञा मिली हुई थी । किन्तु, उस में एक कमी थी । क्योंकि विदेशी मुद्रा केवल तभी उधार ली जा सकती है यदि उस देश की सरकार जिस में कि वह समवाय स्थित हो प्रत्याभूति दे दे । इसी प्रयोजन के लिये यह संशोधक विधेयक प्रस्तुत किया गया है । उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि यह संशोधक विधेयक इसलिये प्रस्तुत किया गया है क्योंकि हम विदेशी मुद्रा में अर्थात् पुनर्निर्माण तथा विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण लेना चाहते हैं । अतः धारा २७ के बन्धक, रहन तथा इन सभी बातों के सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र को कोई आशंका नहीं होनी चाहिये । क्योंकि यदि वे धारा २४ और २५ पढ़ें जिन में कि ऋण की सीमा और ऋण के लिये शर्तें लगाने की शक्ति दी हुई हैं, तो उन्हें ये उपबन्ध वहां मिल जायेंगे । औद्योगिक वित्त निगम जब कभी चाहे विदेशी मुद्रा में ऋण ले सकता है । उसके विषय में भी निम्नलिखित उपबन्ध किया हुआ है । कल्पना कीजिये कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक औद्योगिक वित्त निगम को अस्सी लाख डालर का ऋण देता है । ये अस्सी लाख डालर इकट्ठे नहीं ले लिये जायेंगे । औद्योगिक समवाय इन्हें आवश्यकतानुसार लेते रहेंगे । यदि उन्हों ने संयुक्त राज्य अमेरिका या जर्मनी या जापान या ब्रिटेन में वस्तुयें खरीदी हों और यदि उन्हें उन देशों की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता हो तो अन्तर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा औद्योगिक वित्त निगम को ऋण के रूप में दी गई अस्सी लाख डालर की राशि में से हम उतनी विदेशी मुद्रा ले लेंगे और उतनी विदेशी मुद्रा संयुक्त राज्य अमेरिका में औद्योगिक वित्त निगम के हिसाब में जमा कर दी जायेगी । और उस औद्योगिक समवाय की आवश्यकताओं के अनुसार जिसे कि ऋण दिया गया है, उस के द्वारा ब्रिटेन या जर्मनी या जापान या अमेरिका में जहां कहीं भी उसे वस्तुयें सस्ती मिली हों, खरीदी गई वस्तुओं के लिये उस देश की मुद्रा में वहां उस राशि में से भुगतान कर दिया जायेगा । जिस औद्योगिक समवाय को ऋण दिया जाना है उसे यहां उतनी भारतीय मुद्रा दे दी जायेगी और उस के हिसाब में उतनी भारतीय मुद्रा जमा करवा दी जायेगी । आजकल ४·७६ रुपये प्रति डालर का अनुपात है । इस प्रकार विदेशी मुद्रा में ऋण लेने के लिये उसे उतना धन यहां मिल जायेगा । इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जब किसी औद्योगिक समवाय को कोई ऋण दिया जाता है तो औद्योगिक वित्त निगम उस की आस्तियों को रहन, बन्धक आदि रख लेता है । अतः पुरानी धारा को यहां रखना आवश्यक नहीं है ।

हानि और लाभ के सम्बन्ध में भी कुछ भ्रम हो गया है । स्थिति यह है, औद्योगिक वित्त निगम वह विदेशी मुद्रा आज ले लेगा । आज की दर ४·७६ रुपये है । अवमूल्यन से पहिले यह ३·३ रुपये या इसी प्रकार कुछ थी । हम आज एक ऋण लेते हैं । ऋण की कुछ अवधि होगी । जैसी कि अब व्यवस्था की गई है हमें यह ऋण १२ वर्ष के अन्दर चुकाना पड़ेगा । मान लीजिये कि ऋण चुकाने के समय डालर और रुपये का मूल्य बदल जाता है, यदि कोई हानि होगी तो औद्योगिक वित्त निगम उसे नहीं उठा सकता । जहां कहीं भी विदेशी मुद्रा में ऋण दिया जाता है उन सभी देशों में सामान्यतया ऐसा ही होता है । यदि कोई लाभ होगा तो वह लाभ भी सरकार को मिलेगा । सत्य तो यह है कि अधिनियम के अन्तर्गत इस बात की व्यवस्था की गई है कि जब कभी पांच प्रतिशत से अधिक लाभ होगा तो यह केन्द्रीय सरकार को मिलेगा । अतः

मेरे माननीय मित्र को इस बात में किसी प्रकार की आशंका करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार के सभी विदेशी ऋणों के सम्बन्ध सामान्य प्रथा के अनुसार इस बात की व्यवस्था कर दी गई है।

आनुषंगिक व्यय के सम्बन्ध में मैं यह कह सकता हूं। कल्पना कीजिये कि हम १२ वर्ष की भुगतान की तिथि से चार वर्ष पहिले ही ऋण की सारी राशि चुका देते हैं। इस के लिये कुछ शर्तें हैं। हमें बन्ध-पत्रों पर आधा प्रतिशत वचन देने का प्रभार या प्रव्याजि देना पड़ेगा। यदि यह अवधि ठीक दो वर्ष या तीन वर्ष के लगभग या इसी प्रकार हो तो न बीती हुई अवधि के अनुसार एक चौथाई का ३/४ प्रतिशत और १ १/२ प्रतिशत से अधिक कम देना पड़ेगा। करार में यही आनुषंगिक व्यय हैं। जहां कहीं किसी अन्य देश को अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने ऋण दिया है उस के साथ सामान्यतया यही शर्तें लगाई गई हैं। अतएव हम कहते हैं आनुषंगिक व्यय देने पड़ेंगे।

श्री के० के० बसु : श्रीमान्, क्या सरकार का यह अभिप्राय है, जैसा कि मूल अधिनियम की धारा २७ में उपबन्ध किया हुआ था, कि वह भी उस विशेष उद्योग की आस्तियों को ऋण देने वाले बैंक के पास बन्धक रख देगी ?

श्री एम० सी० शाह : जी नहीं। जब सरकार प्रत्याभूति दे देगी तो औद्योगिक वित्त निगम उन आस्तियों को बन्धक क्यों रखेगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ४ की पंक्ति ३० में "the interest" ("व्याज") के पश्चात् "and other incidental charges" ("और अन्य आनुषंगिक व्यय") ये शब्द निविष्ट कर दिये जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : श्री चौधरी का संशोधन प्रस्तुत हुआ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : श्री बसु के सब संशोधन प्रस्तुत हुए।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड १६, संशोधित रूप में,

विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड १७.—(धारा २८ का संशोधन इत्यादि

श्री रामशेषय्या (पार्वतीपुरम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ५ की पंक्ति २ और ३ में से "in the absence of any contract to the contrary" ("इस के विपरीत किसी ठेके के अभाव में") ये शब्द निकाल दिये जायें।

श्री टी० के० चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ ५ की पंक्ति २ और ३ में "in the absence of any contract to the contrary" ("इस के विपरीत किसी संविदा के अभाव में") इन शब्दों के स्थान पर "notwithstanding any contract to the contrary" ("इस के विपरीत किसी ठेके के होते हुए भी") ये शब्द आदिष्ट कर दिये जायें।

(२) पृष्ठ ५ की पंक्ति ६ में "to the person entitled thereto" ("उस के द्वारा अधिकार प्राप्त व्यक्ति को") इन शब्दों के स्थान पर "to the funds of

[श्री टी० के० चौधरी]

the concern itself for meeting its other liabilities and obligations" ("समवाय के ही धन को उस की अन्य देयताओं तथा दायित्वों को पूरा करने के लिये") ये शब्द आदिष्ट कर दिये जायें।

श्री रामशेषय्या : अधिनियम की धारा २८ की उपधारा (१) में निगम को किसी औद्योगिक समवाय के, जब वह गलती करे या करार की किसी शर्त का उल्लंघन करे, प्रबन्ध को सम्भाल लेने का अधिकार मिला हुआ है। संशोधन विधेयक की प्रस्तावित उपधारा (३क) इसी उपधारा का बढ़ा हुआ रूप है। इस उपधारा में यह भी उपबन्ध है कि "इस प्रकार के प्रबन्ध, विक्रय अथवा प्राप्ति के सम्बन्ध में इस के द्वारा किया गया सम्पूर्ण आनुषंगिक लागत-व्यय, प्रभार और व्यय उस औद्योगिक समवाय से ले लिया जायेगा।" इस में इस बात का भी उपबन्ध है कि निगम को इस धन का कैसे प्रयोग करना चाहिये। यह लिखने के साथ-साथ कि इस प्रकार प्राप्त धन प्रथम तो लागत-व्यय, प्रभार और व्यय के भुगतान में लगाना चाहिये और दूसरे निगम का ऋण चुकाने में लगाना चाहिये, उपधारा में यह भी लिखा हुआ है कि यह केवल तभी हो सकता है जब इस के विपरीत कोई संविदा न हो। मुझे यह समझ नहीं आता कि इस के विपरीत कोई संविदा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस के विपरीत किसी संविदा के होने से तो निगम को उस औद्योगिक समवाय से न लागत मिल सकेगी और न ही ऋण मिल सकेगा। अतः मेरा यह सुझाव है कि "in the absence of any contract to the contrary" ("इस के विपरीत किसी संविदा के अभाव में") इन शब्दों को निकाल दिया जाये। अथवा मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे यह बतलायें कि निगम इस प्रकार का संविदा किसी औद्योगिक समवाय से कैसे कर सकता है, जब कि स्वयं निगम ने उसे ऋण दिया हो।

श्री टी० के० चौधरी : मैं इस खण्ड में केवल शाब्दिक परिवर्तन करना चाहता हूं।

श्री एम० सी० शाह : ये शक्तियां धारा २८ में विद्यमान हैं, हम ने इन्हें अधिक अच्छा और सुगठित बना दिया है। आनुषंगिक लागत-व्यय के सम्बन्ध में कुछ उपबन्ध अवश्य होना चाहिये। हम ने इस कमी को दूर करने के लिये इसे निविष्ट कर दिया है।

सभापति महोदय : क्या माननीय मंत्री ने इस संशोधन को स्वीकार कर लिया है?

श्री एम० सी० शाह : श्रीमान्, स्वीकार नहीं किया।

श्री रामशेषय्या : परन्तु उन्होंने यह तो स्पष्ट किया नहीं कि इस के विपरीत कोई संविदा कैसे किया जा सकता है।

श्री एम० सी० शाह : यह संशोधन क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है कि प्राप्त धन के कुछ अंश को नीलाम करने वालों को देना पड़े और निगम सारी प्राप्ति को अपने ऋण की वसूली के लिये न ले सके। अतः हमें ऐसे सभी मामलों का उपबन्ध करना पड़ता है।

सभापति महोदय : श्री रामशेषय्या का संशोधन प्रस्तुत हुआ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : श्री टी० के० चौधरी के (१) और (२) संशोधन प्रस्तुत हुए।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड १७ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १७ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड १८ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड १९ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड २०.—(नई धारा ३०क का निवेश इत्यादि)

पंडित ठाकुरदास भार्गव : श्रीमान्, श्री ए० सी० गुहा की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ ६ की पंक्ति १४ में "managing agent" ("प्रबन्ध अभिकर्त्ता") के पश्चात् "or any other director" ("अथवा अन्य कोई संचालक") ये शब्द निविष्ट कर दिये जायें ।

(२) पृष्ठ ७ की पंक्ति ९ में "managing agent" ("प्रबन्ध अभिकर्त्ता") के पश्चात् "managing director or chairman or secretary or any other director" ("प्रबन्ध संचालक या अध्यक्ष या सचिव या अन्य कोई संचालक") ये शब्द निविष्ट कर दिये जायें ।

(३) पृष्ठ ७ की पंक्ति १४ में "managing agent" ("प्रबन्ध अभिकर्त्ता") के पश्चात् "managing director or chairman or secretary or any other director" ("अथवा प्रबन्ध संचालक, या अध्यक्ष, या सचिव या अन्य कोई संचालक") ये शब्द निविष्ट कर दिये जायें ।

श्री एम० सी० शाह : यदि मेरे माननीय मित्र सहमत हों तो मैं इन संशोधनों को इन में थोड़े से परिवर्तन के साथ स्वीकार कर लूंगा ।

सभापति महोदय : और भी संशोधन हैं ।

श्री टी० के० चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ६ की पंक्ति ५ में "any individual, firm or company" ("कोई व्यक्ति, सार्थ या समवाय") के स्थान पर निम्नलिखित आदिष्ट कर दिया जाये :

"any public limited company or co-operative Society incorporated in India and a majority of the shares of which are held by Indian nationals."

("भारत में निगमित और जिस के अधिकांश हिस्से भारतीय राष्ट्रजनों के हों ऐसे किसी सार्वजनिक सीमित समवाय या सहकारी समिति ।")

श्री के० के० बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ६ की पंक्ति ७ के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"Provided that no appointment shall be made hereunder unless such appointments are sanctioned and consented to by the Central Government."

("परन्तु शर्त यह है कि जब तक केन्द्रीय सरकार की मंजूरी और स्वीकृति न मिल जाये तब तक इस के अधीन कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी ।")

डा० एम० एम० दास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ७ की पंक्ति ३१ से ३४ तक में से निम्नलिखित निकाल दिया जाये :

"and subject to such other exceptions, restrictions and limitations, if any, as the Central Government may, by notific-

[डा० एम० एस० दास]

ation in the Official Gazette, specify in this behalf."

("और इस प्रकार के अन्य अपवादों, प्रतिबन्धों और सीमाओं के अधीन, यदि कोई हों तो, जिन्हें कि केन्द्रीय सरकार सरकारी गज़ट में अधिसूचना द्वारा इस विषय में निर्दिष्ट करे।")

सभापति महोदय : अब ये सब संशोधन सदन के समक्ष वाद-विवाद के लिये प्रस्तुत हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा प्रस्तुत दूसरे संशोधन में, मेरे विचार में कुछ कमी रह गई है। संशोधन इस प्रकार है : "managing ~~director or~~ managing ~~agent~~" ('प्रबन्ध अभिकर्त्ता') के पश्चात "प्रबन्ध संचालक या....') निविष्ट कर दिया जाये।"

यह इस प्रकार होना चाहिये :

" 'managing agent' ('प्रबन्ध अभिकर्त्ता') के पश्चात् 'or managing director or...('अथवा प्रबन्ध संचालक या...') निविष्ट कर दिया जाये।"

मेरे विचार में अन्यथा यह ठीक नहीं बैठेगा।

श्री एम० सी० शाह : पंडित ठाकुरदास भार्गव द्वारा प्रस्तुत श्री गुहा के इन संशोधनों के सम्बन्ध में क्या मुझे यह सुझाव देने की अनुमति है कि मैं इन्हें केवल शाब्दिक परिवर्तन के साथ ही स्वीकार करूंगा।

सभापति महोदय : आप कौन सा स्वीकार कर रहे हैं ?

श्री एम० सी० शाह : प्रथम संशोधन निम्नलिखित परिवर्तन के साथ :

"or any other director" ("अथवा कोई अन्य संचालक") की अपेक्षा "or any director" ("अथवा कोई संचालक") क्योंकि मैं ने अपने प्रारूतकारों से मरामर्श किया है और मैं समझता हूं कि यही होना भी चाहिये। अतः संशोधन इस प्रकार होगा :

पृष्ठ ६ की पंक्ति १४ में "managing agent" ("प्रबन्ध अभिकर्त्ता") के पश्चात् "or any director" ("अथवा कोई संचालक") निविष्ट कर दिया जाये।

सभापति महोदय : क्या यह ठीक है ?

पंडित ठाकुरदास भार्गव : यह बिल्कुल ठीक है।

श्री एम० सी० शाह : मैं दूसरा संशोधन भी निम्नलिखित परिवर्तन के साथ स्वीकार करूंगा :

" managing director or Chairman or secretary or any other director" ("प्रबन्ध संचालक या अध्यक्ष या सचिव या कोई अन्य संचालक") की अपेक्षा

" 'managing agent' ('प्रबन्ध अभिकर्त्ता') के पश्चात् "managing director or any other director' ('प्रबन्ध संचालक या कोई अन्य संचालक') निविष्ट कर दिया जाये।"

पंडित ठाकुरदास भार्गव : अध्यक्ष और सचिव का क्या हुआ ?

श्री एम० सी० शाह : वे तो उस के नौकर होंगे।

इसी प्रकार तीसरा संशोधन इस प्रकार बदल दिया जाये :

"managing agent' ('प्रबन्ध अभिकर्त्ता') के पश्चात् 'or managing director or any other director'

(्थवा प्रबन्ध संचालक या कोई अन्य संचालक ') निविष्ट कर दिया जाये ।"

मैं ने प्रारूपकारों तथा मंत्रणादाता से परामर्श ले लिया है ।

डा० लंका सुन्दरम : क्या "Chairman" ("अध्यक्ष") "director" ("संचालक") की परिभाषा में आ जाता है ?

श्री एम० सी० शाह : अध्यक्ष एक संचालक होता है । यदि कोई संचालक अध्यक्ष हो तो वह निश्चय ही आ जाता है ।

श्री टी० के० चौधरी : जब मूल अधिनियम पर चर्चा हो रही थी तो विधेयक के प्रभारी माननीय मंत्री ने कहा था कि हमारा उद्देश्य संयुक्त स्कन्द समवायों को प्रोत्साहित करना है। और इस लिये स्पष्ट यह उपबन्ध कर दिया गया था कि औद्योगिक वित्त निगम संयुक्त स्कन्द समवायों और सहकारी समितियों को ऋण देगा । किन्तु अब इस खण्ड के अधीन व्यक्तियों, निजी सार्थों और समवायों को—जो आवश्यक रूप से सीमित समवाय न हों—प्रबन्ध अभिकर्त्ता नियुक्त करने की शक्ति ली जा रही है । मेरे विचार में यह संशोधन अच्छा नहीं है, अतः माननीय मंत्री को मेरा संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये जिस के द्वारा इस बात की मांग की गई है कि प्रबन्ध का उत्तरदायित्व केवल संयुक्त स्कन्द समवायों या सहकारी समितियों को ही मिलना चाहिये ।

श्री के० के० बसु : प्रस्तावित नई धारा ३०क की उपधारा (२) के अधीन निगम को उन समवायों के प्रबन्ध अभिकर्त्ता नियुक्त करने की शक्ति मिल जाती है जिन्हें दुर्व्यवस्था अथवा किसी अन्य कारण से वे सम्भाल लेना ठीक समझते हैं । प्रबन्ध अभिकर्त्ता प्रणाली के विरुद्ध बहुत अधिक जनमत को ध्यान में रखते हुए और गत सौ वर्षों में इसने देश के औद्योगिक विकास के हितों के विरुद्ध किस प्रकार कार्य किया है इस को ध्यान में रखते हुए मैं यह अनुभव करता हूं कि प्रबन्ध अभिकर्त्ता नियुक्त करने की शक्ति का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिये । औद्योगिक वित्त निगम में उद्योगपतियों की प्रधानता है । अतः उन के द्वारा इस शक्ति का दुरुपयोग न किया जाये इस लिये मैं ने यह संशोधन रखा है कि प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति से पूर्व केन्द्रीय सरकार से परामर्श ले लेना चाहिये । यदि सरकार को प्रबन्ध अभिकर्त्ता नियुक्त करने की आवश्यकता के विषय में पूर्ण सन्तोष हो जाये तो वह औद्योगिक वित्त निगम तथा अपने निजी वित्तीय विशेषज्ञों की मंत्रणा से उन की नियुक्ति की स्वीकृति दे सकती है । मुझे आशा है कि सरकार मेरा संशोधन स्वीकार कर लेगी ।

डा० एम० एम० दास : धारा ३०ङ की उपधारा (२) केन्द्रीय सरकार को सरकारी गज़ट में केवल एक अधिसूचना निकाल कर किसी समवाय पर जिस का प्रबन्ध निगम ने सम्भाल लिया हो भारतीय समवाय अधिनियम का कोई उपबन्ध लागू होने से रोकने की शक्ति देना चाहता है । यह शक्ति बहुत विस्तृत और व्यापक है । कम से कम मैं तो सरकार को इतनी व्यापक शक्ति देने के लिये तैयार नहीं हूं । मेरा निवेदन यह है कि सरकार को सदन के समक्ष ठोस प्रस्ताव रखने चाहिये ताकि हम यह जान सकें कि हम सरकार को ठीक ठीक क्या क्या शक्तियां दे रहे हैं ।

५ म० प०

सभापति महोदय : शाह जी, क्या आप समवाय अधिनियम में कोई रूपभेद करने के लिये वास्तव में यह शक्ति चाहते हैं ?

श्री एम० सी० शाह : भारतीय समवाय अधिनियम के अधीन प्राप्त शक्तियों को अति-

[श्री एम० सी० शाह]

लंघित करके यह किया गया है । इस संसद् ने इस प्रकार का एक विधान पारित किया है । हम ने शोलापुर स्पिनिंग एंड बीविंग मिल्स (स्पेशल प्रोवीज़न्स) अधिनियम लगभग सारा का सारा ले लिया है । जब शोलापुर स्पिनिंग एंड बीविंग मिल्स का प्रबन्ध सम्भाला गया था, तो इस संसद् द्वारा विशेष विधान पारित किया गया था और ये धारायें उसी विधान के अनुरूप बनाई गई हैं । कतिपय मामलों मे जब प्रबन्ध सम्भालना हो जिस में कि किश्तें न दी जाती हों और जहां यह औद्योगिक वित्त निगम के हित के विरुद्ध हो , तो यह अत्यन्त आवश्यक होता है । अस्थायी संसद् ने इस प्रकार का एक विधान पारित किया था । (अन्तर्बाधायें)

अत: हम ने इसी कारण इसे प्रस्तुत किया है । प्रबन्ध अभिकरण के सम्बन्ध में मैं यह कह सकता हूं कि इस शक्ति का बहुत कम मामलों में प्रयोग किया जायेगा । सत्य तो यह है कि हम और औद्योगिक वित्त निगम जहां तक सम्भव हो प्रबन्ध अभिकर्त्ता नियुक्त ही नहीं करना चाहते हैं ।

कल के वादविवाद में कुछ आरोपों का उल्लेख किया गया था, कुछ सदस्यों ने कहा था कि कतिपय उद्योगों के जिन्होंने कि औद्योगिक वित्त निगम से ऋण लिये थे जो संचालक निगम द्वारा नियुक्त किये गये थे वे निगम के संचालकों के भतीजे या बहनोई आदि सम्बन्धी थे । मैं ने अभी फाइल देखी थी और मैं ने देखा है कि औद्योगिक वित्त निगम ने जहां कहीं भी संचालक नियुक्त किये हैं, वे संचालक निगम के ही पदाधिकारी हैं । हमारी तीन शाखायें हैं--बम्बई, मद्रास और कलकत्ता । एक या दो मामलों में तो वह व्यक्ति उस प्रदेश के औद्योगिक वित्त निगम का संचालक था और एक बार खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ पदाधिकारी को नियुक्त किया गया था । उन समवायों में जिन्हों ने कि ऋण लिये हैं और जिन के मामले में कि औद्योगिक वित्त निगम ने कोई संचालक नियुक्त करना आवश्यक समझा है किसी भी बाहर के व्यक्ति को संचालक नियुक्त किया गया ।

अत: जैसा कि मैं ने कल सदन में कहा था कुछ मिथ्या आशंका सी हो गई है । हम ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहते हैं जो प्रबन्ध कर सकें । सत्य तो यह है कि किसी समवाय ने ५० लाख रुपये लिये हों और उस समवाय का मूल्य एक करोड़ रुपये से भी अधिक हो और कुछ परिस्थितियों के कारण हमें उस का प्रबन्ध सम्भालना पड़ा । यदि हमें उसका प्रबन्ध सम्भालने के लिये कोई अति उपयुक्त व्यक्ति न मिले, तो बहुत कम मामलों में कोई प्रबन्ध अभिकर्त्ता रखना आवश्यक हो सकता है । इसी कारण हम ने इसे पुर:स्थापित किया है और प्रबन्ध अभिकर्त्ता नियुक्त करने की इस शक्ति का बहुत कम प्रयोग किया जायेगा । यदि मुझे ठीक ठीक स्मरण है तो समवाय विधि के अन्तर्गत भी प्रबन्ध अभिकरण को हटाया नहीं जायेगा, किन्तु इस पर नियंत्रण किया जायेगा ।

सभापति महोदय: श्री टी० के० चौधरी का संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय: श्री के० के० बसु का संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

डा० एम० एम० दास: माननीय मंत्री के उत्तर को ध्यान में रखते हुए मैं सदन से अपने संशोधन को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

सदन की अनुमति से संशोधन वापिस ले लिया गया ।

सभापति महोदय : पंडित भार्गव द्वारा प्रस्तुत श्री गुहा के संशोधनों को थोड़े से रूप-भेदों के साथ माननीय मंत्री ने स्वीकार कर लिया है।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ६ की पंक्ति १४ में "managing agent" ("प्रबन्ध अभिकर्त्ता") के पश्चात् "or any director" ("अथवा कोई संचालक") निविष्ट कर दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ७ की पंक्ति ६ में "managing agent" ("प्रबन्ध अभिकर्त्ता") के पश्चात् "managing director or any other director" ("प्रबन्ध संचालक या कोई अन्य संचालक") निविष्ट कर दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ७ की पंक्ति १४ में "managing agent" ("प्रबन्ध अभिकर्त्ता") के पश्चात् "or managing director or any other director" ("अथवा प्रबन्ध संचालक या कोई अन्य संचालक") निविष्ट कर दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड २०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया गया।

इसके पश्चात् सदन की बैठक शुक्रवार, ५ दिसम्बर, १९५२ के पौने ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हो गई।